खण्ड-225, अंक-9
शुक्रवार, 20 श्रावण, शक संवत् 1883
(11 अगस्त, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 225 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ११ अगस्त, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३४९

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुललतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री

गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदवसिंह, श्री

बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री

रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लालबहादुर, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
बसी नक़वी, श्री
बासुदेव दीक्षित, श्री
बिचित्रनारायण शर्मा, श्री
बिजयशंकरसिंह, श्री
बिद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
बिनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
बिशालसिंह, श्री
बिश्रामराय, श्री
बिश्वेश्वरानन्द, स्वामी
बीरसेन, श्री

वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शब्बीरहसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री

सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अग्रवाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

स्वशासन मंत्री, श्री चतुर्भुज शर्मा, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ११ अगस्त, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ में दो यूनानी कालेजों का बन्द होना

**१—श्री हलीमुद्दीन (राहत मौलाई) (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में सन् १९४७ में कितने यूनानी कालेज थे जिनको सरकार से एड मिलती थी और सन् १९६० में कितने यूनानी कालेज थे? क्या सरकार जो यूनानी कालेज बन्द हो गये हैं उनको फिर से जारी करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—लखनऊ में यूनानी कालेजों की संख्या सन् १९४७ तथा सन् १९६० में क्रमशः ३ और १ थी। चूंकि ये यूनानी कालेज व्यक्तिगत रूप से चल रहे थे, अतः दो बन्द हो गए। कालेजों को सरकार द्वारा फिर से चलाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

**२—श्री हलीमुद्दीन (राहत मौलाई)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस समय आयुर्वेदिक व यूनानी डाइरेक्टोरेट लखनऊ में कितने हकीम और वैद्य हैं और उनमें से किन-किन का तबादला पिछले तीन सालों से नहीं हुआ है और क्यों नहीं हुआ है?

श्री धर्मसिंह—आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में कोई भी वैद्य तथा हकीम कार्य नहीं कर रहा है, अतः किसी के तबादले का प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—इन आयुर्वेदिक व यूनानी कालेजों का भविष्य क्या हो, तथा इसके लिये भी कि उनको सरकार अपने हाथ में ले, सरकार ने कोई कमेटी बनाई है?

श्री धर्मसिंह—हाथ में लेने के सम्बन्ध में तो कोई कमेटी नहीं बनाई है, लेकिन एक कमेटी बैठी है जो उनके ग्रेड आदि के बारे में विचार कर रही है।

श्री हलीमुद्दीन (राहत मौलाई)—क्या सरकार इन कालेजों को कोई एड भी देती थी, और क्या उसे अब बन्द कर दिया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री धर्मसिंह—जब इन कालेजों का इंडियन मेडिसिन बोर्ड से संबंध था और उससे एफिलिएटेड थे तब सरकार उनको एड देती थी, किन्तु जब से यह कालेज बोर्ड से डिस-एफिलिएट हो गये, तब से यह एड बन्द कर दी गयी।

श्री अब्दुलरऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह एड किस आधार पर बन्द कर दी गयी ?

श्री धर्मसिंह---इन कालेजों के रिआर्गेनाइजेशन के सम्बन्ध में एक एक्सपर्ट कमेटी बठी थी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर इंडियन मेडिसिन बोर्ड ने अपना संबंध विच्छेद कर लिया। इस कारण जो सरकार एड देती थी, वह बन्द कर दी गयी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब बोर्ड ने इन कालेजों से अपना संबंध विच्छेद कर लिया, तो क्या उन कालेजों के प्रबन्धकों ने सरकार के पास कोई आबेदन-पत्र दिया ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने विचार किया या नहीं ?

श्री धर्मसिंह---वह तो प्राइवेट इंस्टीटचूशन्स थे, स्वयं इंडियन मेडिसिन बोर्ड ने उनको समाप्त कर दिया था एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर। इसलिए एड नहीं मिलती थी।

श्री राजनारायण---प्रश्न यह है कि जो बोर्ड के कायदे कानून हैं, आपको मालूम होगा कि.....

श्री अध्यक्ष---आप यह कहिये कि अपील की या नहीं ?

श्री राजनारायण---मतलब यह है कि जब डिसऐफिलिएशन होता है तो निजी ढंग से संस्था सरकार के यहां अपील करती है। तो क्या आवेदन-पत्र इस मामले पर विचार करने के लिए दिया गया और सरकार ने उस पर विचार नहीं किया ?

श्री धर्मसिंह---मुझे इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है कि उस वक्त आवेदन पत्र दिया था या नहीं।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---जिस यूनानी स्कूल को बन्द किया गया उसका नाम एडेड यूनानी स्कूल था, तो क्या यह सही है कि उसका मामला दो साल तक उत्तर प्रदेश सरकार के सामने पेश रहा कि उसको पुनः चालू करने की इजाजत दी जाय ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, जो दो बन्द हुए उनमें एक स्टेट यूनानी मेडिकल कालेज था। उसके बाद में क्या कार्यवाही हुई उसकी सूचना मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---जो डिसऐफिलिएशन किया गया कालेजेज का, उसके क्या कारण थे ?

श्री धर्मसिंह---वह तो एक्सपर्ट कमेटी ने जो रिआर्गेनाइजेशन की थी, उसने ऐसी ही रिपोर्ट दी। वह रिपोर्ट क्या थी, वह सूचना इस समय मेरे पास नहीं है, क्योंकि डिसऐफिलिएशन १९५१ में हुआ था।

श्री प्रतापसिंह---इस बात को देखते हुए कि प्रदेश में डाक्टरों की बहुत कमी है, जो रिप्रेजटेशन आया है उन कालेजों को फिर से चलाने के लिए, क्या उस पर सरकार विचार करेगी ?

श्री धर्मसिंह---फिलहाल तो इस तरह की बात सरकार के विचाराधीन नहीं है। कोई प्रार्थना-पत्र भी नहीं है जिस पर विचार किया जा सके। यदि प्रार्थनापत्र आया तो सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री हलीमुद्दीन (राहत मौलाई)---जो डायरेक्टोरेट से मेडिसिन्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं उनको कोई चेक करता है ?

श्री धर्मसिंह---चेकिंग इत्यादि के लिए दो आफिसर हैं---डिवीजनल आयुर्वेदिक आफिसर और यूनानी आफिसर।

श्री हलीमुद्दीन (राहत मौलाई)---जो आफिसर्स हैं वह वैद्य या हकीम की डिग्री भी अपने साथ रखते हैं ?

श्री धर्मसिंह---मेरे पास इस तरह की सूचना नहीं है कि रखते हैं या नहीं, लेकिन यदि कोई क्वालीफिकेशन नहीं होती तो वह तो सन् १९४४ से पहले से काम करते आ रहे हैं और ५५ वर्ष समाप्त होने के बाद रिटायर भी होंगे, तो वह किस तरह से अब तक काम करते ?

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--- क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार के विचाराधीन प्रदेश में स्टेट आयुर्वेदिक कालेज की तरह का कोई स्टेट यूनानी कालेज भी खोलने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्मसिंह--फिलहाल इस तरह का कोई विचार नहीं है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---इस बात को देखते हुए कि भारतीय परिस्थितियों में आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयां अधिक कारगर होती हैं और बाहर से मंगाने में भी पैसा खर्च नहीं होता, तो क्या वह पुनर्विचार कर रहे हैं कि जो यूनानी कालेज बन्द गये हैं उन्हें फिर से रेस्टोर कर दिया जाय ?

श्री धर्मसिंह---सरकार तो विचार नहीं कर रही है। यदि कोई प्रार्थना-पत्र आये तो उस पर विचार किया जायगा ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर म बताया कि जो यूनानी कालेज थे और जो बन्द हो गये वे प्राइवेट थे, लेकिन अब माननीय त्रिलोकी सिंह जी के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि वे एडेड यूनानी कालेज थे, इन दोनों उत्तरों में परस्पर विरोध क्यों है, क्या मंत्री जी इसको बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---उनमें विरोध तो मालूम नहीं पड़ता। उन्होंने स्टेट एडेड स्कूल कहा, स्टेट यूनानी कालेज नहीं कहा, प्राइवेट एडेड हो सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो यूनानी डिस्पेन्सरीज चल रही थीं, उनमें वैद्य कहां से आयेंगे जब कि ये कालेज बन्द हो जायेंगे ?

श्री धर्मसिंह---प्रदेश में दो-तीन इस प्रकार के कालेज हैं।

श्री हलीमुद्दीन (राहत मौलाई)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन आफिसरान को चेकिंग के लिये रखा गया है उनकी क्वालीफिकेशन्स गवर्नमेंट ने क्या पेशेनजर रखी जिनकी बिना पर स्टेट ने उनका एप्वाइन्टमेंट किया ?

श्री धर्मसिंह---जैसा कि मैंने निवेदन किया कि एक डिवीजनल आयुर्वेदिक आफिसर है और दूसरा डिवीजनल यूनानी आफिसर। उनकी क्वालीफिकेशन्स के लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि सरकार की इस मामले में निश्चित पालिसी क्या है ? यूनानी और आयुवदिक सिस्टम्स को एन्करेज करने की है अथवा डिसकरेज करने की ?

श्री धर्मसिंह---इसमें दो रायें नहीं हैं कि सरकार की पालिसी उनको एन्करेज करने की है, डिसकरेज करने की नहीं है।

श्री श्रीकृणदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो चार पद्धतियां---आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथिक और होमियोपैथिक हैं, इन चारों के लिये जो बजट में एलोकेशन होता है वह किस प्रतिशत से किया जाता है और उसका आधार क्या है ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है कि बजट में किस प्रकार से एलोकेशन किया जाता है।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सरकार की इन चार मुख्य प्रणालियों के समन्वय करने के बारे में क्या नीति है ? अथवा क्या यह नीति है कि उनको कम्पीट करने दिया जाय और जो आगे निकल जाय उसी को मान लिया जाय ?

श्री धर्मसिंह---जहां तक सरकार की नीति का सवाल है, वह चारों प्रणालियों को प्रोत्साहन देती है। अब यह तो जनता के ऊपर है कि वह किस तरह से इलाज कराना पसन्द करती है। जिसको वह ज्यादा पसन्द करेगी उसी की अधिक तरक्की होगी।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---जिस कमेटी ने यह निश्चय किया कि इन कालेजों को बन्द कर दिया जाय, क्या उसमें इन पद्धतियों के विशेषज्ञ भी थे ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है कि कौन लोग उसमें थे। यह रिपोर्ट तो एक ऐक्सपर्ट कमेटी ने दी थी, जो इसी कार्य के लिये बनायी गयी थी।

श्री प्रतापसिंह---इस दृष्टि से कि सभी लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं कि यूनानी कालेजों का भविष्य उज्ज्वल हो, क्या माननीय मंत्री जी इस चीज को भी उस कमेटी के टर्म्स आफ रफेरेन्स में रखने की कृपा करेंगे कि जो कालेज बन्द हो गये हैं उनके लिये भविष्य में क्या किया जाय ?

श्री धर्मसिंह---वह कमेटी अपना कार्य कर रही है, उसके सामने इस प्रश्नोत्तर को भी भेज दिया जायगा ताकि वह इस प्रश्न पर भी विचार कर सके।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या मंत्रिमंडल ने अभी हाल में यह निश्चय लिया है कि यूनानी और आयुर्वेदिक दवाओं के निश्चय करने के लिये किसी आफिसर को न रखा जाय और मंत्रि परिषद् का ही कोई सदस्य उसके लिये हो और उसके लिये डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी को रखा गया है ?

श्री धर्मसिंह---यह बात गलत है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

इलाहाबाद रोडवेज क्षेत्र में लिपिकों के स्थान पर काम करने वाले कण्डक्टरों का वेतन

*१---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या परिवहन मंत्री दिनांक १२ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११ एवं १२ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि कितने लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे और कितनों को प्रार्थना-पत्र स्वीकार करके बाकी धनराशि प्रदान की गई ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)---२२ व्यक्तियों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे। ७ व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र स्वीकार हुए और उनको बकाया तनख्वाह दे दी गई।

राजकीय आदर्श विद्यालयों के जे० टी० सी० अध्यापकों का ग्रेड

*२—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश में जो जे० टी० सी० पास अध्यापक राजकीय स्कूलों में नियुक्त हैं उनमें से कितनों को जे० टी० सी० ग्रेड में स्थायी किया गया है ? जिनको यह स्थायी ग्रेड नहीं दिया गया उनकी सेवा अधिक से अधिक कितने साल की है ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—किसी को स्थायी नहीं किया गया। अधिक से अधिक सेवा १२ वर्ष की है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, आज कुल १४ सवाल हैं, इसलिये १४ सवालों में एक घंटा बंटना है।

श्री अध्यक्ष—वह तो ठीक है, समय ज्यादा मिलेगा, हर एक सवाल को।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि राजकीय सर्विस में कुल कितने जे० टी० सी० अध्यापक हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—१९३ जे० टी० सी० अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में काम कर रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इनमें से कितने अध्यापक ऐसे हैं जो पांच वर्ष से अधिक के हैं और जिस पैमाने पर स्कूल बढ़ रहे हैं, उस आधार पर उनको स्थायी करने की व्यवस्था कब तक हो जायगी और अब तक वह क्यों नहीं हुई ?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—उनको स्थायी करने की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। यह तो मैं नहीं कह सकता कि पांच वर्ष से ज्यादा के कितने ऐसे अध्यापक हैं जो अभी अस्थायी हैं।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी सदन की जानकारी के लिये अपनी नीति को स्पष्ट करेंगे कि शिक्षा विभाग में काम करने वाले जो जे० टी० सी० अध्यापक हैं उनको स्थायी करने के लिये क्या नियम सरकार ने अब तक बनाये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—स्थायी करने के तो नियम बने हुए हैं। इन आदर्श विद्यालयों में कुछ एच० टी० सी० और कुछ जे० टी० सी० अध्यापक काम करते हैं। जे० टी० सी० अध्यापकों को नया वेतन-क्रम दे रहे हैं और एच० टी० सी० को पुराना वेतन-क्रम दे रहे हैं। इनके बारे में भी यह विचाराधीन है कि इनका वेतन-क्रम बढ़ाया जाय या नहीं। स्थायी करने के नियम तो बने हुए हैं और कुछ स्थायी हैं भी, लेकिन वह एच० टी० सी० ग्रेड में स्थायी हैं। उनको वेतन जे० टी० सी० ग्रेड का दे रहे हैं जो सन् १९५७ में नया हुआ था। अब जब तक वे नये ग्रेड में स्थायी नहीं हो जाते तब तक नये ग्रेड में स्थायी नहीं माने जायंगे, यह कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री प्रतापसिंह—अभी पहले माननीय मंत्री जी ने कहा था कि कोई स्थायी नहीं है और फिर कहा कि एच० टी० सी० ग्रेड में स्थायी हैं। मेरा प्रश्न यह है कि जो टीचर जे० टी० सी० पास करने के बाद काम कर रहे हैं उनके स्थायीकरण के कोई नियम बने हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि एच० टी० सी० पास अध्यापक भी इन आदर्श विद्यालयों में काम कर रहे हैं। जे० टी० सी० अभी स्थायी नहीं हैं। उनको एक नया ग्रेड मिल रहा है और उनको स्थायी करने पर विचार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—कोई नियम बने हैं ? वह सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं।

श्री रामस्वरूप यादव—नियम तो जनरल बने हुए हैं अभी तक। इस पार्टिकुलर केस के लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मंत्री महोदय ने उत्तर में यह कहा है कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कब से सरकार के विचाराधीन है और उसका निर्णय कब तक हो जाने की संभावना है ?

श्री रामस्वरूप यादव—नया ग्रेड सन् १९५७ में दिया गया। उसके बाद यह प्रश्न आया कि नये ग्रेड में उनको स्थायी किया जाय। यह विषय विचाराधीन है और जल्दी ही विचार समाप्त हो जायगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि जिन जे० टी० सी० पास लोगों ने ग्रेजुएट की डिग्री हासिल कर ली है, उन्हें बी० टी० या एल० टी० का ग्रेड दिया जाय ?

आचार्य जुगलकिशोर—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि एच० टी० सी० और जे० टी० सी० के ग्रेड में फर्क होने की वजह से जब उनको स्थायी नहीं कर पा रहे हैं तो क्या एच० टी० सी० के ग्रेड को बढ़ा कर के और जे० टी० सी० के बराबर करके उनको स्थायी करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, क्योंकि दोनों आदर्श विद्यालयों में शिक्षा देते हैं इसलिये इनके ग्रेड में ज्यादा फर्क नहीं रहना चाहिये। लेकिन यह विचार जरूर है कि जो एच० टी० सी० काम कर चुके हैं उनको जे० टी० सी० न सही फिर भी कोई समानान्तर ग्रेड दें, यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जे० टी० सी० अध्यापकों को स्थायी करने के संबंध में सरकार विचार कर रही है, तो बनी हुई नियमावली में क्या अड़चन पड़ रही है जिससे स्थायी करने में देर हो रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, कुछ समय तो लगता ही है और क्या दिक्कतें पड़ रही हैं यह चीज इस समय दिमाग में नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि अध्यापक अल्प वेतन भोगी हैं और जिनकी अस्थायी सर्विस होती है उनका प्रावीडेन्ट फण्ड नहीं कटता है और इससे उनको आखिरी दिनों में मदद मिलती है, इसलिये इनको शीघ्र से शीघ्र स्थायी करने की मेहरबानी करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—वह तो विचार करेंगे।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, कब तक विचार कर लेंगे ?

श्री अध्यक्ष—इसको पालीवाल जी पूछ चुके हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी उन अध्यापकों को जिनकी सर्विस बहुत अधिक हो चुकी है और ट्रेन्ड नहीं हैं उससे उनको मुक्ति दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, जो नियम बने हुए हैं उनके अन्दर काम होता है। इतना और कह दूं कि कुछ अध्यापक जे० टी० सी० के द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखे गये हैं, उनके स्थायीकरण का प्रश्न इस समय विचाराधीन नहीं है। योजना के अनुसार जब मौका आयेगा तब होंगे। इस समय अनट्रेण्ड अध्यापकों को ट्रेनिंग से मुक्ति देने का बिचार नहीं है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—एच० टी० सी० और जे० टी० सी० अध्यापकों का क्या ग्रेड है ?

श्री रामस्वरूप यादव—एच० टी० सी० का ग्रेड ४५–२-६५–३–८० और जे० टी० सी० का ग्रेड ६०–४–८०–५–१२० है।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी बतायंगे कि अस्थायी अध्यापकों की ओर से अथवा एसोशियेशन की तरफ से कोई आवेदन-पत्र आया है ? यदि हां तो क्या उत्तर दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, अगर मैं शिकायत न करूं तो हमें बुलायें ही नहीं। मैं ९ बार खड़ा हुआ और मुझको एक बार भी नहीं बुलाया जब कि किसी को ३–४ बार बुलाया।

श्री अध्यक्ष—यही शिकायत श्री गोविन्दसिंह विष्ट को है, मैं क्या करूं ?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह भी नहीं होना चाहिये कि कोई किसी की शिकायत करे और यह ज्यादा प्रिय काम भी नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न पूछिये।

श्री राजनारायण—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन जे० टी० सी० अध्यापकों को स्थायी नहीं बनाया गया है तो क्या वे किसी नियम के मातहत नहीं बनाये गये हैं? यदि ऐसा नहीं है तो पक्षपात की जो शिकायत आई है उसका निराकरण करने के लिये सरकार क्या सोच रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, कोई पक्षपात नहीं किया गया है, लेकिन कुछ दिक्कतें थीं जिनसे स्थायी विभाग नहीं कर सका, नियमों के अनुसार स्थायी होते हैं, पक्षपात का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतायेगी कि वे दिक्कतें क्या थीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, इस समय सूचना नहीं है, इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री राजनारायण—क्या सरकार सूचना लेकर उन दिक्कतों की तालिका सदन में प्रस्तुत करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, यदि माननीय सदस्य इस तरह का प्रश्न पूछेंगे तो मैं जबाब अवश्य अगली दफा दूंगा।

श्री बाबूराम (जिला बरेली)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो जे० टी० सी० अध्यापक प्राइमरी स्कूलों में और जूनियर हाई स्कूलों में काम करते है, उनको एक ही वेतन दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, जहां तक सरकारी विद्यालयों का सवाल है वहां जे०टी० सी० अध्यापक काम करते हैं, उनको वही ग्रेड दिया जाता है। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्य की मंशा शायद असरकारी स्कूलों तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों से है। इस विषय में जब एक बार ग्रेड दिया गया था तो यह आदेश दिया था कि वह अपने यहां के जे० टी० सी० अध्यापकों की संख्या बतायें। हर एक जिला परिषद् ने जो संख्या भेजी उतनी ग्रांट दे दी। बाद में यह बात आई कि इसके बाद जो जे० टी० सी० अध्यापक नियुक्त किये हैं उनको यह ग्रेड नहीं दे रहे हैं। सरकार ने आदेश दे दिया है कि जो जूनियर स्कूलों में काम करते हैं उनको जे० टी० सी० ग्रेड देना मुनासिब है। जहां तक प्राइमरी स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों का सवाल है, उनके साथ एक कंट्रेक्ट है। जो एच० टी० सी० का काम लेते हैं, एच० टी० सी० का वेतन शायद वह देते हैं।

झांसी जिले में विद्यालयों को सहायता

*३—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वह झांसी जिले के किन-किन स्कूलों व कालेजों को कितनी-कितनी वार्षिक ग्रांट देते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—एक तालिका सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८६० पर)

*४—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या शिक्षा मंत्री उक्त स्कूलों व कालेजों के विद्यार्थियों की संख्या व उनके गत तीन वर्षों के परीक्षा फलों को दृष्टि में रख कर वार्षिक ग्रांट का निर्धारण करते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—विद्यार्थियों की संख्या को दृष्टि में रख कर वार्षिक ग्रान्ट निर्धारित की जाती है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि स्कूलों और कालेजों को ग्रांट देते समय उनके परीक्षाफल का भी विचार किया जाता है ? यदि नहीं, तो भविष्य में इस बात पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—अभी तक तो जब पहली ग्रांट दी जाती है तो उस समय थोड़ा सा विचार रखा जाता है लेकिन बाकी जो वार्षिक अनुदान दिया जाता है उसमें परीक्षाफल की दृष्टि से नहीं दिया जाता। लेकिन एक सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है, उस पर विचार कर सकते हैं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस प्रदेश में कुछ जिले ऐसे भी हैं जिनका ७०–८० फीसदी तक रिजल्ट रहा है और इस बारे में मैं लिखित भी दे चुका हूं, उनको सब से कम ग्रांट दी गयी है और जिनका रिजल्ट १८–२५ फीसदी रहा है उनको ज्यादा ग्रांट दी गयी है ?

श्री अध्यक्ष—वह कह रहे हैं कि इस पर विचार करेंगे ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, वह खुद योग्य हैं, अपनी गर्दन खुद बचा लेंगे ।

श्री अध्यक्ष —मैं किसी आदमी से यह उम्मीद नहीं करता कि वह खुद कह देगा कि हम पक्षपात करते हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार इस बात को देखते हुए कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या अधिक है और उनका प्रवेश कम हो रहा ह और ग्रांट विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर दे रहे हैं, तो क्या ग्रांट में वृद्धि या कमी अब इस आधार पर करेंगे कि कितने अधिक विद्यार्थी भर्ती किये जाते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—एजूकेशन कोड में जो नियम है कि खर्चे और आमदनी का फर्क या खर्चे का आधा जो भी कम हो, उसके अनुसार अनुदान दिया जाता है । अगर लड़के ज्यादा होते हैं तो ज्यादा मिल जाता है । कम होते हैं, तो कम मिलता है । उस नियम पर पुनः विचार करने का विचार इस दृष्टि से नहीं है कि लड़के फेल हुए हैं या पास हुए हैं और न उचित समझा जाता है ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि आम तौर से सारे प्रदेश में और विशेषकर झांसी जिले में विद्यार्थियों के प्रवेश पाने की समस्या बहुत भयंकर रूप में है? क्या अब की बार इस प्रकार का आदेश देने पर बिचार कर रहे हैं कि जो नये सेक्शन खोलेंगे उनको विशेष रूप से ग्रांट देंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---वह तो नियम ही बना हुआ है उसमें तब्दीली की आवश्यकता नहीं। अगर नये सेक्शन खोलेंगे तो लड़के ज्यादा होंगे और अनुदान वैसे ही बढ़ जायगा।

श्री राजनारायण---क्या झांसी के किसी स्कूल में डाकुओं का सामना करने की तालीम दी जाती है, क्योंकि मदन जी का प्रश्न था उसको एलाऊ किया ?

श्री अध्यक्ष---विद्यार्थियों के दाखिले की समस्या, उन्होंने कहा, आप सुनते नहीं हैं। आप जाइये डाक्टर के पास और कानों की दवाई कीजिये। उन्होंने दाखिले के लिये कहा था।

श्री राजनारायण---अच्छा तो ठीक है। मेरा प्रश्न यह है...

श्री अध्यक्ष---आपने आज मुझसे शिकायत भी की थी कि घंटी नहीं सुनाई देती।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, वह शिकायत सभी को है जो कि समय पर यहां आना चाहते हैं और आप भी आज यहां पर ११ बजकर ५ मिनट पर पहुंचे। तो कोई खराबी है और हमको कमरा भी श्रीमन्, दूर दिया गया है। इसकी शिकायत हम आपसे कई बार कर चुके हैं और मैं पुनः निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमें कहीं पास में कमरा देने की व्यवस्था करें।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार बतायेगी कि अधिकतम ग्रान्ट किस स्कूल को दी गई, वहां कितनी तादाद थी और न्यूनतम ग्रान्ट किस स्कूल को दी गई, वहां कितनी तादाद थी ?

श्री रामस्वरूप यादव---नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह ग्रान्ट जो देते हैं वह किस आधार पर देते हैं, आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष---वह तो उन्होंने बता दिया।

श्री राजनारायण---क्या सरकार ने जो अभी उत्तर दिया कि तालिका मेज पर है, तो उस तालिका को देखकर के यह बताने की कृपा वह करेगी कि अधिकतम विद्यार्थी किस स्कूल में हैं और उसको कितनी ग्रान्ट दी गई ?

श्री अध्यक्ष---उसमें विद्यार्थियों की तादाद नहीं दी है, ग्रान्ट दी हुई है।

श्री राजनारायण---तो अधिकतम ग्रान्ट किस स्कूल को दी गई और न्यूनतम ग्रान्ट किस स्कूल को दी गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---२४ हजार रु० अधिकतम ग्रान्ट दी गई है विपिन बिहारी कालेज को और २,७७२ राष्ट्रीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो लिस्ट उनके पास है उसमें करीब-करीब समान विद्यार्थियों के रहते हुए भी कुछ ऐसे स्कूल हैं कि जिनमें सबसे ज्यादा ग्रान्ट दी गई है, उनका रिजल्ट सब से खराब रहा है और जिनको कम दी गई है उनका रिजल्ट ज्यादा अच्छा रहा है, कदम जी की सूचना के अनुसार ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप सूचना दे रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---मैं पूछता हूं कि यह बात क्या हकीकत है कि जहां ज्यादा मिला है वहां का रिजल्ट खराब रहा है और जहां कम मिला है वहां का रिजल्ट अच्छा रहा है?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, मैंने तो निवेदन किया कि परीक्षाफल दृष्टि में नहीं रहता जब अनुदान देते हैं। उसका उसूल तो मैंने बता ही दिया। उसके अतिरिक्त कौन-सा प्रापर चार्ज होता है उसका भी खयाल करते हैं, जैसे किसी ने अनट्रेन्ड अध्यापक रख लिया तो उसको अनुदान में लाया ही नहीं जाता। इस तरह से कुछ कमी-बेशी अनुदान में हो जाती है।

[११ अगस्त, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१–३—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—[८ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

राजकीय गर्ल्स हाई स्कूल, महोबा की महिला प्रिन्सिपल के विरुद्ध आरोपों की जांच

*४—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास इस आशय की शिकायत आई है कि अभी कुछ दिन हुए जब राजकीय गर्ल्स हाई स्कूल महोबा (हमीरपुर) की महिला प्रिन्सिपल ने ब्लैक होल की तरह एक बहुत ही तंग कोठरी में लगभग ४० छात्राओं को बन्द कर दिया था और उनके बहुत चीखने चिल्लाने पर भी सख्त गर्मी के होते हुए भी उनको काफी देर तक बन्द रखा था जिसके परिणाम स्वरूप लड़कियां बेहोश होकर गिरने लगी थीं और उनके कुछ संरक्षकों के आने पर उनको खोला गया था ? यदि हां, तो उन्होंने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव—हां, इस आशय की शिकायतें आई हैं। प्रादेशिक कन्या विद्यालय निरीक्षिका द्वारा जांच करने पर ज्ञात हुआ है कि राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महोबा की प्रधानाध्यापिका ने दन्ड स्वरूप ३६ बालिकाओं को जो शोर कर रही थीं, उनके दर्जे के कमरे (Class room) में ही , जिसकी नाप ११′ × ८′ है, बन्द कर दिया था। कोई छात्रा बेहोश नहीं हुई थी। यह भी असत्य है कि छात्राओं के कुछ संरक्षकों ने आकर दरवाजा खोला था। प्रधानाध्यापिका को इटावा स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

*५—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या शिक्षा मंत्री को पता है कि महोबा आने के पहले उक्त प्रिंसिपल महोदय के विरुद्ध अन्य स्थानों में भी लड़कियों के प्रति इसी प्रकार का दुर्व्यवहार करने की शिकायतें थीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—नहीं । ऐसी शिकायतें नहीं पायी गयी हैं ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स द्वारा इन्क्वायरी करने पर म्यूजिक मास्टर और अन्य अध्यापिकाओं ने क्या बयान दिया था ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, उस विषय पर रिपोर्ट सरकार के पास नहीं आ पायी । प्रादेशिक बालिका विद्यालय निरीक्षिका, इलाहाबाद की जो आख्या है वह डाइरेक्टोरेट में विचाराधीन है । मेरे पास नहीं हैं ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स की रिपोर्ट को बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—वह रिपोर्ट श्रीमन्, मैंने निवेदन किया, मेरे सामने इस वक्त नहीं है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस प्रिंसिपल के सिलसिले में कई और भी शिकायतें ऐसी पहले आ चुकी ह और वह शिकायतें इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स ने भी की हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—इससे पहले जिस विद्यालय में ये रही थीं वहां से कोई शिकायत नहीं आई ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी, जो कुछ भी जानकारी उनको इस प्रश्न के उत्तर प्राप्त करने में हुई है, उसके आधार पर बतलायेंगे कि बालिकाओं का क्या अपराध था जिससे उनको दंडित किया गया था ?

श्री रामस्वरूप यादव—जांच से यह मालूम हुआ है कि एक नेत्र विहीन संगीत के अध्यापक छठें दर्जे को पढ़ा रहे थे । उधर से राउन्ड पर प्रधान अध्यापिका गुजरीं तो उन्होंने देखा कि शोर वहां पर बहुत हो रहा है। उन्होंने लड़कियों को उसी कमरे में २५ मिनट तक रोक दिया । पानी पिलाने की व्यवस्था उन्होंने कर दी थी । केवल इसी वजह से उन्होंने उनको बन्द किया था । शोर की सजा इसी तरह से उन्होंने देना ठीक समझा था । इसके सम्बन्ध में जांच हो रही है और जांच की रिपोर्ट विभाग के विचाराधीन है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी उक्त महिला को वहां से हटाकर इसकी विशेष जांच करायेंगे ताकि सही तथ्य पर पहुंचा जा सके ?

श्री रामस्वरूप यादव—उनका स्थानान्तरण हो गया है । जांच भी हो गई है और जांच की रिपोर्ट भी आ गई है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की विशेष जांच करायेंगे कि यह ३६ बालिकायें जो वहां बन्द रहीं वह कितनी मिनट तक बन्द रहीं ? उन लड़कियों की स्थिति क्या थी ? अगर वह बेहोश नहीं हुई थीं तो क्या अन्य प्रकार से कोई शारीरिक त्रुटि भी आई थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—वह कमरे में २५ मिनट तक बन्द रहीं । बीच में पानी पीने के लिये खोल दिया गया था । कोई बेहोश हुई इस प्रकार की कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई और न कोई चोट आदि की ही रिपोर्ट आई है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बतलायेगी कि जब उसके पास रिपोर्ट आ गई है तो उक्त अध्यापिका के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही सरकार ने की है या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, सम्बन्धित अधिकारी दंड देते हैं । वह रिपोर्ट डाइरेक्टर के विचाराधीन है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस अध्यापिका के खिलाफ इस घटना के पूर्व भी गम्भीर शिकायतें रीजनल इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स को मिली थीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, मैंने उत्तर दिया कि महोबा जाने के पहले कोई शिकायत इस प्रकार की नहीं आई ?

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री महोदय उक्त महिला प्रिंसिपल का नाम बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—कुमारी जे० ई० पाल ।

परिवहन विभाग में ट्रैफिक सुपरिंटेण्डेण्ट का ग्रेड

*६—**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज विभाग में ट्रैफिक सुपरिन्टेन्डेन्ट के ग्रेड और स्टेशन सुपरिन्टेन्डेन्ट के ग्रेड में क्या अन्तर है तथा इसका अन्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है ?

श्री मुजफ्फर हसन—रोडवेज विभाग के ट्रैफिक सुपरिन्टेन्डैन्ट और स्टेशन सुपरिन्टैन्डेन्ट के ग्रेड में कोई अन्तर नहीं है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*७—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि वर्कशाप के फोरमैन को एक निश्चित इंजिन माइलेज पर विशेष पुरस्कार दिया जाता है। यदि हां, तो ट्रैफिक स्टाफ को जिन्हें दिन-रात भागना पड़ता है उन्हें निश्चित माइलेज पर विशेष पुरस्कार देने की व्यवस्था अब तक किन कारणों से नहीं हो सकी हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। वर्कशाप फोरमैन को हाई इंजिन लाइफ के लिये पुरस्कार दिया जाता है, जो इंजिन के माइलेज के हिसाब से तय किया जाता है। केवल ड्राइवरों को माइलेज के अनुसार पुरस्कार देने की व्यवस्था है। अन्य ट्रैफिक स्टाफ का इंजिन माइलेज से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

*८—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ट्रैफिक सुपरिन्टेन्डेन्ट को कोई पिक अप चेकिंग के लिये नहीं दी जाती, जब कि ए० जी० एम० को दी जाती है जिन्हें कभी-कभी ही काम पड़ता है ?

श्री मुजफ्फर हसन—ट्रैफिक सुपरिन्टेन्डेन्ट के लिये अलग कोई पिक अप नहीं दी जाती है। पर ऐसे आदेश हैं कि वह ए० जी० एम० की पिक अप जिस समय खाली है, महीने में दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं।

*९-१०—श्री झारखंडेराय—[८ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*११-१३—श्री शिवशंकरसिंह (जिला रायबरेली)—[८ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*१४—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—[८ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*१५-१६—श्री उग्रसेन—[८ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

परिवहन विभाग के गोरखपुर क्षेत्र में रीजनल सेलेक्शन कमेटी द्वारा क्लर्कों का स्थायित्व

*१७—श्री उग्रसेन—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १३ दिसम्बर, १९५६ को रीजनल सेलेक्शन कमेटी ने गोरखपुर रीजन में कितने जूनियर क्लर्कों को कब से कन्फर्म किया और उसकी घोषणा कब की ?

श्री मुजफ्फर हसन—१३ दिसम्बर, १९५६ को रीजनल सेलेक्शन कमेटी की कोई बैठक गोरखपुर में नहीं हुई। अतः प्रश्न नहीं उठता।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अगर १३ दिसम्बर, १९५६ को बैठक नहीं हुई तो उसके आसपास रीजनल सेलेक्शन कमेटी की बैठक गोरखपुर में हुई ?

श्री मुजफ्फर हसन—उसके आसपास तो नहीं हुई, लेकिन उस सन् में जरूर मीटिंग हुई थी।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि उस मीटिंग में कितने क्लर्कों के कन्फमशन की घोषणा की गयी ?

श्री मुजफ्फर हसन—दो मीटिंग्स हुई थीं अलग-अलग तारीखों में। एक १२, १३ फरवरी, १९५६ को और दूसरी ८ व १२ मार्च, १९५६ को जिनमें ७४ आदमियों को कन्फर्म किया गया।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वे क्लर्क जिस मीटिंग में कन्फर्म हुए उससे कितने दिन बाद उनके कन्फर्मेशन की घोषणा हुई ?

श्री मुजफ्फर हसन—पहली अप्रैल, सन् १९५६ को ।

श्री गौरीशंकर राय—कृपया मंत्री जी बतलायेंगे कि रीजनल कमेटी की बैठक में कन्फर्मेशन के लिये वलवर्स भर्ती होने के कितने दिन के बाद बुलाये जाते हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन लेटेस्ट बात यह है कि यहां से यह आदेश चले गये हैं कि कन्फर्मेशन के लिये अब रीजनल कमेटी की जरूरत नहीं है ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतलायेगी कि जिस तिथि से उनका कन्फर्मेशन किया गया उस तिथि से ही उनको तनख्वाह मिलेगी और कन्फर्मेशन की जो सहूलियतें और सुभीते होते हैं वह उनको मिलेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह रीजनल कमेटी जो डिसीजन देती है कन्फर्मेशन के लिये वह बाईंडिंग होता है या एडवाइजरी ?

श्री मुजफ्फर हसन—जो सिफारिश वह करती हैं वह मंजूर की जाती हैं ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि यह रीजनल सेलेक्शन कमेटी कभी कभी २, कभी ४ और कभी ६ साल के बाद क्लर्क्स को कन्फर्मेशन के लिये बुलाती है जब कि अगर कन्फर्मेशन नहीं होता तो उन मुलाजमीन की उम्र दूसरी नौकरियों के लिये खत्म हो जाती है ?

श्री मुजफ्फर हसन—मैं तफसील में तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं ने अर्ज किया कि अब यह सिस्टम बदल दिया गया है और कन्फर्मेशन के लिये रीजनल कमेटी की जरूरत नहीं है ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि रीजनल सेलेक्शन कमेटी ने जिस तारीख से उनके कन्फर्मेशन की घोषणा की, उस तारीख से उनका कन्फर्मेशन विभाग ने नहीं किया, बल्कि १ अप्रैल, १९५६ से किया ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुजफ्फर हसन—मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस बारे में मुझे सूचना नहीं है ।

*१८—श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—[८ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

अराजकीय विद्यालयों के सहायक अध्यापकों को ५५ साल की अवस्था में सेवामुक्त करने की शिकायत

*१९—श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि अराजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और कालेजों के सहायक अध्यापकों का ५५ साल के बाद प्रिंसिपलगण की तरह सेवा-काल बढ़ाने पर उसके द्वारा विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—अराजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिये अवकाश प्राप्ति की आयु, ६० वर्ष है । अतः जैसा प्रश्न में कहा गया है, ५५ वर्ष के बाद सेवा काल बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता ।

६० वर्ष की अवस्था हो जाने के बाद भी उनको एक वर्ष तक का सेवा विस्तरण देने का अधिकार शिक्षा निदेशक को है । उसके उपरान्त यदि शिक्षा निदेशक ने संस्तुति की तो शासन भी उनको अधिक सेवा विस्तरण दे सकता है ।

श्री विश्रामराय—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी को जानकारी है कि इस आदेश का समान रूप से पालन नहीं होता ? इसका पालन प्रिंसिपलगण के लिये तो होता है लेकिन सहायक अध्यापकों के लिये नहीं किया जाता है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, ऐसा नहीं है । ६० वर्ष के पहले किसी को रिटायर नहीं किया जा सकता । नियम ऐसा बना हुआ है । अगर कोई असरकारी विद्यालय ऐसा करता है तो उनको अधिकार है कि वे उसके लिये अपील कर सकते हैं और उसकी शिकायत कर सकते हैं । ६० वर्ष के बाद के लिये नियम यह है कि अगर जाहिरा स्थिति उनकी अच्छी हो और कार्य और परीक्षाफल अच्छा रहा हो और प्रबन्ध समिति ने सिफारिश की हो तो डाइरेक्टर एक साल का एक्सटेंशन दे सकता है और अगर एक साल के बाद भी बढ़ाना चाहते हैं तो प्रबन्ध समिति का प्रस्ताव आना चाहिये और सर्टिफिकेट आना चाहिये कि वह जाहिरा काबिल हैं, शिक्षा दे सकते हैं, तब सरकार को अधिकार है एक्सटेंशन देने का ।

श्री राजनारायण—श्रीमान्, ६० साल तक के लिये तो सामान्य नियम है, फिर उसके बाद एक साल तक और बढ़ाया जा सकता है, उसके बाद यदि वहां के प्रबन्धक या इन्सपेक्टर आफ स्कूल यदि चाहे तो शासन और अवधि बढ़ा सकता है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर कितनी अवधि तक शासन बढ़ा सकता है, इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई निर्णय लिया है ?

आचार्य जुगल किशोर—इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यद्यपि कोई सीमा नहीं है किन्तु हमने यह निश्चय कर लिया हैकि तीन वर्ष के बाद, सीमा-विस्तरण नहीं किया जायगा और इसी नीत पर कार्य होता है। तीन वर्ष तक बढ़ाने की नीति निर्धारित कर ली है।

श्री मोतीलाल अवस्थी— क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसके पास कुछ इस बात की शिकायतें आई हैं कि कुछ अध्यापकों को ५५ वर्ष के बाद ही रिटायर कर दिया गया है और इस नियम का पालन नहीं किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस सम्बन्ध में इस समय तो स्मरण नहीं है, अगर कोई शिकायत माननीय सदस्य लिख कर देते हैं तो उस बारे में हम देख लेंगे।

लखनऊ विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन की कार्यकारिणी के विरुद्ध श्री गौरीशंकरराय द्वारा की गई शिकायत के संबंध में विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन†

श्री अध्यक्ष—अब माननीय उप-गृहमंत्री जी सदन के सामने विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से लखनऊ यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसियेशन की कार्यकारिणी के विरुद्ध श्री गौरी शंकर राय द्वारा की गई शिकायत पर बिशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमन्, यदि आप की आज्ञा हो तो मैं समिति की जो सिफारिश है उसे ही पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, समिति के रेकमेंडेशन को ही आप पढ़ दें।

श्री नवलकिशोर—अध्यापकों ने जो लिखित बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि उनका सदन और सदन के सदस्यों के अपमान का इरादा नहीं था। इससे यह सिद्ध हो जाता

---

†छापा नहीं गया।

है कि टीसर्स एसोसियेशन के अध्यापकों ने वह संकल्प जल्दी-जल्दी में बिना सोचे-बिचारे एक उत्तेजित और मानसिक अवस्था में स्वीकार किया था। अतः समिति सदन से सिफारिश करती है कि सदन के अपमान के बावजूद भी इस मामले को यहीं समाप्त कर दिया जाय और विश्वविद्यालय के अध्यापकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, नियम ७० के अनुसार मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस रिपोर्ट पर २१ अगस्त के बाद जब हम लोग बैठें तो किसी दिन विचार किया जाय, और उसके लिये जो तिथि आप ठीक समझें, मुकर्रर कर दें।

श्री अध्यक्ष—मैं इस पर विचार करके कोई तारीख मुकर्रर कर दूंगा।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमान्, मेरी गुजारिश तो सुन ली जाय।

श्री अध्यक्ष—कहिये, आपको क्या कहना है?

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, नियम ५२ के अनुसार मैंने एक प्रश्न दिया था, लेकिन उसपर आपने कुछ गौर नहीं किया। गौर भी कैसे करें, आप तो नेताओं के चक्कर में रहते हैं। श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि ये नेता आपको चैन नहीं लेने देते। नादिरशाही खत्म हो गई, नवाबशाही खत्म हो गयी, राजाशाही खत्म हो गयी लेकिन यह नेताशाही कब खत्म होगी? जब तक यह नेताशाही खत्म नहीं होगी, तब तक हिन्दुस्तान चैन की सांस नहीं ले सकता .....

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठें।

श्री टीकाराम पुजारी—मेरा निवेदन तो सुन लिया जाय। वहां तो दो डुगडुगी हैं। बाहर तो उनके दो सिद्धांत हैं और यहां चार सिद्धांत हैं। बाहर जाकर कहते हैं कि जनसंघ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और रामराज्य परिषद् के साथ हमारा कोई पैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन परसों कैसे पैक्ट हो गया, जो सभी विरोधी पार्टी वाले अविश्वास के प्रस्ताव पर एक हो गये? यदि बिरोधियों की भावना सही है और यदि इसी तरह का सहयोग सन् ६२ के एलेक्शन में भी रहा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह सरकार सन् ६२ में जिन्दा नहीं रह सकेगी।

श्री अध्यक्ष—अब आप आगे न बोलें, वरना मुझे कोई कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, ये देश के लिये घातक है। यदि आप मुझे न बोलने के लिये कहते हैं तो इनको भी चुप रहने के लिये कहें।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह बहुत अनुचित बात है कि ये ऐसे ही रोज बोलते हैं। ऐसी स्थिति में अब मुझे फिर कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा।
(श्री पुजारी से) अब आप न बोलें।

श्री टीकाराम पुजारी—तो इन सब को भी चुप रहने के लिये कहें।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—बाढ़ सम्बन्धी एक प्रश्न नियम ५२ के अनुसार मेरे पास विचारार्थ आया है। जिस रोज बाढ़ के बारे में माननीय मंत्री जी वक्तव्य देंगे, उस रोज वह आयेगा। २४ तारीख तक अब सब प्रश्न, जिन पर वक्तव्य देने थे, मैंने मुकर्रर कर दिये हैं। तो अब कोई

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न ऐसा नहीं रह गया है जिसके लिये अभी कोई तारीख मुकर्रर की जा सके। मैंने और तो कोई बहुत महत्व के समझें नहीं हैं---एक प्रताप सिंह जी का है, एक राजनारायण जी का है, इनको अगर देना है तो २१ तारीख को, अगर वह समझें कि उसका महत्व रह गया है, तो फिर से दें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---शायद आज ही उत्तर दे दे सरकार..

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---मेरा कामरोको प्रस्ताव था, कल दिन साढ़े तीन बजे स्थगित हो गया....

श्री अध्यक्ष---मैं इतना कह देना चाहता हूं कि वह कामरोको प्रस्ताव का तो विषय नहीं हो सकता। सदन में कोरम न हो तो हम उठ जाते हैं। उसमें जानबूझ कर किसी का दोष हो, यह बात नहीं है क्योंकि सदन ने यह निश्चय किया था कि जो विधेयक लाज अमेन्डमेंट वाला था वह एक दिन चलेगा, यानी आज तक चलने वाला था....

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मेरा कहना...

श्री अध्यक्ष---आप बाद में कहियेगा। तो उसमें यह था कि आज तक चलेगा, लेकिन वह १० मिनट में ही खत्म हो गया। उस वक्त यह अन्दाजा कभी नहीं था कि दूसरा ले लिया जायगा। यद्यपि यह सही है कि यह अन्दाजा नहीं लग सकता था, लेकिन मैं सरकार से कहूंगा कि हर तरह की कंटिंजेंसी के लिये उसको तैयार रहना चाहिये। यह भी तो हो सकता है कि हम एक दिन के लिये विधेयक पर बहस तय करें और १५ मिनट में ही वह खत्म हो जाय। हम तो अधिक से अधिक समय तय करते हैं कि इतना लगेगा, लेकिन यह भी हो सकता है कि जल्दी खत्म हो जाय। अगर सदन की इच्छा नहीं है कि बहस हो तो वह जल्दी खत्म हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि इस तरह की चीज जिसमें कि सदन का समय व्यर्थ चला जाय, आइन्दा नहीं होगी और माननीय शिक्षा मन्त्री भी इस बात का खयाल रखेंगे।

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)---अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि कल मेरी और उप-मंत्री जी की गैरहाजिरी के कारण सदन का कार्य स्थगित करना पड़ा। उसका कारण आपने अभी बतला दिया कि हमें यह बतलाया गया था कि कल का जो कार्यक्रम था वह सारे दिन रहेगा, उसी बिल पर विचार होगा। इस बात को मैं मानता हूं और आगे के लिये हम सचेत रहेंगे कि अगला बिल जो आने वाला हो, उसके लिये तैयार रहें। सरकार की तरफ से, जो भी मंत्री उससे सम्बन्ध रखते हों, वह मौजूद रहें, आगे के लिये इस बात की कोशिश की जायगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश विधि (संशोधन) विधेयक के लिये पूरा दिन दिया गया था, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा कि मैं स्वयं संशोधन प्रस्तुत कर रहा था, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं किया गया और शायद तीन-चार मिनट ही बोल पाया था कि मुझे एक रूलिंग से बैठा दिया गया और मुझे उस रूलिंग के विरोध में सदन का परित्याग भी करना पड़ा। फिर मैं समझता हूं कि सदन में किसी ने उस विधेयक पर रुचि नहीं दिखाई और वह ५ मिनट में ही समाप्त कर दिया गया। तो इस घटना की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाता हूं।

श्री अध्यक्ष---अगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सभापति जो भी इस स्थान पर हों, वह यह समझते हैं कि आप कोई असंगत बात कह रहें हैं तो वह रोक सकते हैं और यदि आप नाराजी से बैठ गये तो उसमें किसी का क्या दोष है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---यही तो दुर्भाग्य है कि किसके आगे रोवें। जब कोई सुनने वाला हो तो उसके आगे रोया जाय। मैंने तो कई बार लिख कर दिया कि यहां पक्षपात होता है और.....

श्री अध्यक्ष—मैं यह नहीं मानता,आप कृपया बैठिए ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, अभी दफा ५२ के लिये जो २१ तारीख की बात कही आपने वह तो शिरोधार्य है, लेकिन मंत्री जी से कह दें कि फर्रुखाबाद में सेल्फ-डिफेन्स के नाम पर एक दारोगा ने फायर किया और एक गांव का आदमी मर गया....

श्री अध्यक्ष—आप शार्ट नोटिस क्वश्चन दे दें तो जवाब मिल जायगा....

श्री प्रतापसिंह—मैं स्टेटमेंट नहीं चाहता हूं, वह हिदायत तो भेज दें.....

श्री अध्यक्ष—मैं कहता हूं कि मुझसे ज्यादा काम आप कर सकते हैं। मैं लिखूं तो शायद इतनी इम्पार्टेन्स न हो जितनी कि आपके लिखने से होगी, क्योंकि आपको उसकी जानकारी है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, नियम ५२ में एक प्रश्न मैंने दिया था जो सम्भवत: ४ तारीख को मंजूर हुआ था और आपने कहा था कि मंत्री जी ११-८-६१ को बयान देंगे । हाटा के पास जो पुल था....

श्री अध्यक्ष—वह मुल्तवी हो गया क्योंकि मंत्री जी ने प्रार्थना की कि उनको किसी आवश्यक काम से बाहर जाना पड़ रहा है। इसलिये ११ को न रख कर २४ को रख दिया है। आज दो प्रश्न थे, दोनों २४ तारीख के लिये रख दिये गये।

विधेयकों के विलम्ब से वितरण पर आपत्ति

*श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है कि अब अक्सर हाईकोर्ट में ऐक्ट्स अल्ट्रावायर्स हो रहे हैं, जितने कि पहले नहीं हुआ करते थे। इसका कारण मैं समझता हूं यह है कि जो पूरी सेवा हमको करनी चाहिये थी उससे हम वंचित रह जाते हैं। आपने भी कई दफा कहा कि बिल पहले से मिल जायं ताकि हम लोग उनको अच्छी तरह से स्टडी कर सकें। साढ़े ५ बजे हमको बिल मिलते हैं और अगले ही दिन उन पर बहस होने को होती है, नतीजा यह होता है कि हम उनको अच्छी तरह देख भी नहीं सकते।

दूसरी व्यवस्था यह चाहता हूं कि यह कौन-सी नई पद्धति हो गई कि एक बिल के द्वारा ८, १० ऐक्ट्स एक साथ अमेंड किये जायं? कल विधि विधेयक के नाम से ऐसा ही हुआ। तो इतने सारे विधेयक कैसे और कब देखें इतने कम समय में? इससे तो यही जाहिर होता है कि सरकार विधेयक पेश करके एक नाटक सा खेला करती है और उसके साथ हम जस्टी-फिकेशन भी नहीं कर पाते। इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा—आज तक जो कुछ हुआ सो हुआ, कम से कम आइन्दा ऐसा न हुआ करे। कानून में कोई गोपनीयता तो होती नहीं, उस पर जितना अध्ययन और विचार हो सके उतना ही प्रदेश और सरकार के हित में होता है। लेकिन सरकार विधेयकों को सी० आई० डी० की रिपोर्ट की तरह चुपके से शार्ट नोटिस पर इंट्रोड्यूस करती है। इसलिये आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें।

श्री अध्यक्ष—आपका कहना बहुत कुछ अंश में सही भी है कि बिल देर से आते हैं और स्टडी करने का मौका नहीं मिलता । मैंने भी सरकार का ध्यान २, ४ दफा इस ओर दिलाया है और कार्य-मंत्रणा-समिति ने अबकी मर्तबा सख्ती भी की। यदि बिल ५, ६ दिन पहले आ जायं तो स्टडी करने का मौका भी रहे।

दूसरी बात जो माननीय गोविन्द सिंह जी विष्ट ने उठायी उसका जवाब आज नहीं दिया जा सकता कि क्या इस प्रकार की प्रथा रही है कि एक ही विधेयक से ८, १० ऐक्टों को संशोधित किया गया हो। पहले मैं इसको देख लूंगा कि ऐसी प्रथा रही कि नहीं, या यह नई प्रथा हो रही है, तब जवाब दूंगा। माननीय सदस्य भी तथा मंत्री जी भी इसको स्टडी कर लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न्याय मंत्री (श्री हुकुर्मासिह विसेन)—जहां तक मेरी जानकारी है एक बिल में मुख्तलिफ ऐक्ट्स को अमेंड पहले भी किया गया है, वैसा ही कल किया गया।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, आप मुझे देख कर बतायें ।

इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक के संबंध में जानकारी

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, अब इंटरमीडिएट (संशोधन) विधेयक आवेगा कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष—उसके लिये भी तारीख मुकर्रर कर दी है ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—कभी-कभी ऐसी खबर सुनने में आती है कि वह विधेयक नहीं आयेगा ।

श्री अध्यक्ष—शिक्षा मंत्री जी बतायें कि वह विधेयक आयेगा कि नहीं ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुर्मासिह विसेन)—२७-२८ तारीख को वह विधेयक आयेगा।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—अब देखिये अध्यक्ष महोदय, सारा कार्यक्रम इस प्रकार रद्द होता है। सरकार जरा कुछ सोच समझ कर करा करे ।

एक सदस्य—२७ को छुट्टी है।

श्री हुकुर्मासिह विसेन—तो २८ को आयेगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनाओं को कुछ दिनों के उपरान्त कार्य-सूची में रखने पर आपत्ति

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—अध्यक्ष महोदय, अपनी नियमावली के नियम ५२ को आप देखें जिसमें किसी अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर ध्यान आकर्षित करने की व्यवस्था है। आपने एक समय के लिये ऐसी व्यवस्था कर दी थी जब २, ४ दिन बढ़ा दिये जायं। मगर मैं देखता हूं अगर अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है और आपने उसको मान्यता दी और यदि सरकार १५, २० दिन का समय ले ले कि हम इस पर रपट मंगायेंगे या अपनी सुविधा के मुताबिक बयान दे देंगे, मैं समझता हूं कि इस नियमावली की मंशा के यह बिलकुल विरुद्ध है, अगर सरकार को इस प्रकार कार्य करने की आज्ञा प्रदान की जायगी।

एक बात और जानना चाहता हूं कि कोई सदस्य जो अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय पर मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हो ऐसे विषय की उस दिन के उपवेशन के आरम्भ से आध घंटे पूर्व जिस दिन वह विषय उठाना चाहता हो, द्विप्रतिक सूचना देगा। तो वह द्विप्रतिक सूचना हमें देना चाहिये, वह हम देते ही हैं। "सचिव सूचना की एक प्रति सम्बन्धित मंत्री को भेज देगा" । और, "यदि अध्यक्ष उक्त विषय को उठाने के लिये अपनी अनुमति दे दें तो यह कार्य प्रश्नों के उपरान्त और कार्य-सूची आरम्भ करने से पूर्व किया जायगा ।" यानी अध्यक्ष ने यदि अनुमति दे दी तो यह काम किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—आप आगे पढ़िये ।

श्री राजनारायण—वह तो मैं पढ़ रहा हूं। मैं कोई चीज छिपाना नहीं चाहता, "मंत्री संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेंगे या किसी भावी समय या तिथि पर वक्तव्य देने के लिये समय मांग सकेंगे"। तो जो विषय आपने २१ या २२ के लिये रखा कि उस दिन लिया जायगा तो आपने अगर उसको पढ़ दिया होता और मंत्री आपसे यह निवेदन करता कि साहब हम उस दिन इस पर वक्तव्य नहीं दे पायेंगे और हम उसके लिये समय मांगते हैं तब तो एक दिन या दो दिन, जैसा आप उचित समझते, दे देते, मगर मंत्री ने अपनी असमर्थता नहीं प्रकट की लेकिन आपके द्वारा व्यवस्था हो गयी कि २ दिन या १ दिन के बाद हो जाये। मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर मंत्री ने वक्तव्य के लिये और कोई दिन नहीं मांगा और हम उसको महत्वपूर्ण समझते हैं और जनता उसको महत्वपूर्ण समझती है और अगर आप उसको इस तरह से कर देंगे तो फिर वह कैसे आ पायेगा।

श्री अध्यक्ष—नियमों में अगर आप देखें तो यह भी लिखा हुआ है कि एक ही विषय एक रोज लिया जायगा। मैंने यह समझा कि चूंकि यह सदन दो-तीन महीने के बाद बैठ रहा है और यहां पर बहुत से विषय आ गये हैं तो अगर एक लेने पर अन्य रोज के रोज खारिज होते जायेंगे और एक-एक को रोज लिया जायगा तो उसका परिणाम यह होगा कि रोज-रोज लोगों को नोटिस फिर से देने की तवालत होगी। इसलिये मैंने सभी महत्वपूर्ण विषयों पर आज्ञा एकदम दे दी कि मैं तारीख मुकर्रर कर दूंगा, फिर उनमें से एक-एक रोज ले लिया जायगा।

श्री राजनारायण—फिर तो अविलम्बनीय क्या रहेगा?

श्री अध्यक्ष—अगर अविलम्बनीय नहीं रहा तो माननीय सदस्य वापस ले लें, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं एक से ज्यादा नहीं लूंगा। लेकिन इस सहूलियत से दो-दो और तीन-तीन तक विषय एक ही दिन में लिये गये हैं। यह नियम के अनुसार तो बिलकुल नहीं है, लेकिन मैंने सहूलियत के लिये यह व्यवस्था कर दी और इस चीज को सदन से पूछ कर किया है। इसलिये मंत्री जी से पूछने की आवश्यकता यों नहीं थी कि वह जो वक्तव्य देंगे, यहां देंगे, क्योंकि मैंने तारीख मुकर्रर कर दी, और अगर वह नहीं दे सकते तो सूचना देंगे कि वह उस रोज नहीं दे सकते किसी और रोज देंगे, तो उसको दूसरे रोज कर देता हूं। लेकिन हर प्रश्न पर, जिसे माननीय सदस्य अविलम्बनीय महत्व के समझते हैं, उस पर वे चाहते थे कि कुछ सूचना उनको मिल जाय। इसलिये मैंने उनकी सहूलियत के लिये सदन से पूछकर ऐसी व्यवस्था कर दी। इसमें मैं केवल नियमों के आधार पर चल रहा हूं ऐसी बात नहीं है, सहूलियत के आधार पर सदन की राय से चल रहा हूं।

श्री राजनारायण—आज एक भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—अभी आप बैठिये, मैंने प्रतापसिंह जी को बुला लिया है।

कार्यक्रम में परिवर्तन पर आपत्ति

*श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम २५ की तरफ दिलाना चाहता हूं। इसमें कहा गया है:—

"असरकारी सदस्यों के कार्य के लिये नियत दिनों को छोड़ कर अन्य दिनों में अध्यक्ष की सम्मति के बिना सरकारी कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं लिया जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रतापसिंह]

सचिव उस कार्य का विन्यास ऐसे क्रम में करेगा जैसा कि अध्यक्ष सदन–नेता के परामर्श से विनिश्चित करें :

परन्तु अध्यक्ष सदन–नेता के परामर्श से कार्य के क्रम में परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकेंगे।"

मान्यवर, अब आप ने कह दिया कि मैंने इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक के लिये दिन निश्चित कर लिया है। आपको कार्यक्रम निर्धारित करते समय नेता सदन को पूछने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर सरकार किसी भी कार्यक्रम में परिवर्तन करेगी तो उसे आपको पूछना पड़ेगा। अगर आप कार्यक्रम में परिवर्तन करेंगे तो आप को नेता सदन को नहीं पूछना पड़ेगा। जो कार्यक्रम हमारे सामने आया है वह केवल ४३१ आदमियों के लिये ही नहीं है बल्कि जितनी भी इस प्रदेश की जनता है उस के लिये आया है। इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक बराबर तीन दिन से कार्यक्रम में आ रहा है और आपने तारीख भी निश्चित कर ली थी और आज आप कहते हैं कि यह विधेयक २७ और २८ तारीख को लिया जायेगा। इसके माने यह हैं कि हम और आप सरकार की राय पर काम करते हैं। मान्यवर, हम और आप जनता के राइट्स के कस्टोडियन हैं। जो सरकार का कार्यक्रम है वह हमें शिरोधार्य नहीं है, हमें वही शिरोधार्य है जो आप निर्धारित करते हैं और वही सरकार को भी शिरोधार्य होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—क्या आपने असरकारी दिवस के लिये भी पढ़ा है ?

श्री प्रतापसिंह—मैंने सरकारी कार्य के बारे में भी पढ़ा है जो कि नियम २३ में है और असरकारी दिन के बारे में भी पढ़ा है जोकि नियम २५ में है।

श्री अध्यक्ष—आप आगे भी पढ़िये।

श्री प्रतापसिंह—मैं नियम २३ पढ़ देता हूं :

"(१) सचिव प्रत्येक दिन के कार्य की एक सूची तैयार करेगा और उसकी एक प्रतिलिपि प्रत्येक सदस्य के प्रयोग के लिये उपलब्ध की जायेगी।

(२) जब तक कि इन नियमों में अन्यथा उपबन्ध न हो, अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना किसी बैठक में कोई ऐसा कार्य न लिया जायेगा जो उस दिन की सूची में सम्मिलित न हो।

(३) जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निदेश न करें कोई ऐसा कार्य जिस के लिये सूचना की आवश्यकता हो, अपेक्षित सूचना की अवधि पूरी होने से पहले साधारणतया किसी दिन की कार्य-सूची में नहीं रखा जायेगा ।"

श्री अध्यक्ष—२५ में दिया हुआ है कि असरकारी सदस्यों के कार्य के लिये नियत दिनों को छोड़ कर अन्य दिनों में अध्यक्ष की सम्मति के बिना सरकारी कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं लिया जायेगा। परन्तु अध्यक्ष सदन के नेता के परामर्श से कार्य के क्रम में परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकेंगे। इसके आगे है कि प्रत्येक सप्ताह के प्रथम कार्य दिवस पर जब सदन समवेत हो, सदन के नेता अथवा मंत्रि परिषद् का कोई सदस्य प्रश्नों के उपरान्त सदन को उस सप्ताह में किये जाने वाले कार्य की सूचना देगा ।

नियम २३ में यह है कि जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निदेश न करें कोई ऐसा कार्य जिस के लिये सूचना की आवश्यकता हो, अपेक्षित सूचना की अवधि पूरी होने से पहले साधारणतया किसी दिन की कार्य-सूची में नहीं रखा जायेगा।

अब आप जो सूचना दे रहे हैं वह १०, १५ दिन पहले की दे रहे हैं। इसलिय आप का प्रश्न वैधानिक नहीं है। अतः आप बैठ जायं। जो तारीख निश्चित हुई है वही तय कर दी गयी है। अब वे इसमें परिवर्तन चाहते हैं। मैंने पूछा भी था कि इस को २१ तारीख को ले लिया जाय और अगर उस दिन नहीं लिया गया तो आज नहीं लिया जा सकता है क्योंकि आज असरकारी दिवस है। सरकारी कार्य के लिये दिन निश्चित हैं वे जिस रोज चाहें उस रोज प्रार्थना कर सकते हैं कि इस कार्यक्रम को ले लिया जाय। लेकिन नोटिस उचित समय का देने के लिय मैं उन को रोक सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि कम स कम तीन रोज का वह नोटिस द और मुझसे इजाजत मांग। अगर तीन दिन का नोटिस नहीं देंगे तो मैं कह सकता हूं कि वह कार्यक्रम नहीं लिया जायगा। लेकिन मेरी अनुमति से कम दिन का नोटिस भी दे सकते हैं। परन्तु मैं बतलाना चाहता हूं कि मैं यह निश्चित नहीं करता हूं कि सरकारी कार्यक्रम अमुक दिन नहीं लिया जायेगा, यह तो सरकार ही निश्चित करती है।

श्री प्रतापसिंह—आइन्दा हम आप का समय नष्ट नहीं करेंगे। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार आपसे पूछ कर कार्यक्रम निश्चित कर सकती है?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मेरी एक थोड़ी-सी दिक्कत ह, जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सरकार कार्यक्रम में अपने आप हेरफेर क्यों कर लेती ह? यह इस अधिवेशन की बात ही नहीं है, बल्कि देखता हूं कि हर अधिवेशन में ऐसा होता है। एक कार्यक्रम हमको शुरू में मिलता है, उसके बाद हमको दूसरा संशोधित कार्यक्रम मिलता है, तो इस पर मुझे एतराज है। मेरा यह कहना है कि बिना आपकी इजाजत यह कार्यक्रम क्यों बदल दिया जाता है। इन्टरमीडिएट बिल पर पहले एक तारीख मुकर्रर की गयी, उसके बाद दूसरी मुकर्रर की गयी। अब मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह तारीख भी कायम नहीं रहेगी। क्योंकि २७, २८ को शायद कुछ और है। २७ को तो छुट्टी है और २८ तारीख को सप्लीमेन्टरी बजट लिया जायगा। तो इससे यह मालूम होता है कि यह तारीख भी बदली जायगी। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप सरकार से इस बात को कहें कि वह अपने दिमाग में सुधार करे।

श्री अध्यक्ष—इस पर मैं विचार करके बतलाऊंगा।

श्री राजनारायण—मैं इस व्यवस्था का स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—व्यवस्था बहुत हो चुकी, अब कुछ नहीं होगा।

श्री राजनारायण—माननीय प्रतापसिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह अभी साफ नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष—साफ हो गया है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जब एक कार्यक्रम सदन में आ जाता है तो वह क्या बिना अध्यक्ष की अनुमति के सरकार उसको बदल सकती है और उसकी घोषणा सदन में कर सकती है? प्रश्न तो यह है कि पहले इस सदन में २१ तारीख की घोषणा की गयी, उसके बाद अब २८ तारीख की घोषणा की गयी है, इसके लिये आप की अनुज्ञा नहीं ली गयी। तो इसमें आपके गौरव और सम्मान का प्रश्न आ जाता है। अगर आपके गौरव और सम्मान की रक्षा होगी तो इस सदन के गौरव और सम्मान की रक्षा भी हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसमें सरकार अपनी सीमा को समझती है। २७, २८ जो कह दिया है, उससे प्रश्न हल नहीं होता है। इसमें २१ लिखा हुआ था। उस पर कुछ लोगों में शंका प्रकट की।

श्री राजनारायण—शंका तो २७, २८ पर है।

श्री अध्यक्ष—आप बीच में बोल कर श्री अध्यक्ष की प्रतिष्ठा के खिलाफ बात कर रहे हैं। इसलिये आप बैठ जायं।

यह जो २१ तारीख रखी गयी थी यह मुझसे पूछकर रखी गयी थी। २८ तारीख के बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है, अभी कोई निश्चय नहीं हुआ है। २१ तारीख के बारे में कहा है कि वह इससे असहमत है। अब जो तारीख आगे निश्चय होगी उसको मैं निश्चय करूंगा। उपनेता सदन को मैं बतलाना चाहता हूं कि अब जो तारीख मुकर्रर होगी उसका निर्णय मैं करूंगा। २८ तारीख को सप्लीमेन्टरी बजट लिया जायेगा। इसमें मेरे बगैर पूछे परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसके बाद अगर कोई तारीख होगी तो उसका अन्तिम निर्णय मैं ही दूंगा। सरकार की तरफ से जो कुछ कहा गया है, वह घोषणा नहीं है।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—यह तो मेरा सुझाव ही था।

श्री अध्यक्ष—जी हां, यह सुझाव ही रहेगा।

पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी सेवाओं में तीन साल आयु की छूट देने के संबंध में संकल्प—(क्रमागत)‡

श्री अध्यक्ष—श्री श्यामलाल यादव जी का जो प्रस्ताव है, उस पर अब श्री रामवचन यादव बोलेंगे।

*श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, जो श्री श्याम लाल जी का प्रस्ताव है, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। हमारा देश जब आजाद हुआ तो हमारे संविधान की धारा १६ (४) में यह व्यवस्था हुई कि प्रदेशीय सरकार अगर चाहे तो पिछड़े वर्ग के लिये, यदि सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व उचित न हो, तो उसके लिये संरक्षण कर सकती है। किन्तु इस प्रस्ताव में संरक्षण का तो सवाल ही नहीं है, महज प्रश्न यह है कि ये लोग पिछड़ कर पढ़ने जाते हैं विद्यालयों में और जब पढ़ कर निकलते हैं तो उनकी उम्र और लोगों के मुकाबले में ज्यादा हो चुकती है। मान लीजिये किसी नौकरी में २१ साल की उम्र का प्रश्न है और इनको पढ़ते पढ़ते २२वां साल लग गया तो उस इम्तहान में नहीं बैठ सकते, चाहे फर्स्ट डिवीजन में भी क्यों न पास हों। इसी तरह से सर्विस एज है २५ साल। अब चूंकि ये पिछड़ कर पढ़ते हैं तो जब एम० ए० पास किया तो २६ साल की उम्र हो गयी, इसलिये वे कम्पटीशन में नहीं बैठ सकते चाहे फस्ट डिवीजन में ही क्यों न पास किया हो। इसलिये पिछड़ेपन को मिटाने के लिये यह आवश्यक है कि उम्र में तीन साल की छूट इनको दी जाय। ऐसी छूट और वर्गों को दी गयी है और इसी सरकार ने इस वर्ग को भी पुलिस विभाग में यह छूट दे रखी है। इसलिये यह प्रस्ताव स्वीकार होना चाहिये। और इसमें सरकार का कोई खर्चा भी नहीं है। इसके अलावा हमारे संविधान में भी ऐसी व्यवस्था है और बैकवर्ड क्लासेज कमीशन ने भी इसका समर्थन किया है जो काका कालेलकर की अध्यक्षता में बना था, जो गांधी जी के तपे तपाये शिष्य थे। इसके अलावा हमारे देश के जो महान और आदरणीय नेता थे पंडित गोविन्द वल्लभ पंत, वे जब यहां के मुख्य मंत्री थे तो २३ अगस्त को पिछड़े वर्ग के संबंध में इसी सदन ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया था कि एक नीति इस वर्ग के बारे में निर्धारित की जाय और उसी के अनुसार हमारे प्रदेश के एक बड़े विद्वान डाक्टर संपूर्णानन्द जी जब पुलिस मंत्री थे तो उन्होंने सब-इंस्पेक्टर की जगह के लिये पिछड़े वर्ग को तीन साल की छूट उम्र में दी थी।

---

‡५ मई, १९६१ की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके अलावा पिछड़े वर्ग के लोगों की गजटेड अफसरों में क्या संख्या है, इस बारे में श्री राम नन्दन सिंह, एम० एल० सी० ने कौंसिल में एक प्रश्न किया था उसके जवाब में यह आया था कि सन् १९४६ में जब अंग्रेजी राज्य यहां था तो हरिजन गजटेड अफसर १६ थे, अन्य पिछड़ी जातियों के ३४ और कुल संख्या गजटेड अफसरों की थी इस प्रदेश में ३,३०२ । ३१ जुलाई, १९५५ में अनुसूचित जाति की संख्या हो गयी १६ से बढ़ कर ७० । यह तो बड़ी खुशी की बात हुई कि उनका नम्बर कुछ बढ़ गया । लेकिन अन्य पिछड़ी जातियों के गजटेड अफसरों की संख्या ३४ से घट कर २५ रह गयी, यानी कम हो गयी जब कि कुल गजटेड अफसरों की संख्या ३,३०२ से बढ़ कर ५,२८० हो गयी । गजटेड आफिसर्स की संख्या तो बढ़ी और इनकी कम हो गई और श्रीमन्, परसेंटेज देखिये क्या है ? शेड्यूल्ल कास्ट का १.४३ और बैकवर्ड क्लास का ·४ है । इससे प्रतीत होगा कि इनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है । संविधान में कहा गया है कि अगर इनका प्रतिनिधित्व उचित न हो तो उनका रिजर्वेशन कर दिया जाय और कई प्रदेशों में किया गया है । जिनकी संख्या ५० प्रतिशत से भी ज्यादा है उनका प्रतिनिधित्व केवल ·४ है । इसलिये संविधान के अनुसार इनका रिजर्वेशन होना चाहिये । यदि नहीं होता है तो संविधान की अवहेलना की जा रही है । इसलिये मैं जोरदार शब्दों के साथ कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत ही छोटा-सा प्रस्ताव है और इसको मानने में किसी को हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये ।

दूसरे आजकल लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरियों में जाने से इनका क्या फायदा है, जब कि कहा गया है कि "उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, भीख निदान ।" मैं मानता हूं कि यह चीज उत्तम है। लेकिन हमारे प्रदेश में दुर्भाग्य की बात है कि जो जाति हमारे यहां उत्पादन करने वाली है और मेहनत करके पैसा पैदा करती है वह बेइज्जती की निगाह से देखी जाती है । वह चारपाई पर नहीं बैठ सकता है और ऐसे बूढे आदमी को एक बालक भी नमस्ते तक करने को तैयार नहीं होता है । कारखाने आदि में जो मेहनत से काम करके पैसा पैदा करता है उसको इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता है और जो मामूली से मामूली सरकारी नौकर है या दुकानदार है वह इज्जत वाला है । इसीलिये लोग सरकारी नौकरी के लिये बड़ी बड़ी सिफारिश पहुंचाते हैं कि मेरा लड़का सरकारी नौकर हो जाय । इसलिये भी जिनके पास कोई सिफारिश नहीं है, जिनके बाप दादे पढ़े नहीं हैं, अगर उनको मेहनत से पढ़ने के कारण फर्स्ट डिवीजन मिलती है और उम्र निकल जाने के कारण वह प्रतियोगिता में नहीं बैठ पाता है, यह अनुचित ह । यदि इस प्रस्ताव को मान लिया जायगा तो इससे सामाजिक स्तर ऊंचा उठेगा । मैंने देखा है कि देहात में अगर कोई शेड्यूल्ड कास्ट का अफसर हो जाता है तो उस वर्ग के लोग उत्साहित होते हैं और सरकार को धन्यवाद देते हैं और समझते हैं कि हमारा स्तर ऊंचा उठ रहा हैं । इसलिये सरकारी नौकरियों में इनके आने से सामाजिक स्तर ऊंचा उठेगा ।

शिक्षा के संबंध में भी हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों से पिछड़ा हुआ है । इसलिये कि पिछड़े वर्ग को पढ़ने के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। जो २० प्रतिशत उच्च वर्ग के लोग हैं उनको ही पढ़ाया जा रहा है । अगर यह सब भी पढ़ गये तब भी आपका प्रतिशत बढ़ नहीं सकता है। इसलिये अगर पिछड़ेपन को दूर करना चाहते हो तो इस प्रस्ताव को मानना चाहिये। इसके अलावा यह एक राष्ट्र का पुनीत काम है । गांधी जी भी चाहते थे, दूसरे नेता भी चाहते हैं और हमारे मिनिस्टर साहबान भी चाहते हैं लेकिन जो इंटरेस्टेड है वह सोचते हैं कि अगर इस वर्ग के लोग आ जायंगे तो हमारी बिरादरी वालों का परसेंटेज कम हो जायगा । इसलिये वे लोग इसका विरोध करते हैं । इसलिये इस प्रस्ताव को सदन को मानना चाहिये। इससे आर्थिक दशा भी सुधरेगी । हमारे प्रदेश का ५० प्रतिशत धन सरकारी मुलाजमत में चला जाता है। एक अरब रुपया सरकारी मुलाजिमों को दिया जाता है जिसमें से ·४ प्रतिशत पिछड़े वर्ग के लोगों के घर जाता है और डेढ़ परसेंट शेड्यूल्ड कास्ट्स और बकीया ९८ फीसदी कौन हैं ? वे लोग जो पहले से आगे बढ़े हुए हैं, जो बड़े घर के लोग हैं । इसलिये अगर समाजवादी समाज बनाने का विचार ह, उद्देश्य है,तो उनको सरकारी नौकरी में लेना पड़ेगा, आर्थिक दशा सुधारने के लिये

[श्री रामवचन यादव]

और देश को मजबूत करने के लिये। मान लीजिये कि दूसरे मुल्कों में लोग सेंट परसेंट पढ़े-लिखे और हिम्मत वाले लोग हैं। वे हम पर हमला करते ह तो यहां २०-२५ फीसदी आदमी थोड़े ही रक्षा करेंगे ? जब देश का बच्चा-बच्चा कहेगा कि हम देश की रक्षा करेंगे, उसके लिये मर मिटेंगे, तब मुल्क की आजादी की रक्षा होगी। इसलिये यह प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें किसी को विरोध नहीं करना चाहिये और मैं माननीय मंत्री और सरकार से निवेदन करूंगा कि यह राष्ट्रीय प्रश्न है। इसमें कोई दो रायें नहीं होनी चाहिए। इसको सर्वसम्मति से मान लेना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, जब ५ मई को श्री श्यामलाल जी यादव का यह संकल्प विचारार्थ प्रस्तुत हुआ तो उरा समय म यहां नहीं था। इसलिये सदन के सम्मानित सदस्यों के जो उद्गार उस समय प्रकट हुए उनको सुन नहीं पाया। मुझे खुशी है कि आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रस्ताव पर जब विचार हो रहा है तो मैं इस सदन में प्रस्तुत हूं।

श्रीमन्, आज अपने समाज का जो रोग है वह निश्चित रूप में बड़ा भयंकर है और रोग की भयंकरता नित्यप्रति बढ़ती चली जा रही है। यह छिपाने की बात नहीं है कि समाज हजारों वर्षों से वर्गों में विभक्त है, जातियों में विभक्त है, उप-जातियों में विभक्त है और यह भी अब नहीं छिपाया जाना चाहिए कि जहां पर अपढ़ और धनहीन द्विज की प्रतिष्ठा होती है, अब भी अपने देश में पढ़ा और धनवान अद्विज अप्रतिष्ठा पाता है। ऐसी स्थिति ह तो जो सरकार या जो समाज या जो राष्ट्र इस भयंकरतम कोढ़ से मुक्ति पाना चाहता है, उसको क्या कदम उठाने चाहिए, उसी पर मैं इस संकल्प पर बोलते हुए आना चाहता हूं।

संकल्प यह है कि पुलिस विभाग में जिस प्रकार से तीन वर्ष और मिलता है पिछड़ी जाति के लोगों को, उसी प्रकार से अन्य सरकारी विभागों में भी मिले। यानी अगर सरकारी नौकरी पाने के लिये २५ साल की अवधि है तो पिछड़ी जाति के लोगों के लिये २८ वर्ष हो जायगी। इस संकल्प में इतना ही है। मैं यह निश्चित रूप से कहना चाहता हूं विशेष रूप से श्यामलाल जी यादव और राम वचन जी यादव से कि यह संकल्प भी उस महत्व तक नहीं पहुंच रहा ह जिस महत्व को प्राप्त करने के लिये हम प्रयत्नशील हैं। मगर यह कुछ कदम है। उससे कुछ सुरक्षा होगी और फिर भी अगर इतना भी हम न करें तो निश्चित रूप से हम अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करेंगे।

अब विचारणीय प्रश्न यह है कि सदन के सम्मानित सदस्यों को इस बात की जानकारी अवश्य होगी कि अपने संविधान में इस प्रकार की सुरक्षा आज जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उनके लिये करना वैध ह। यह अवैध नहीं है, पूर्णतया वैध है और जो लोग अपने दिमाग में यह सोचते हों कि आज समता और स्वतंत्रता को लाने के लिये हम प्रयत्नशील हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आज सबको समान अवसर दिया जाय यह नारा घातक नहीं है। मैं आपके द्वारा संकेत करना चाहता हूं पुनः भाई राम वचन यादव को क्योंकि वह कांग्रेस के एक मंत्री या उप-मंत्री जी से बात करने में संलग्न हैं और वह उनको दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं, तो मैं माननीय राम वचन जी से कहना चाहता हूं कि वह हमको सुनें जरा, जिस भाव को वह रखना चाहते हैं उस भाव को जब रखा जाय तो अपनी शक्ति और समय को दूसरे किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति से बात करने में व्यय न करें। मेरा निवेदन यह है कि आज रोग कहां पर है ? क्या आज समाज में वह लोग जो कि चाहते हैं कि समता हो और वही लोग अगर समान अवसर का नारा उठाते हैं तो यह नारा अहितकर है या नहीं ? क्योंकि श्रीमन्, अगर समान अवसर चला तो मान लीजिए कि हमारे कोई सम्मानित मंत्री हैं वह ऐसे कुल में पैदा हुए हैं जो सम्मानित है और जो कुल कई सदियों से लगातार सत्ता रखता रहा है, तो उनके घर के लड़के निश्चित रूप से कम उम्र में पढ़ाई शुरू कर देंगे। उनके घर के लड़के जब साक्षात्कार में जायंगे तो निश्चित रूप से दूसरे ऐसे परिवार के लड़कों से जहां पर कि पढ़ाई-लिखाई बाद में शुरू हुई है और जहां काफी उम्र हो जाने तक लोग खेलते रहते हैं, पढ़ने का साधन नहीं हो पाता है, उनके घर के लड़कों से

आगे बढ़ जायेंगे। तो समान अवसर का नारा लगाने से आज निश्चित रूप से समाज का जो पिछड़ा हुआ अंग है वह पिछड़ा हुआ ही रह जायगा। इसलिये आज जो सरकारी प्रवक्ताओं की ओर से कभी-कभी ऐसे संकल्पों का विरोध होता है तो वह एक तो नारा लगाते हैं योग्यता का और एक नारा लगाते हैं समान अवसर का। कहते हैं कि क्या हम शासन में तमाम अयोग्यों को भर दें। मैं जरा उनसे यह जानना चाहता हूं कि योग्यता की कसौटी क्या होगी? अगर योग्यता की कसौटी साक्षात्कार से ली जायगी तो साक्षात्कार का नम्बर कितना है, साक्षात्कार कौन करते हैं, क्या यह सब अपना असर नहीं डाल रहे हैं? साक्षात्कार काफी नम्बर होता है। इसीलिये श्रीमन्, हमने बार-बार इसी सदन में सुझाव दिया है कि जो लोग आज समाज में पिछड़े हुए तबकों को उठाना चाहते हैं उनको, जो हरिजन हैं या पिछड़ी जाति के लोग हैं उनके लिये साक्षात्कार की व्यवस्था बन्द करनी चाहिए क्योंकि साक्षात्कार में बराबर वह बेचारे पीछे रह जाते हैं। लिखने में तो वह नम्बर मार ले जाते हैं। मेरे पास तमाम इसके आंकड़े मौजूद हैं। आजकल मैं यही इकट्ठा कर रहा हूं। लेकिन साक्षात्कार जब होता है तो कहीं बेचारे की बटन खुली रह जाती है कहीं वह सकुच जाता है, कहीं ऐसे वैसे खड़ा हो जाता है और उसमें उसका नम्बर कम हो जाता है। तो यह सब आज हानियां है और यह अनिष्टकर परिणाम दे रहे हैं, इस पर भी सदन के सम्मानित सदस्यों को विचार करना चाहिए। मैं अगर उस दिन रहता तो इसमें संशोधन के रूप में मैं इन्हीं बातों को अवश्य देता, मगर चूंकि अब विवाद जारी हो गया है, संशोधन की बात नहीं रह गई, इसलिये मैं उन बातों को कह देना चाहता हूं।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने, जहां पर कि इनको नौकरियों में सुरक्षा के लिये कुछ प्रतिशत नियत किये हैं, १८ प्रतिशत हरिजनों के लिये है, मगर पिछड़ी जातियों के लिये कुछ नहीं किया। माननीय रामवचन जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये उनको मैंने इस सदन में अनेक बार प्रस्तुत किया है। बिलकुल सही आंकड़े हैं। १५ अगस्त, सन् ४७ को और १५ अगस्त, सन् ४७ के बाद जहां ३,२०२ गजटेड आफिसर थे उनमें पिछड़ी जातियों की संख्या ३४ थी वह ३१ जुलाई, ५५ को २५ हो गई। हरिजनों की संख्या जरूर १६ से ७० हो गई। मगर उस ७० के आंकड़े को बढ़ाने का श्रेय सरकार को नहीं था, वह श्रेय अगर जाना चाहिये तो इस विभूति को जाना चाहिए, महात्मा गान्धी को जिसने कि हरिजनों के लिये काफी लड़ करके और काफी त्याग और तपस्या से ऐसी स्थिति पैदा की कि संविधान में एक ऐसी व्यवस्था हो गई कि वह कम से कम ८५,९० तक हमारे यहां आ जाते हैं। चाहे यहां पर दो पार्टी की गवर्नमेन्ट बन जाय मगर उनमें से एक ग्रुप यह चाहता है कि ये ९० हमारे साथ रहें। इसलिये वह तो एक ऐसी व्यवस्था हरिजनों के लिये हो गई है जिससे कि थोड़ी बहुत संख्या उनकी बढ़ गई है। उसके लिये इस सरकार की प्रशंसा नहीं होनी चाहिये। वह तो ऐसी परिस्थिति है जिसमें सरकार मजबूर हो रही है। हमारा निवेदन श्यामलाल जी से यह है कि यदि अध्यक्ष महोदय, अनुमति दें तो यह संशोधन के रूप में इसमें और जोड़ दें कि पिछड़ी जाति की संख्या जो १८ फीसदी बनी हुई है वह उनकी संख्या सरकारी सेवाओं में जरूर ली जाय और यदि कोई योग्यता, अयोग्यता की कसौटी हो तो वह उन्हीं १८ फीसदी विद्यार्थियों के बीच में हो। उनकी योग्यता या अयोग्यता की कसौटी खानदानी गुलामों के बीच नहीं होनी चाहिये। खानदानी गुलाम मैं उनको कहता हूं जो अंग्रेजी शासन के जमाने में शासन-भक्त रहे। जब कांग्रेसी शासन का समय आया तो अब वे कांग्रेस शासन के भक्त हैं और जब सोशलिस्ट शासन का समय आयेगा तो वे सोशलिस्ट शासन के भक्त बनने की कोशिश करेंगे। मैं ऐसे लोगों को पुश्तैनी गुलाम कहता हूं जो हमेशा शासन-भक्त रहे हैं। उनके खानदानों के बच्चों के साथ जब इनकी तुलना होगी तो उनके बच्चे अयोग्य साबित हो जायंगे। जब १८ फीसदी संविधान में हैं तो उन्हीं हरिजन विद्यार्थियों में से, यदि योग्यता अयोग्यता की कसौटी बरतनी है, लिये जायं। इसके साथ ही साथ मैं यह चाहता हूं कि शिक्षा के बारे में भी खुली छूट होनी चाहिये। इस प्रकार की बातें लिखित प्रतियोगिता में होनी चाहिये।

[श्री राजनारायण]

एक बात यह भी इसके साथ निवेदन करूंगा कि अगर सरकार समाजवाद और जनतंत्र को प्रतिष्ठित करना चाहती है तो सरकार को अब एक विभाग खोलना चाहिये जो प्राचीनतम ग्रन्थों का अवलोकन करे और प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की ऐसी बातों को खोजे जो ज्यादा से ज्यादा समानता और समकक्ष की हामी हों। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे इस देश की एक बड़ी विभूति, जिसको हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, जो गौतम बुद्ध धर्म है, वह भारत से विलुप्त हो गया है। मगर बर्मा में, चीन में, लंका में, मलाया में अभी तक बुद्ध धर्म जीवित है। हमारे भारत में सर्वप्रथम गौतम बुद्ध का उपदेश हुआ था। मैं अभी बोधगया गया था वहां से बहुत सारी जानकारी लेकर आया हूं। बाद में उनकी आपसे चर्चा करूंगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह उपनिषद् का श्लोक है जिसमें कहा गया है कि 'समान प्रसवा जाति'। जो एक प्रकार से पैदा होते हों वह एक जाति है, जो समान रूप से पैदा हो वह एक जाति कहा जाती है। जो अपने समान को पैदा करे वह उसी जाति का है। वह चाहे कोई भी हो वह उसी जाति का है। इसमें किसी ब्राह्मण या वैश्य का सवाल नहीं है। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी एक प्रकार की जाति है। इसलिये उनकी जाति एक है और वह है मानव जाति। उनमें किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं है। इस सिद्धान्त का प्रचार इसी प्रकार से सरकार की ओर से होना चाहिये। जबतक कोई सरकार इस प्रकार से मुकाबला नहीं करेगी तब तक उसको सफलता समाज में नहीं मिल सकती है। वहां पर हमको पंडित मिल गये और हमारे इस श्लोक को लेकर उलझ गये। हमने कहा कि बताइये आखिर आप क्या कहते ह तो उन्होंने कहा कि "जन्मना जायते शूद्र, संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठात् भवेत् विप्र, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण" यदि इसी परिभाषा को लिया जाय तो हमारा निवेदन है कि ब्रह्म जानने वाले को ब्राह्मण कहा गया है। जो वेदों का पठन-पाठन करे वह विप्र कहा गया है। तो जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं। क्या सरकार किसी शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रकार का वातावरण पैदा कर रही है और अगर इस प्रकार का वातावरण यह सरकार पैदा नहीं कर रही है तो निश्चय ही आज इस बात को माना जाना चाहिये कि यह सरकार अपने देश में समाजवाद और जनतंत्र को प्रतिष्ठित करने के लिये कटिबद्ध नहीं है। मैं पुनः भाई श्यामलाल जी यादव से निवेदन करूंगा आपके द्वारा कि वे इस संकल्प को वापस न लें। यह संकल्प सामयिक है, आवश्यक है, महत्वपूर्ण है और लोकहित का है और इस समय जो लोग दबे हुए हैं उनकी इससे सुरक्षा होगी। इसलिये मैं सहर्ष, साहस और हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ इसका समर्थन करता हूं।

*श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—मान्यवर, मैं, जो संकल्प माननीय श्यामलाल जी ने उपस्थित किया है, उसका समर्थन करता हूं और पहला निवेदन मैं माननीय श्यामलाल जी से ही करूंगा कि वे अपने इस संकल्प को वापस न लें। क्योंकि मुझे अभी ऐसा विहप देखने को मिला है कांग्रेस पार्टी का कि अगर वह इसको वापस नहीं लेते हैं तो इसके खिलाफ वोट दो।

इस के लिये तर्क में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, कही जा चुकी हैं, किन्तु मुझे केवल इतना निवेदन करना है कि यह उम्र की मांग गलत नहीं है। (व्यवधान) अगर वे अपना संकल्प वापस न लें तो वास्तव में प्रशंसा के पात्र हैं और अगर वापस ले लें तो उनको फिर बैकवर्ड लोगों की बात नहीं करनी चाहिये। बैकवर्ड लोगों की बात उनके लिये दूसरे नम्बर की बात होगी।

तीन साल की उम्र की छूट की मांग इसमें की गई है। जब गंवार आदमी का लड़का पढ़ने जाता है, तो पहली बात तो यह रहती है कि वह देर में पढ़ने जाता है। दूसरे, पढ़े-लिखे आदमी तो अपने बच्चों की उम्र दो-एक साल कम कर के लिखाते हैं। मैं स्कूल में अध्यापक रहा हूं और मैंने देखा है कि हर लड़का एक जनवरी या १ जुलाई को पैदा होता है। ऐसा लगता है कि इंसानों का भी कोई ब्रीडिंग सीजन रहा होगा। लेकिन गांव में अगर देखते हैं, उनसे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूछते हैं कि भाई लड़के कि उम्र क्या है तो वे बतलाते हैं कि ६ साल का हुआ, ९ साल का हुआ, १० साल का हुआ । मोटे तौर पर उम्र अंदाज से लिख दी जाती है । मेरे एक मित्र हैं जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में, १९३९ में जेल गये थे । उनके लड़के की एक रेकमेंडेशन करने की बात मेरे पास आई जिसकी उम्र लिखी गई थी १९४२ की । मैंने उनसे कहा कि १९४२ में तुम्हारे लड़का कैसे पैदा हो गया जब तुम जेल में थे । अगर कोई हक का मामला आ गया तो साबित हो जायगा कि यह तुम्हारा लड़का नहीं है । तो हर पढ़े-लिखे आदमी की उम्र ज्यादातर कम लिखी होती है । अब तो श्रीमन्, नियम बन गया है कि उतनी उम्र से कम के लड़के हाई स्कूल पास नहीं करेंगे वरना १५, १६ साल की उम्र में लड़के बी० ए०, एम० ए० पास कर लेते थे और बहुत से तो ऐसे हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में बैठने के लिये प्रतीक्षा करते हैं । यह ठीक है कि श्यामलाल जी जैसे लोगों के लड़कों की उम्र का झगड़ा नहीं पड़ेगा, लेकिन आम तौर पर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लड़कों के साथ इसी तरह का झगड़ा पड़ सकता है । एक तो देहात में पढ़ने की सुविधा नहीं होती, स्कूल दूर होते हैं इसलिये लोग सोचते हैं कि लड़का कुछ बड़ा हो जाय तब स्कूल भेजा करेंगे, दूसरे वे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं इसलिये उनके बच्चों की उम्र ज्यादा हो जाती है । लेकिन गांवों में आम तौर से सही उम्र लिखी जाती है और इस कारण जब वे बी० ए०, एम० ए० पास कर के निकलते हैं तो किसी कमीशन की परीक्षा में बैठने के काबिल उनकी उम्र रहती नहीं, लेकिन शहर के कुछ लड़के ऐसे भी मिलते हैं कि अगर उनकी पढ़ाई के साल उनकी उम्र से घटा दिये जायं तो उनके पैदा होने का दिन पहले ही आ जाता है, उनकी पढ़ाई की शुरुआत पीछे चली जाती है । तो यह मांग कोई रिजर्वेशन की मांग नहीं है, या इस मांग का सरकार के पैसे से भी कोई ताल्लुक नहीं है । यह एक निरीह, निर्दोष और एक छोटी-सी मांग है कि उन लोगों को उम्र में तीन साल की रियायत दी जाय जैसे कि सरकार ने पोलिटिकल सफरर्स को दी है । मैं मानता हूं कि पोलिटिकल सफरर्स को जो छूट दी गई है वह ठीक है, वे काफी परेशान थे और परेशान लोगों को रियायत मिलनी चाहिये, लेकिन उसी तरह से अगर पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में भर्ती होने के लिये यह रियायत सरकार दे तो ठीक होगा, उचित होगा, अन्यथा सरकार पिछड़े वर्ग की बात करना बंद कर दे ।

भाई रामवचन जी ने जो संविधान की बात कही है, मैं समझता हूं कि इसमें संवैधानिक कोई मामला है नहीं, रिजर्वेशन की भी इसमें कोई बात नहीं है और न सरकार पर इस का आर्थिक रूप से कोई प्रभाव पड़ने वाला है । एक सीधा, बड़ा निर्दोष और छोटा-सा प्रश्न है और इसे सरकार को मान लेना चाहिये । अंत में मैं इस सरकार से और उस तरफ के बैठने वालों से यह निवेदन करूंगा कि वे इस प्रस्ताव के संबंध में अपना नैतिक बल दिखायें, खासकर राम वचन जी भी, वरना इससे कोई फायदा होने वाला नहीं । इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं ।

श्री खजानसिंह चौधरी (जिला उन्नाव)—अध्यक्ष महोदय, पहले भी एक इसी तरह का प्रस्ताव आया था और माननीय रामवचन जी ने उसको वापस ले लिया था । अब इसको श्याम लाल यादव जी ने रखा है । मेरा तो ऐसा खयाल है वह भी इसको वापस ले लेंगे । मुझे इसमें कमजोरी दिखाई पड़ रही है। उनको इस प्रस्ताव के पेश करने के बाद यहां तगड़ा होना चाहिये. . .

श्री अध्यक्ष—आप कृपया प्रस्ताव पर बोलिये, व्यक्ति विशेष पर नहीं ।

श्री खजानसिंह चौधरी—मैं विषय पर ही अर्ज कर रहा हूं। मान्यवर, जिनके लिये यह प्रस्ताव लाया गया है, वे इस देश के सेवक हैं, देश की सेवा करते हैं । जो इनमें किसान तबका है वह उत्पादन करता है और उत्पादन करके आप सब को जीवन प्रदान करता है । रात दिन परिश्रम करके वह हल जोतता है और आपकी सेवा करता है । इसलिये आपको उन लोगों को नजरन्दाज नहीं करना चाहिये । जो इस प्रस्ताव में तीन साल की छट रखी गई

[श्री खजानसिंह चौधरी]

नौकरियों में, आयु के संबंध में, उसको मानने में सरकार को इन्कार नहीं होना चाहिये क्योंकि इसमें आपको कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है। जैसा कि रामवचन जी ने कहा कि वे लोग एम० ए० कर लेते हैं फर्स्ट डिवीजन में, लेकिन फिर भी उसी तरह बेकार रहते हैं जैसे धोबी का कुत्ता घर का न घाट का ।

अगर आप इसको नहीं करते तो चुनाव में यह जनता से मत कहिये कि हमको वोट दो, हम तुम्हारे लिये सब कुछ करेंगे । आप को जनता को मुगालते में नहीं रखना चाहिये । महात्मा गांधी जी ने ४ आना की मेम्बरी छोड़ दी थी और वे मदरास चले गये थे जहां पर डाक्टर अम्बेदकर ने हरिजन स्थान बनाने का नारा लगाया था और उसी का कारण था कि हरिजनों के लिये कुछ रिजर्वेशन रखा गया । आप पिछड़ी जाति के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं । आपको उन लोगों के साथ थोड़ी-बहुत मेहरबानी की नजर रखना चाहिये । अगर उन लोगों ने आपकी मदद न की होती तो आज भारत का नक्शा ही दूसरा होता। आप आज यहां उन्हीं की बदौलत बने बैठे हैं । इसलिये आप इस प्रस्ताव को मान लीजिये, वह आपकी मिनिस्ट्री नहीं छीनेंगे ।

*राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव अभी भवन के सामने है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जैसा कि इधर से कहा गया, सरकारी पार्टी के लोग प्रस्ताव तो लाते हैं और यह कह कर लाते हैं कि इससे समाज की भलाई होगी और जो उनकी नीति है उसकी पुष्टि होगी, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार उन पर नाजायज दबाव डाल कर उनसे प्रस्ताव वापस करा देती है ।

एक तरफ तो कहा जाता है कि पिछड़े लोगों को हम उठाना चाहते हैं, देहात के लोगों को हम शिक्षित करना चाहते हैं और उनके जीवन के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आज वहां क्या हालत है ? उनको किसी प्रकार की न तो शिक्षा मिलती है, न सूचना मिलती है और समाज में पिछड़े हुये रहते हैं । सरकार ने उनके लिये क्या किया ? नार्मल स्कूल में भी आयु २७ वर्ष कर दी गयी। पिछड़ी जाति के लोग चाहें भी कि हम तरक्की करके आगे आयें तो उनके लिये कोई मौका नहीं है। शहरों में आप कह सकते हैं कि पढ़े-लिखे लोगों की तादाद ज्यादा है, लेकिन अधिक आबादी तो देहातों में ही रहती है । देहात के लोग शहर वालों की तरह होशियार नहीं हैं। शहर वाले तो बच्चों की उम्र ठीक से लिखवा देते हैं, लेकिन देहात के पिछड़े लोगों के पास तो जन्मपत्री भी बच्चों की नहीं होती जिससे स्कूलों में ठीक उम्र लिखा सकें । बहुत से सज्जन जो देहात से आये हैंउनकी जबान बन्द है और उनके खिलाफ व्हिप ईश्यू कर दिया जाता है यदि वह कोई बात देहात के हित में कहना चाहते हैं । देहात से श्यामलाल जी आये हुये हैं, तो क्या वजह है कि उनको दबाया जाय । अगर दबाया जायगा तो हम इस प्रस्ताव को वापस नहीं होने देंगे और हर एक सदस्य का यह नैतिक कर्त्तव्य होना चाहिये कि इस प्रस्ताव का समर्थन करके पास होने में सहायता करें । इसलिये सरकार को चाहिये कि सबको बोलने की स्वतंत्रता दे और इस प्रस्ताव को मैं समझता हूं अवश्य पास किया जाय ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के समक्ष चल रहा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यदि सही तरीके से देखा जाय और इस पर हमदर्दी से विचार किया जाय तो यह सरकार की ओर से ही आना चाहिये था और उनको मान लेना चाहिये था। इसमें वाद-विवाद की कोई चीज नहीं है और न इससे किसी को कोई हानि पहुंचने वाली है। यदि प्रैक्टिकली हम देखें तो गरीब पिछड़ी जाति के निवासी जो देहात में रहते हैं उनके पास शहर वालों की तरह साधन नहीं होते जिससे अच्छी तरह से वे अपने बच्चों को शिक्षा दे सकें। मजदूरी करके ही उनको अपना पेट पालना होता है। उनके पास कोई जन्म-पत्री भी नहीं होती जो उम्र भी ठीक तरह से अंकित

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्कूलों में करा सकें। इधर तो सरकार शिक्षा की कम्पल्सरी योजना चला रही है कि कोई भी व्यक्ति अशिक्षित न रहने पाये और उधर हमारी सरकार पिछड़ी जातियों पर कुठाराघात करती जाती है उनकी न्याय संगत मांग को नहीं मानती।

(इस समय १२ बज कर ५९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद, पीठासीन हुए।)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज के ये पिछड़ी जाति वाले ही सबसे ज्यादा घाटे में हैं। उनका नाम रख दिया बैकवर्ड क्लास। इधर तो सवर्ण कर दिये, उधर अछूत कर दिये। अछूतों को भी हम देखते हैं कि उनको शिक्षा भी मिलती है, वजीफे भी मिलते हैं, लेकिन पिछड़ी जाति जोकि इतनी ज्यादा है और इतनी गरीब है उसके लिये सरकार ने कोई भी ऐसा प्रावीजन नहीं रखा सिवाय इसके कि जो फर्स्ट डिवीजनर्स हैं हाई स्कूल में उनको तो सरकार वजीफा देती है और सेकिंड डिवीजनर्स के लिये कोई सुविधा नहीं है, यहां तक कि उनको फीस के लिये कोई सुविधा नहीं रखी गई ।

एक दूसरी बात यह मांगी गई है कि सर्विसेज में केवल ३ साल की छूट दी जाय। हमारी सरकार ने एक विभाग पुलिस में इसको कर भी रखा है, लेकिन मेरी यह समझ में नहीं आया कि एक विभाग में तो उसने छूट दे दी है लेकिन और सब विभागों में वह क्यों नहीं देती। एक तो वैसे ही अपना देश और खासकर हमारा प्रदेश शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है फिर हमारे प्रदेश में जो पिछड़ी हुई जातियां हैं वे तो और भी ज्यादा पिछड़ी हुई हैं ।

जो समझदार व्यक्ति हैं वे तो बहुत दूर की कौड़ी लाते हैं । उनका लड़का अगर दाखिले के समय १० साल का होगा तो वे सोचेंगे कि अगर फेल न हुआ तो फलां लाइन के लिये पास करते करते वह इतनी उम्र का होना चाहिये और उसी के अनुसार हिसाब लगाकर वह १२ साल के लड़के की उम्र ८ साल लिखाते हैं। लेकिन अगर पिछड़ी जाति के किसी लड़के की उम्र १० साल की है और उससे कहा जाय कि तुम इसकी उम्र ६ साल की लिखा दो तो वह तैयार नहीं होगा क्योंकि वह इसको अशुभ समझता है । इस प्रकार से पढ़े-लिखे लोग उम्र कम लिखा कर उससे फायदा उठा लेते हैं ।

दूसरे पिछड़ी जाति के लोगों के यहां पढ़ाई का वातावरण भी नहीं होता लेकिन जो पढ़े-लिखे लोग हैं उनके यहां एक पढ़ाई का वातावरण होता है, छोटे-छोटे बच्चे ही 'अ' 'ई' पढ़ने लगते हैं। अगर किसी ने किसी प्रकार पढ़ लिया और हिम्मत करके, पेट काटकर लड़के को पढ़ा भी दिया तो फिर ऊपर से सरकार उम्र की कैद लगा देती है । इस प्रकार से सरकार केवल प्रचारात्मक कार्य ही करती है । यह सरकार एक बुद्धिवादी सरकार है और हर एक को बेवकूफ बनाना चाहती है, यह मेरा इस सरकार पर स्पष्ट आक्षेप है। सरकार ने काका कालेलकर के सभापतित्व में एक कमीशन बैठाया था लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की । इसी प्रकार से सरकार विभिन्न कमीशनों को बैठाकर जनता को बेवकूफ बनाती है और फिर उसकी रिपोर्ट को मानती नहीं है । बैकवर्ड क्लासेज भी उसी प्रकार से पिछड़ी हुई जातियां हैं जिस प्रकार से परिगणित जातियां हैं । वे भी मजदूरी करते हैं, उनके पास भी खेत नहीं है, और कोई साधन भी नहीं है, कोई उद्योग धंधे भी नहीं हैं । सरकार को उन्हें अवश्य ही तीन साल की छूट देनी चाहिये, क्योंकि जब पढ़-लिख कर, होनहार होकर उन लोगों के लड़के बाहर आते हैं तो सरकार की ओर से उम्र की कैद लगा दी जाती है। उनके मां बाप को क्या मालूम कि २५ साल के बाद नहीं लिया जायगा । जब उनका लड़का कहीं नहीं लिया जाता है तो उनको एक बड़ा भारी धक्का लगता है। इधर मजदूरी से भी वह गया, क्योंकि मजदूरी अब वह कर नहीं सकता। उसने डिवीजन अच्छा पाया और पढ़ाई के पश्चात् मजदूरी के काबिल नहीं रहा तो बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति सोचता है कि अच्छा होता कि हम अपने लड़के को नहीं पढ़ाते, क्योंकि उस हालत में कम से कम वह दो-तीन रुपये रोज की मजदूरी तो कर ही सकता था, लेकिन आज इतना पढ़ने-लिखने

[श्री भुवनेशभूषण शर्मा]

के बाद भी उसे ५०–६० रुपये महीने की सरकारी नौकरी नहीं मिलती । ऐसी स्थिति में सही बात यह है कि सरकार की तरफ से पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को इस तरह का प्रोत्साहन मिलना चाहिये कि वे पढ़ें और उनके दिमाग में यह घर न हो कि सरकार के यहां हम गरीबों और पिछड़ी जाति वालों के लिये कोई स्थान नहीं है ।

श्रीमन्, वे माननीय सदस्य जो सरकारी बेंच की तरफ पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि होने के नाते बैठे हुये हैं वे भी कांग्रेस व्हिप की वजह से अपनी सही आवाज नहीं उठा सकते हैं। यहां पर पहले के ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जब इस तरह से प्रस्ताव सदन में लाये गये तो कांग्रेस सरकार की तरफ से व्हीप जारी हो गया और उन्होंने अपने प्रस्ताव वापस लिये । तो मैं आपके द्वारा माननीय श्यामलाल जी से निवेदन करना चाहता हूं जिन्होंने इस प्रस्ताव को सदन में रखा है कि वे इस प्रस्ताव को सदन में रहने दें और देखें कि इसके बारे में सरकार और इधर तथा उधर के बैठने वाले सदस्य क्या करते है ।

इसके साथ ही साथ मान्यवर, आपके द्वारा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में हम सरकार तथा न्याय मंत्री जी से बड़ी आशा करते हैं कि वे इस सम्बन्ध में न्याय करेंगे और सदन के दिखला देंगे कि जिनके बल पर ये बड़ी-बड़ी अट्टालिकायें व इमारतें खड़ी हैं और जिनका इस प्रदेश में बहुमत है, उन आदमियों के लड़कों की तरक्की के लिये सरकार उदारता से विचार करेगी । इसमें कोई वोटिंग या कनवेंसिंग का सवाल नहीं है और न सरकार की प्रतिष्ठा की ही बात है । सरकार की प्रतिष्ठा तो इसी में है कि वह न्यायोचित मांग का समर्थन करे । आज तो बहुत-सी जगह वे यह कहते हुये पाये जाते हैं कि अगर हमें परिगणित जाति में ही रख दिया जाय तो अच्छा है क्योंकि उससे कम से कम हमारे लड़के फ्री पढ़ तो लेते तथा और सुविधायें तो प्राप्त होतीं । लेकिन आज हम पिछड़ी जाति वाले सवर्ण और परिगणित जाति के बीच में रख कर दबाये जा रहे हैं । यही कारण है कि उनके अन्दर राजनीतिक चेतना भी नहीं आ पाती ....

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—श्रीमन्, इस संकल्प का सम्बन्ध पिछड़े वर्ग से है, इसलिये इस पर ज्यादा से ज्यादा समय पिछड़े वर्ग के सदस्यों को ही दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे जो व्यक्ति पिछड़ी जाति के या अनुसूचित जाति के इस सदन में हैं, उनको भी आप देखें तो सही माने में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है । इसका कारण यह है कि उनमें राजनीतिक चेतना नहीं है, जिसकी वजह से न तो वे अपनी पढ़ाई कर पाते हैं और न अपनी रोजी-रोटी का मसला हल कर पाते हैं । इसलिये आपके द्वारा सदन से और माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वह उन गरीब पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिये कुछ सुविधायें दें जिससे वे अपने लड़कों को पढ़ा सकें, उनकी फीस माफ हो तथा तीन साल आयु छूट की जो मांग की गई है उसे सरकार जरूर मान ले जिससे उनको ठीक प्रकार से समय मिले और पढ़ाई के पश्चात् सरकारी नौकरियों में उनको जगह मिल सके ।

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—अधिष्ठाता महोदय, मुझे खेद है कि इस वक्त माननीय न्याय मंत्री यहां से चले गये, लेकिन जरूरत से गये हैं, भोजन करने गये हैं । मैं चाहता था ....

श्री अधिष्ठाता—एक मंत्री महोदय मौजूद हैं ।

श्री वीरसेन—मैं एतराज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ यह कह रहा हूं कि वह इसका जवाब देते, मैं कुछ नई बात कहना चाहता था और चाहता था कि वह सुन लेते और जवाब देते ।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव दो तथ्यों के आधार पर लाया गया है। एक तो यह कि सर्विसेज में बैकवर्ड क्लासेज का रिप्रेजेन्टेशन कम है और दूसरे यह कि बैकवर्ड क्लासेज के लोग

देर से पढ़ना शुरू करते हैं और देर से सर्विस के लायक तैयार होते हैं । मैं समझता हूं कि इन दोनों ही तथ्यों में सच्चाई है। इसमें कोई शक नहीं है कि सर्विसेज में बैकवर्ड क्लासेज के लोगों की तादाद बहुत कम है और इसमें भी कोई शक नहीं कि बैकवर्ड क्लासेज के लोग पढ़ना देर में शुरू करते हैं इसलिये जो प्रेस्क्राइब्ड एज है सर्विसेज में जाने की उस तक वह तैयार नहीं हो पाते हैं । मैं काफी ऐसे लोगों को जानता हू जिन्होंने कि ८–१० साल की उम्र में पढ़ना शुरू किया और जब देर में पढ़कर तैयार हुए तब तक उनकी एज एक्सपायर कर गई । तो इस समस्या को सुलझाने के लिये माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव पेश किया है और जहां तक उनके इस प्रश्न का संबंध है मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं इस प्रस्ताव का कुछ अंश में संशोधन के साथ समर्थन करता हूं । आगे चलकर मैं बताऊंगा कि क्या संशोधन मैं चाहता हूं ।

यह जो प्रस्ताव है वह एक नियम के विरुद्ध है । एज प्रेस्क्राइब्ड एज है उसमें थोड़ी रियायत की जाय । मेरा कहना यह है कि एज लिमिट का जो नियम है उसके दो मतलब हैं–एक तो यह कि जो देर से तालीम पाते हैं उन लोगों के लिये एक तरह का प्रतिबंध लगाया जाता है कि वह सर्विस में न घुसने पाएं और दूसरे यह खयाल किया जाता है कि एक खास एज होती है जिसमें आदमी की कैपेसिटीज सबसे ज्यादा होती है और उसके बाद उनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। मैं समझता हूं कि जो एक लिमिट के पक्ष में हैं वह शायद यह कहें कि २३, २४, २५ की ऐसी उम्र है जबकि प्राइम आफ एज होता है और उच्चतम कैपेसिटी होती है, उस वक्त सेलेक्शन किया जाय । लेकिन मैं समझता हूं कि अक्सर ऐसे लोग भी होते हैं जिनका डेवलपमेंट देर में शुरू होता है। इस नियम के बनाते वक्त उन लोगों के बारे में कोई खयाल नहीं रखा गया। ऐसे लोग जब शुरू में एजूकेशन शुरू करते हैं तो उनको बुद्धू की संज्ञा दी जाती है, लेकिन जो प्रिकाशस चिल्ड्रेन होते हैं जो कि जल्दी डेवलप करते हैं, ये लोग उनसे भी बाजी मार ले जाते हैं । तो जिनका विकास देर से होता है उनका निश्चय ही इसमें हनन होता है और जो नियम है कि एक खास उम्र के बाद सर्विस में न लिया जाय यह जिन लोगों का डेवलपमेंट टार्डी होता है उन लोगों के खिलाफ जाता है और उनके प्रति मैं समझता हूं, यह अन्याय है ।

यह नियम किसने बनाया ? मैं समझता हूं यह उन लोगों ने बनाया जो पहले से सर्विस में हैं और जिनकी खानदानी परम्परा रही है कि सर्विस में रहते आए हैं । हो सकता है कि इस बात से प्रेरित होकर बनाया हो कि जो लोग देर से पढ़ते हैं या जो पिछड़े हुए हैं वह एक खास एज तक पढ़कर नहीं आ सकते हैं और जो फारवर्ड किस्म के लोग हैं, चूंकि वह छोटी उम्र से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, वह लोग तैयार हो जाते हैं, तो उन लोगों को रोकने के लिये और जो आलरेडी सर्विस में हैं उनकी सुप्रीमेसी बनाये रखने के लिये यह नियम बनाया गया हो ताकि जिनका विकास देर से होता है उन्हें रोक दिया जाय और वह सर्विस में न आ सकें । तो मैं समझता हूं कि यह एक वर्ग के प्रति जो पिछड़ा हुआ है, जिनका एनवायरमेंट ऐसा है कि विकास देर में होता है उस सारे वर्ग के लिये, और अच्छे वर्ग के जो लोग कहलाते हैं उनमें भी जिनका डेवलपमेंट टार्ड होता है उनके लिये भी, यह नियम अन्याय करता है । इसलिये एज का प्रतिबंध बिल्कुल हटा दिया जाय । २४, २५ साल की उम्र के बाद भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काफी तरक्की करते हैं और जो लोग पहले से डेवलप्ड हैं, जो काफी तरक्की किये होते हैं, उनको भी सरपास कर देते हैं ।

जहां तक एग्जीक्यूटिव लाइन का ताल्लुक है उसके लिये मेरे खयाल से छोटे वर्ग के लोग ज्यादा योग्य होते हैं । यह बात कि उनका डेवलपमेंट देर में होता है जिसके भी कारण हैं, लेकिन यह लोग ऊंचे वर्ग वाले लोगों से एग्जीक्यूटिव प्लान में काफी अच्छे रहते हैं क्योंकि जिन्दगी के हर पहलू से वह निकल कर आते हैं हमेशा जद्दोजहद करके आगे बढ़ते हैं । इसलिये उसका मुकाबला उच्च वर्ग के लोग नहीं कर सकते हैं । इसलिये उम्र के नियम को बिलकुल तोड़ देना चाहिये । एक बात मैं मानता हूं कि एक आदमी की कैपेसिटी

[श्री वीरसेन]

और केपेबिलिटी की जांच करना जरूरी है । इसके लिये मैं समझता हूं कि एक उम्मीदवार अगर ५ बार किसी एक पोस्ट के लिये अप्लाई करता है और उसमें वह क्वालीफाई न कर सके तो फिर आगे उसको मौका न दिया जाय । लेकिन उम्र की कैद बिल्कुल हटा दी जानी चाहिये । ४५ साल तक की उम्र ऐसी है जब कि आदमी की कैपेसिटीज कायम रहती हैं और वह योग्यता से काम कर सकता है इसलिये उस वक्त तक यह मौका देना चाहिये । गवर्नमेंट आफ इंडिया के बहुत से ऐडवरटीजमेंट्स इसी किस्म के निकलते हैं जिनमें ४५ साल तक की एज मांगी जाती है । यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि किसी की एज ज्यादा हो जाने की वजह से कोई आदमी बिल्कुल निकम्मा हो जाय और सर्विस के लायक ही न रहे । इसलिये सरकार इस प्रश्न पर अच्छी तरह से विचार करे और यही नहीं कि तीन साल के प्रश्न पर विचार न करे, अवश्य करे । पर मेरी राय में उसको हटा कर ४५ साल तक की उम्र की लिमिट रखी जानी चाहिये । यही मुझे कहना है ।

*आचार्य द्वीपंकर (जिला मेरठ)---मान्यवर, माननीय श्यामलाल जी की तरफ से जो संकल्प प्रस्तुत है उसमें कोई विशेष मांग नहीं की गई है और न इस प्रकार का कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव ही है जिसकी वजह से यह समझा जाय कि पिछड़ी हुई जातियों को इससे बहुत बड़ी सुविधा मिल जायगी और इसके लिये सरकार को भी पीछे हटना चाहिये तथा इस संकल्प को स्वीकार करना चाहिये, ऐसा मैं नहीं मानता । फिर भी जो पिछड़ी हुई जातियां हैं और जो हर दृष्टि से समाज में पिछड़ी हुई हैं उनको इससे थोड़ी सी सुविधा जरूर मिल सकती है ।

मैं यह बात जानता हूं कि और मान्यवर, आप इसको बहुत अच्छी तरह से अनुभव भी करते हैं कि जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उन लोगों को जब तक कनसेशन्स न दिये जायं तब तक समाज में दूसरे लोगों के स्तर तक उनको नहीं पहुंचाया जा सकता है । इसलिये भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों को हर दृष्टि से सुरक्षित सीटें देकर के उनको विशेष सुविधायें दी गईं ताकि हजारों सालों से जो पीछे पड़ गये वे लोग विशेष सुविधा हासिल करके समाज के आगे बढ़े हुए हिस्से के समकक्ष स्थानों को प्राप्त कर सकें । एक पिछड़ी हुई जाति का व्यक्ति जो कि आर्थिक दृष्टि से परम दरिद्र है जिसके पास अपनी जीविका के भी साधन नहीं हैं और जो पैदा करने के साधनों से वंचित है और किसी भी दृष्टि से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता है, आर्थिक दृष्टि से तो मजबूर है लेकिन सैकड़ों वर्षों से सांस्कृतिक दृष्टि से भी पिछड़े रहने के कारण इस बात को महसूस नहीं करता कि पढ़ना उसके लिये बहुत जरूरी है और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये स्कूल में नहीं भेज पाता है ठीक टाइम पर और यदि वह भेजता भी है तो पिछला बैकग्राउन्ड न होने के कारण उनके बच्चे पढ़ने में उन बच्चों से जो कि सांस्कृतिक दृष्टि से उनसे हजारों वर्षों से आगे रहे हैं, होड़ नहीं कर पाते और उनमें पढ़ने का हौसला नहीं हो पाता । इसके साथ ही उनको वह सुविधा भी हासिल नहीं हो पाती जिससे वह पढ़ नहीं पाते और घर में आने के बाद आर्थिक दुश्चिन्तायें झेलते रहते हैं । आम तौर पर वे फेल भी होते रहते हैं । अतः माननीय श्यामलाल जी ने जो यह प्रस्ताव रखा है कि जहां सरकार पिछड़ी हुई और अनुसूचित जातियों को बहुत सी सुविधायें और कनसेशंस देती है वहां यह छोटी सी सुविधा भी उनको दी जानी चाहिये ताकि उन लोगों को पढ़ने में सहूलियत हो सके ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अभी एक माननीय सदस्य ने बोलते हुये इस प्रस्ताव के संबंध में समाजवाद पर भी आक्षेप किया जैसा कि उनकी अपनी आदत है कि सरकार के विरोध

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में जनभावनाओं को उभारते हुये यह भी जरूरी समझते हैं कि समाजवादी व्यवस्था को भी दूषित करें । मैं कांग्रेस पार्टी और उसके द्वारा चालित सरकार को व्यक्तिगत रूप से समाजवादी सरकार नहीं मानता । पारस की पथरी अगर लोहे के निकट रख दी जाय और छुये नहीं तब भी कुछ न कुछ तो असर उस पारस की पथरी का लोहे पर होता ही है, इसी तरह से कांग्रस जो पूंजीवादी पार्टी ह समाजवादी पारस की पथरी की बात जब कहने लगती है तो उसे कुछ न कुछ अपने संतोष के लिये और जनता को व्यामोह में रखने के लिये समाजवादी काम करने पड़ते हैं । यही कारण है कि अनुसूचित जातियों और पिछड़ी हुई जातियों को थोड़े बहुत कंसेशंस दिये गये हैं ।

मान्यवर, मैं यह तो नहीं जानता कि श्यामलाल जी इस प्रस्ताव को वापस ले लेंगे या नहीं, यह हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के अनुशासन से बंधे हुये और अपने उच्च नेताओं की प्रेरणा से मजबूर होकर अगर वे इस प्रस्ताव को वापस भी ले लें तब भी मैं कम से कम यह समझता हूं कि इस पर बहस के द्वारा उन्होंने कम से कम यह अवसर तो दिया है और ऐसा करके उन्होंने पिछड़ी हुई और अनुसूचित जातियों की सेवा तो की ही है । इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं ।

*श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम स्वतंत्रता संग्राम के समय से हमेशा क्रान्ति और इन्कलाब का नारा लगाते रहे हैं और आज भी विरोधी दलों के साथ कांग्रेसवाले भी क्रान्ति और इन्कलाब का नारा लगा रहे हैं लेकिन मैं नहीं समझ पाता कि वह क्रान्ति और इन्कलाब आयेगा कब ? क्रान्ति का मतलय है तब्दीली, लेकिन जो लोग हमेशा से आगे बढ़े रहे हैं और जैसा कि हमारे नेता जी ने अभी कहा कि कुछ लोग जो पुश्तैनी गुलाम रहे हैं वे ही यह लोग ह जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो हमेशा से सताये गये हैं और दबाये गये हैं, जिनकी सुविधाओं के लिये हमेशा से कोई ध्यान नहीं दिया गया है । मैं समझता हूं और मेरी पार्टी के भी यही विचार है कि हमारा ध्येय ही हरिजनों की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन होना चाहिये और यह परिवर्तन तभी होगा जब कि समाज में समाजवादी व्यवस्था कायम होगी । यह कहने के लिये कांग्रेस सरकार या उसके समर्थक समाजवाद का नारा भले ही लगायें, लेकिन मैं कहूंगा कि वे इस प्रकार का नारा लगा कर समाजवाद को धोखा दे रहे हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं और समाजवाद के सिद्धान्तों पर ठन्डे छींटें देकर समाजवाद को दूर ले जाना चाहते हैं ।

मुझे खुशी है कि सत्ताधारी पार्टी की तरफ से श्री श्यामलाल जी यादव ने यह प्रस्ताव रखा है । मैं कहूंगा यह तो उस समाज के लिये एक छोटी सी बात कर दी है, या उसको लालच देना है या उनको धोखा देना है । मनुस्मृति में कहा गया है कि जब कोई तपस्वी योगी सिद्ध करता है तो उसके सामने छोटे-छोटे सिद्ध आते हैं । अगर वह योगी इन छोटे-छोटे सिद्धों में फंस जाता है तो वह अपने ध्येय से ही पिछड़ जाता है । तो इन छोटी-छोटी बातों में फंसा कर के आप पिछड़े वर्ग को फंसाना चाहते हैं । यह थोड़ी सी सुविधा उनको मिल सकती है । माननीय श्यामलाल जी यादव ने इस प्रस्ताव को रखा है इससे मुझे बड़ी खुशी है । लेकिन मुझे डर है—चूंकि श्याम लाल जी पिछड़े वर्ग के हैं और वे एक वकील भी हैं और सत्ताधारी पार्टी में हैं इसलिये कहीं ऐसा न हो कि वे सत्ताधारियों के कहने पर अपने प्रस्ताव को वापस ले लें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नन्दराम]

बहुत सी दलीलें श्री रामबचन यादव जी ने भी दी हैं और कहा है कि यह वर्ग उत्पादन करता है । यह वर्ग उत्पादन अवश्य करता है परन्तु उसकी इज्जत नहीं होती है । मेरे साथी मुझे क्षमा करें अगर मैं यह कहूं कि यह उत्पादन करने वाला वर्ग तो है लेकिन इनके पास साधन कितने हैं । कारखाने कितने इनके पास हैं । बड़े-बड़े कारखाने तो उन लोगों के पास हैं जिनको हम द्विज कहते हैं । सारा व्यापार तिजारत तो उन के हाथ में है । हालांकि कहा जाता है कि उत्तम खेती मध्यम बान । लेकिन मेहनत की दृष्टि से देखा जाय तो कृषि निकृष्ट समझी जाती है क्योंकि इसमें शारीरिक मेहनत होती है, बौद्धिक मेहनत नहीं होती है । इनको धूप में भी मेहनत करनी पड़ती है और बरसात में भी मेहनत करनी पड़ती है । यदि सारे देश के आंकड़े एकत्रित किये जायं तो पिछड़े वर्ग की जनसंख्या लगभग सारे देश की जन संख्या की आधी होगी । उनके पास खेती भी अधिक नहीं है । बड़े-बड़े खेत और फार्म भी द्विज लोगों के पास हैं या बड़े-बड़े गुलामों के पास हैं । फिर खेती कहां से इन लोगों को मिलेगी । पैदावार कहां से करेंगे । ये अपने बच्चों को अगर पढ़ाना भी चाहें तो कैसे पढ़ायेंगे । क्योंकि इन लोगों की हालत इस काबिल नहीं है कि वे अपने बच्चों को पढ़ा सकें। इनके पास कमाने के कोई साधन नहीं हैं और इनके बुजुर्ग भी सर्विस में नहीं हैं । अगर कोई इनमें से नौकर है तो वह कांस्टेबिल है या चपरासी है जिस का पेट ही मुश्किल से भरता है । अगर वह अपने बच्चे को दो, तीन या चार दर्जा पढ़ाना भी चाहता है तो उसके पास साधन नहीं हैं । इस तरह से तो समाज को धोखा देना है और पिछड़े वर्ग को धोखा देना है । बड़ी मुश्किल के साथ तो वे अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं । पहली चीज तो यह है कि उनके बच्चों को फुरसत ही नहीं है कि वे स्कूल जा सकें । दूसरी बात यह है कि उन को खाना ठीक से नहीं मिलता है । अगर बच्चों को पढ़ने के लिये भेजते हैं तो उनके कपड़ा और खाने का भी इन्तजाम होना चाहिये जो कि वे नहीं कर सकते हैं । अक्सर मैंने देखा है कि पिछड़े वर्ग के बच्चे एक साल तक फीस न मिलने के कारण बैठे रहते हैं । अच्छी सुविधा और ठीक तरह से खाना न मिलने के कारण फेल भी ज्यादा होते रहते हैं ।

दूसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि वे बेचारे अपने बच्चों की उम्र नहीं जानते हैं । जब पढ़ाने के लिये ले जाते हैं तो अक्सर अपने बच्चों की उम्र ज्यादा लिखाते हैं । उनको इस बात का इतना ध्यान नहीं होता कि हमें अपने बच्चों की उम्रें कम लिखानी चाहिये । इसलिये उनकी उम्र का अधिक हो जाना तो अनिवार्य है । बहुत से विद्यार्थी जो पढ़ने में तेज निकलते हैं जब वे देखते हैं कि हमारी उम्र बहुत ज्यादा हो रही है तो बेचारे बीच में ही हताश होकर पढ़ना छोड़ देते हैं या अगर किसी तरह से उन्होंने आखिरी पढ़ाई हासिल भी कर ली तो उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है और वे इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं ।

जहां तक हमारे अपने सिद्धान्त हैं, अगर हमारी इच्छा पूर्ण हो तो जैसा कि सोशलिस्ट पार्टी का सिद्धान्त है हर नौकरी में ६० फी सदी स्थान पिछड़े वर्ग और हरिजनों को मिलने चाहिये और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि हमारे समाजवादी दल में कुल २१ विधायक हैं जिनमें से १३ पिछड़े वर्ग के और हरिजन हैं । तो मेरा कहना है कि इस कांग्रेसी सरकार को इसे प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिये पिछड़े वर्ग के हित में और अपने हित में, क्योंकि आगामी चुनाव लड़ने हैं और पिछड़े वर्ग से वोट मांगने हैं और हमारे यादव जी को तो खास-तौर से क्योंकि वह पिछड़े वर्ग के हैं भी और उसी नाम पर चुनाव भी लड़ेंगे इसलिये उसको इस प्रस्ताव को वापस नहीं लेना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं ।

*श्री कल्याणराय (जिला रामपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्यामलाल जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । वैसे तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हरिजन और पिछड़े वर्ग की आबादी करीब-करीब ७० फीसदी है मगर न तो इस प्रतिनिधित्व में हमारा सम्मान है और न कहीं और बैकवर्ड जाति के लोगों का सम्मान है क्योंकि यहां ज्यादा से ज्यादा ६५, ७० आदमी बैकवर्ड क्लास के हैं जबकि उनकी संख्या कम से कम ५० फीसदी होनी चाहिये थी क्योंकि ५०, ५५ फीसदी उनकी आबादी है। माननीय श्यामलाल जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह तो बहुत ही छोटा सा और मामूली सा है और सरकार को इसे अवश्य मान लेना चाहिये। वैसे ही पिछड़े वर्ग में बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं और अगर किसी ने सोच समझ कर यह प्रस्ताव पेश कर दिया है तो यह ऐसा नहीं है कि न माना जाय। जनतंत्र के माने ही यह है कि जनता की आवाज को माना जाय और अगर जनता की आवाज को नहीं माना गया तो फिर वह जनतंत्र नहीं है। यह किसी एक व्यक्ति की सरकार नहीं है, यह जनतंत्र की सरकार है और इसमें सबको समानता है। इसलिये इस प्रस्ताव को तो जरूर ही मान लेना चाहिये क्योंकि अव्वल तो देहातों में स्कूल ही बहुत कम हैं, पढ़ाई-लिखाई तो शहर में ही अधिक होती है और शहरों में देहात के बच्चे जा नहीं पाते हैं। अगर गवर्नमेंट इसको इस वक्त नहीं मानेगी तो कोई न कोई समय ऐसा जरूर आयेगा जबकि उसे इसको मानना पड़ेगा। इसलिये हमारी प्रार्थना है कि इस प्रस्ताव का सब लोग समर्थन करें और कोई विरोध न करे। सबको हम लोगों का खयाल रखना चाहिये। पिछड़े वर्ग को जंजीर की छोटी कड़ी मान कर बड़ी कड़ी को छोटी कड़ी का खयाल रखना चाहिये। अगर नहीं खयाल रखेंगे तो ठीक नहीं होगा। जैसे कोई बड़ा भाई छोटे भाई का खयाल नहीं रखता है तो उसको कोई अच्छा नहीं कहता है। इसलिये इतनी ही मेरी प्रार्थना है कि सदन को यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिये।

*श्रीमती राजेन्द्रकुमारी (जिला हमीरपुर)—अधिष्ठाता महोदय, जो हमारे भाई श्यामलाल जी ने प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिये मैं यहां पर खड़ी हुई हूं। मुझे मालूम है कि आज हमारे हरिजन भाइयों की और पिछड़े वर्ग के लोगों की क्या हालत है। शहरों में ही नहीं बल्कि देहात में ये लोग किस परेशानी से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, खाने के लिये खाना नहीं होता है, पहनने के लिये उनके पास कपड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी बुद्धिमान मां-बाप अपने बच्चों को ऐसी दशा में भी पढ़ाते हैं। अपने बच्चों को दूर भेजते हैं और जहां उम्र का बंधन होता है वहां उनके बच्चे रह जाते हैं। मैं देखती हूं कि हमारी सरकार के यहां इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है।

श्रीमन्, मैं अपने जिले के एक हरिजन भाई की कथा आपको बताती हूं। वह पोलिटीकल सफरर है और छः बार जेल जा चुका है। मैंने कई बार उसके लिये कहा लेकिन आज तक उसकी पेंशन नहीं हुई। हमारे हरिजन भाई हर काम में आगे रहते हैं और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं फिर भी हमारे अन्दर उनके लिये प्रतिष्ठा का स्थान नहीं है। आज हमारे यहां के हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के लोग बहुत पिछड़े हैं और खासकर पिछड़े जिलों के तो विशेष रूप से पिछड़े हुए हैं, वह परेशानी में रहते हैं और दबाये जाते हैं, उनके लिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगी कि उनको ऊंचा उठाया जाय। ये लोग मेहनती होते हैं लेकिन इनके पास जमीन नहीं है, रहने के लिये मकान नहीं है, फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिये इनके बच्चों का खास तौर से खयाल रखा जाय और हर बच्चे को वजीफा दिया जाय तथा इनकी फीस माफ होनी चाहिये।

मान्यवर, जब मैं अपने हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के भाई बहिनों को देखती हूं तो मुझे बड़ा कष्ट और दुख होता है। जब मैं उनके बच्चों के लिये वजीफे और फीस माफी के लिये कहती हूं और उसकी सुनवाई नहीं होती है तो मुझे बड़ा दुख होता है। मेरी प्रार्थना है और सरकार का कर्तव्य है कि हरिजन भाइयों का तथा पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्थान किया जाय और आगे बढ़ाया जाय तभी देश का उत्थान होगा अन्यथा नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनवीक्षिण नहीं किया।

*श्री बाबूराम (जिला बरेली)---अधिष्ठाता महोदय, आज जो प्रस्ताव माननीय श्यामलाल जी ने पेश किया है, उसके सम्बन्ध में मैं अपनी बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। अगर जनसंख्या के लिहाज से देखा जाय तो हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोगों की जनसंख्या करीब-करीब ५० फीसदी है और उनकी आर्थिक दशा बहुत पिछड़ी हुई है। कुछ इलाके ऐसे हैं, जसे मुझे महोबा जाने का इत्तफाक हुआ है, वहां मैंने देखा कि इस आजादी के मिलने के १३ साल के बाद भी वहां के हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के लोग ऊंचे वर्ग के लोगों के सामने चारपाई पर नहीं बैठ सकते हैं। इतनी सब कोशिश करने के बावजूद भी जहां तक यह प्रस्ताव हमारे सामने है, हमारी सरकार को विशेष रूप से इस ओर ध्यान देना चाहिये क्योंकि पिछड़ा वग भी समारे समाज का एक अंग है। अगर उसकी ओर विशेष ध्यान न दिया गया तो वह और पिछड़ता जायगा। लिहाजा सरकार का कर्तव्य है कि उनको प्रोत्साहन दे, शिक्षा के बारे में और सर्विसेस के बारे में भी प्रोत्साहन दे ताकि वह आगे बढ़ें। मैं अधिक न कह कर यही कहूंगा कि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करे।

*श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज यह प्रस्ताव हम सब की एक कसौटी है। उसी के लिये यह सदन में लाया गया है। कसौटी इस मानी में कि जिन लोगों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है वह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि वह पिछड़े वर्ग का उत्थान चाहते हैं। मुझे इस बात का जरूर दुख है कि इस प्रस्ताव को इतना सीमित कर दिया गया है कि केवल उम्र बढ़ाने की बात इसमें रखी गयी है।

अभी यह प्रश्न किया गया कि श्यामलाल जी इसको वापस ले सकते हैं। लेकिन वह हमारी और माननीय सदस्यों की बातों को वापस नहीं ले सकते। इससे पता चल जायगा कि इस प्रस्ताव के पीछे उनकी कितनी सिंसियरिटी है। वह पिछड़े वर्ग के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। इससे उनकी कलई खुल जायगी कि वह सही मानी में उनका प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं या महज पेश कर के समाप्त कर देना चाहते हैं।

यह प्रस्ताव इस माने में महत्वपूर्ण है कि देहात में जो समय का प्रश्न होता है वह बड़ा जटिल होता है। कहीं पर घड़ियां नहीं होतीं। जब बच्चा पैदा होता है तो देखते हैं कि धूप मकान के इतने आगे है या नदी के पार थी, यानी किसी प्राकृतिक चीज को ले कर अन्दाज लगाया जाता है। अगर बच्चा रात को पैदा हुआ तो देखते हैं कि चांद उग आया या नहीं, और चांद है तो इतना आगे है, रात खुलने वाली या रात आधी बाकी है। इस तरह का विचार रख कर उम्र का हिसाब लगाया जाता है। इस प्रस्ताव का मंशा केवल उम्र से नहीं है, इसका मंशा यह है कि उनको अधिक से अधिक सुविधा दी जाय।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये एक बात यह बता देना चाहता हूं कि पुलिस विभाग में अब तीन साल के बजाय चार की छूट हो गयी है। इसलिये इस प्रस्ताव में तदनुसार संशोधन कर लेना चाहिये।

मान्यवर, इस उम्र के प्रश्न से आर्थिक ढांचे का भी सम्बन्ध है। मान लिया कि किसी हरिजन विद्यार्थी को सरकार ने वजीफा दिया और वह पढ़ गया। लेकिन जब वह कम्पेटीशन में जाता है तो उसकी उम्र पूरी हो जाती है। वह उसमें बैठ नहीं पाता, इस लिये उनकी आर्थिक अवस्था पर प्रभाव पड़ता है। अब मैं डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल्स आफ स्टेट पालिसी के आर्टिकल ४६ और ५० को पढ़ देना चाहता हूं—

"The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker section of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation".

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

"weaker section of the people" में यह बैकवर्ड क्लास आता है। मैं संविधान की धारा इसलिये कोट कर रहा हूं कि मैं हुक्मरां पार्टी को चार्ज करना चाहता हूं कि बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट उसने लागू नहीं की है। ८ सितम्बर, १९५० की राष्ट्रपति की घोषणा के अनुसार सारे अन्य प्रदेशों में पिछड़े वर्ग के लोगों को सुविधायें मिल रही हैं, जो कमीशन के आधार पर मिलनी चाहिये, लेकिन उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जो अपने को बहुत प्रगतिशील मानता है और समाजवादी प्रकार की सरकार यहां की सरकार अपने को कहती है, उसने इस पर अमल नहीं किया। मैं आज गवर्नमेंट से बड़े अदब के साथ यह जवाब तलब करना चाहता हूं कि कौन से ऐसे कारण हैं कि जिनकी वजह से बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट को आज १२ साल की आजादी के बाद भी लागू नहीं किया गया और मैं उन लोगों को भी ललकारना चाहता हूं जो यह कहते हैं कि उनकी आबादी यहां ५० प्रतिशत है, सरकार उनकी रिपोर्ट को लागू न करे और वह इस पर भी उस पार्टी के सदस्य बने रहें, मुबारक हो उन्हें उनका यह प्रस्ताव। आज इस डेमोक्रेसी के जमाने में ५० प्रतिशत आबादी की आवाज को जो गवर्नमेंट ठुकराये उस गवर्नमेंट का साथ देने वालों को अब मैं क्या कहूं? भाषण देना आसान है, उसको प्रैक्टिस में परिणत करना चाहिये। उनसे ललकार कर कहना चाहिये कि हमारी बातों को मानिये नहीं तो हम तुम्हारी कुर्सियों को छोड़ते हैं। यहां जनतंत्रीय प्रणाली से शासन होता है, लोकशाही के आधार पर समाज चलता है, पार्टी के अन्दर भी उनको पूरा अधिकार है, खुली छट है कि अपनी बात को जोर देकर मनवा सकें। लेकिन यहां तो मैंने सुना है कि व्हिप जारी हो रहा है कि इसको वापस लो जबकि यह हमारे हाउस का रूल है कि यहां किसी भी सदस्य पर दबाव डालकर कोई काम नहीं कराया जा सकता। ठीक है पार्टी का व्हिप लग सकता है लेकिन किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता।

यह तीन चार साल की जो बात है यह कोई ऐसी नहीं है कि आई० ए० एस० या पी० सी० एस० बनने वह जा रहे हों, बल्कि वह इसलिये है कि आखिर बैकवर्ड क्लासेज की तरक्की कैसे होगी? आज यह ऐसा महान प्रश्न हमारे सामने है जिसको आज तक हल नहीं किया गया है और वह इसलिये नहीं किया गया है कि लोग ऐसा समझते हैं कि अगर उनकी हालत अच्छी हो जायेगी तो वह पिछड़ा वर्ग भी हमसे नाराज हो जायगा। वह यह समझते हैं कि आज अगर उनकी आर्थिक हालत सुधरती है तो वह भी बड़े माने जाने लगेंगे।

दूसरी बात आपको यह भी ताज्जुब होगा, यह तीन साल वाली बात तो अलग रही, इसी प्रदेश में एक तहसील है जिसमें ५० हजार बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, थारू लोग। न जाने कितने लोगों ने उनके ऊपर लिख लिख कर डाक्टरेट ले ली है। उस पूरी ५० हजार की तादाद में केवल एक ग्रेज्युएट है, मान्यवर, जो बेकार है। ५ साल पहले उन्होंने एक ग्रेज्युएट पैदा किया, उस ग्रेज्युएट को कहीं नौकरी नहीं मिली। सरकार कहती है कि हम उनके लिये रिजर्वेशन करते हैं। तो कागज पर रिजर्वेशन है, संविधान में रिजर्वेशन है, इस प्रस्ताव में भी यह बात कही गई है लेकिन प्रैक्टिस में कहीं नहीं है। इसकी वजह से आज समाज में एक ऐसा कीड़ा लग रहा है, एक ऐसी प्रिजूडिस की भावना पैदा हो रही है एक दूसरे के खिलाफ कि लोग यह समझने लगे हैं कि चूंकि दूसरे लोग इनको नौकरियों में रखने का काम करते हैं, इसलिये वह जान बूझकर इनको नहीं रखते। तो इस प्रकार की प्रीजूडिस की भावना पैदा न हो, इस बात पर सरकार को ध्यान देना चाहिये और मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि उनको भी अपने इन्टरेस्ट के साथ-साथ समाज और देश के इन्टरेस्ट को भी सोचना चाहिये। देश खराब नहीं है, हम और आप खराब नहीं हैं, बल्कि यह हुकमरां पार्टी जो गवर्नमेंट को चला रही है, वह खराब है। उन्हीं का बैठाया हुआ कमीशन कहता है कि बैकवर्ड क्लास की अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिये। रीहैबिलिटेशन की मिनिस्ट्री तो बन गई लेकिन ५० फीसदी जिनकी आबादी है उनकी मिनिस्ट्री, बैकवर्ड क्लास की मिनिस्ट्री नहीं बनी। मैं आपकी आज्ञा से बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट से थोड़ा सा अंश पढ़ देना चाहता हूं—

"The Commission has also felt the necessity of creating a Backward Classes Ministry in all the States and the Centre just like Rehabilitation Ministry".

[श्री प्रतापसिंह]

इसके बाद उन्होंने कहा कि इस क्लास का मिनिस्टर हो या दूसरे क्लास का हो। कुछ लोगों ने कहा कि इसी क्लास का होने से जातिवाद फैलेगा। लेकिन फिर कमीशन आगे चलकर कहता है कि यह बात गलत है—

"This will also serve as warning for the advanced communities that unless and until they give up the exploitation of these people and change their outlook, they will gradually lose their confidence. Such an appointment will inspire more confidence in the hearts of backward classes people, for they will see that they are not being ingnored and that one of their own men is there to watch their interest. In this common logic that a man who has suffered, knows and understands better his suffering and is in a better position to take remedial measures in comparison with one who has only to imagine things. Hence I propose that Ministry for the backward classes should be created and the Minister must necessarily belong to the Backward Classes"

जहां तक इसका सवाल है हम लोग यह चाहते हैं कि बैकवर्ड मिनिस्टर इसलिये हो ताकि उनको मालूम हो कि हमारे पास एक मिनिस्टर ऐसा है जो हमारे वेलफेयर को देखेगा।

आखिर में मैं यह और कहना चाहता हूं कि जहां तक इसका सम्बन्ध फीसदी से है उसकी पूर्ति आज तक दिखाई नहीं देती है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अपने शब्दों को भूली नहीं होगी जिसमें उसने कहा था कि सरकार पिछड़ी जाति के लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि १२, १३ साल आजादी के बाद भी बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट को यहां पर क्यों लागू नहीं किया गया? उधर के बैठने वालों से निवेदन करता हूं कि यदि बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया जाता है तो फिर आपके पास उनको आगे बढ़ाने का और क्या चारा है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यदि इस प्रस्ताव को वापस लिया गया तो हाउस का समय व्यर्थ में बरबाद होगा। इसलिये जिस तरह से समय से यह प्रस्ताव रखा गया है उसी तरह से उस पर कार्य होना चाहिये।

*श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज सदन के सामने जो पिछड़े वर्ग की समस्याओं के सम्बन्ध में एक संकल्प आया है मैं उसके पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह समाज का एक बहुत बड़ा कलंक रहा है कि जहां पर एक वर्ग को दूसरे वर्ग से छोटा कहा जाता हो या पिछड़ा हुआ कहा जाता हो और जहां-जहां इस वर्ग के लिये सुविधायें दिये जाने का सम्बन्ध हो, उनको नजरन्दाज किया जाता हो। समाज में उसके लिये किस प्रकार से बातें देखी जाती हैं यह तो यहां की हालत के बारे में निश्चित ही है लेकिन यहां पर प्रेस रिपोर्टर भी आज इस वक्त उपस्थित न हों, और जिस देश और समाज में इस प्रकार की भावना बन चुकी हो कि जहां पर इसका जिक्र चलता हो वहां समाज में अरुचि हो तो उस वर्ग का कल्याण क्या होगा?

जब हम यह सोचते हैं कि पिछड़े वर्ग का समुदाय हर प्रकार से हमारे देश की उन्नति में इस तरह से सहायक सिद्ध हो सकता है तो यह भी सोचने की बात है कि आज इस समुदाय की स्थिति क्या है। आज जब कि हमारा देश गणतन्त्र राज्य है जिसमें हर वर्ग को पूरा-पूरा अधिकार है और जहां-जहां संरक्षण दिये हुए हैं वहां इन लोगों को भुलाया जाता है तो यह किसका दोष है? समाज के लिये आज यह अंग इतना जरूरी हो गया है कि जिस वक्त कहीं से कोई चीज चलती है तो सब से पहले लोग दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग पर आधारित रहते हैं। अभी एलेक्शन का समय आ रहा है। सब की ओर से यही दिखाई दे रहा है कि किस तरह से दलित

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वर्ग को अपनाया जाय और किस तरह से पिछड़े वर्ग को अपनाया जाय। इससे यह साफ जाहिर है कि देश के अन्दर इसका बहुमत है और देश के अन्दर यह ऐसा समाज है जिसको साथ लेकर चलना जरूरी है। तो मैं नहीं समझता कि जब इसकी सुविधा का समय आता है, जब इसको आगे बढ़ाने का सवाल आता है तो इसको क्यों भुलाया जाता है? समाज की सब से अधिक उन्नति तभी हो सकती है जब कि समाज की बराबरी में इसको लाने के लिये इसे पूरी-पूरी सुविधा दी जाय और इनकी शिक्षा का स्तर ऊंचा किया जाय। शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिये यह आवश्यक है कि इनको ऊंचे-ऊंचे स्थान दिये जायं, तभी इस समाज का उत्थान हो सकता है। यहां पर भी हम देखते हैं कि दूसरे वर्ग के लोग ही हमारे ऊपर सत्ताधारी हैं और समाज पर इसका वैसा ही असर पड़ता है। जब कभी कोई अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में जाता है तो उन क्षेत्रों में यही प्रभाव पड़ता है और लोग समझते हैं कि दलित वर्ग या पिछड़े वर्ग का कोई भी अधिकारी नजर नहीं आता है। यही भावना समाज की कुरीति को उनके दिमाग में बैठ जाती है। इसको देखकर बड़ा दुःख होता है। आज देहातों में जब तरह-तरह के झगड़े और उपद्रव होते हैं तो वहां पर जो अफसर लोग जाते हैं वे समाज की इस भावना को लेकर ही कार्य करते हैं। इस तरह की बातें आज समाज में चल रही हैं।

जो प्रस्ताव आज सामने आया है आज उस प्रस्ताव की समाज में जरूरत है। आज जरूरत है कि इस पिछड़े हुए वर्ग और दलित वर्ग को आगे बढ़ाने के लिये जहां-जहां सरकारी स्थान हैं उनके लिये इनको सुविधा दी जाय। इसके अतिरिक्त जहां उन लोगों को संरक्षण दिया गया है उसे पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जब ये उम्मीदवार पहुंचते हैं तो उनमें वहां भी मेरिट की बात देखी जाती है। मैं समझता हूं कि मेरिट देखी जानी चाहिये, लेकिन यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि हम को उन्हें साथ लेकर चलना है। इंटरव्यू में उनके साथ रियायत होनी चाहिये। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण, शिक्षा कम होने के कारण, उनका माहौल घटिया किस्म का होने के कारण वे उचित स्टैंडर्ड के नहीं रह पाते, लेकिन अगर उनको ये सुविधायें दी जायं तो वे और लोगों से आगे बढ़ जाते हैं और यह सही साबित हुआ है। इसलिये इंटरव्यू करते समय यह ध्यान रखा जाय कि समाज में इनका क्या स्थान रहा है और इनको उठाने के लिये किस चीज की आवश्यकता है। हमको उन्हें प्रोत्साहन देना है और मैं समझता हूं कि इस चीज को ध्यान में रखते हुए उनको हर जगह स्थान मिलना चाहिये।

*श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)—अधिष्ठाता महोदय, जो संकल्प श्यामलाल जी ने प्रस्तुत किया है वह बहुत सीधा सा है और उसका अभिप्राय यह है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को जैसी छूट पुलिस की नौकरी में है तीन साल की, वैसी ही छूट अन्य विभागों के लिये भी दी जाय। इस सदन में मुक्त कंठ से इस संकल्प का स्वागत हो रहा है और सभी लोगों ने इसकी सराहना की है, लेकिन फिर भी संदेह किया जा रहा कि यह प्रस्ताव पास नहीं होगा या इसको वापस ले लिया जायगा। मैं समझता हूं कि इसे जरूर पास होना चाहिये और माननीय श्यामलाल जी इसे पास करवायेंगे।

आज वास्तव में पिछड़े वर्ग के लोगों को कठिनाइयां हैं और अगर उन्हें एक विभाग के लिये छूट दी गई है तो दूसरे विभागों में वही छूट न देने की कोई वजह नहीं मालूम पड़ती। मैं समझता हूं कि जब इधर और उधर के लोगों की राय एक है तो सरकार की ओर से कह दिया जाना चाहिये और इस प्रस्ताव को पास हो जाना चाहिये, लेकिन माननीय मंत्री जी खामोश हैं। किसी ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन फिर भी इसकी स्वीकृति का ऐलान नहीं किया गया। संदेह इसीलिये होता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलदेव सिंह]

पिछड़े वर्ग के लोगों को जो दिक्कतें हैं वे कम नहीं हैं। आज उनको शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा नहीं है। यह ठीक है कि सरकार ने हरिजनों के लिये फीस माफी कर दी है, लेकिन फिर भी वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। उनके बच्चों को छोटी उम्र में मजदूरी करके अपना गुजर बसर करना पड़ता है और अगर किसी ने स्कूल भेजने का साहस भी किया तो वे पास होते होते दो, तीन साल पिछड़ जाते हैं और उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है। इसलिये यह मांग इतनी उचित और न्यायपूर्ण है कि इसको अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिये। मैं भी इसका हृदय से स्वागत करता हूं और अधिक बातें न कहकर आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस प्रस्ताव को निश्चित रूप से मान लें। आज भी ऐसे लोग हैं जो पिछड़े वर्ग के हैं और जो वर्षों तक, एक लम्बी उम्र तक,स्कूल नहीं जाते हैं और जब जाते हैं तो उनके माता-पिता उनकी उम्र तक ठीक-ठीक नहीं लिखा पाते और मास्टर जो भी उम्र उचित समझते हैं वह लिख लेते हैं। अगर २१ साल की या २५ साल की कोई म्याद रख दी जाती है, तो उस के कारण बहुत से लोग इम्तहान में नहीं बैठ पाते हैं। इसलिये मैं श्यामलाल जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इस प्रस्ताव को अवश्य मान लेगी। मैं न्याय मंत्री जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि वे इस पर अब बहस बन्द करें और इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।

श्री भूपकिशोर (जिला एटा)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय श्यामलाल जी का जो ३ वर्ष की उम्र की छट देने वाला प्रस्ताव है उसमें यह भी जोड़ दिया जाय कि---पिछड़ी जाति के लोगों को सर्विस में उनके अनुपात से प्रतिनिधित्व दिया जाय और सवर्ण लोगों के लिये तब तक नौकरी देना बन्द कर दिया जाय जब तक कि उनकी आबादी के अनुपात में इन लोगों को सर्विस में स्थान न मिल जाय।

श्रीमन्, इस प्रदेश में ६० प्रतिशत बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। सरकार हमेशा उनको उपेक्षा की नजर से देखती रही है। यह सरकार अपने मैनीफैस्टो में जो स्वीकार करती है उसको पूरा नहीं करती । गांधी जी के वायदों को भी इसने पूरा नहीं किया। हर २६ जनवरी को यह दोहराया जाता है कि हम बैकवर्ड क्लास को अपना अंग मानते हैं और उनको सुविधायें देंगे। मैं इसको जानता हूं, क्योंकि मैं भी कांग्रेस में रहा हूं। यह सरकार चाहती है कि बैकवर्ड हमेशा बैकवर्ड रहें। अगर यह सरकार उनको मुगाल्ते में रखती रही तो हिन्दुस्तान कभी पनप नहीं सकता। दूसरे मुल्क की तरफ अगर हम निगाह डालें तो हमें मालूम होगा कि वहां बैकवर्ड जैसी कोई चीज नहीं है। जर्मनी जो बिलकुल बरबाद हो गया था, रूस बिल्कुल खत्म हो गया था, किन्तु आज वहां इस किस्म की कोई चीज नहीं है और वे देश तरक्की पर हैं। वहां कोई बैकवर्ड नहीं है, लेकिन यहां बैकवर्ड कहकर जातिवाद को पनपाया जा रहा है। अगर यह सरकार ऐसी भावनायें पैदा करती रही तो हमें पुरानी बातें याद आयेंगी। पुरानी तवारीख को देखने से पता चलता है कि आर्य लोगों ने वह अत्याचार किया इन लोगों के साथ जिसका कोई उदाहरण नहीं मिलता। इसलिये अगर आपके दिमाग से यह चीज नहीं निकलती तो देश तरक्की नहीं कर सकता।

आज सन् १९६२ का चुनाव आ रहा है, इसलिये उन पार्टियों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया जिनका उद्देश्य ही इन लोगों को सुविधायें देने का नहीं था । हां, एक पार्टी इस देश में है और वह सोशलिस्ट पार्टी है जो बैकवर्ड क्लास के लिये कुछ मांग करती रही है, उसने एक आन्दोलन भी किया था, किन्तु उसने भी बाद को उसे वापस ले लिया और उससे पीछे हट गयी। उनकी पालिसी बदल गयी। चित्रकूट में रामायण का मेला लगा दिया जो नहीं करना चाहिये था। हमेशा यहां ब्राह्मणों ने अन्य जातियों को कुचला है उनके एक परशुराम हुए, जिन्होंने १७ बार पृथ्वी को क्षत्री विहीन कर दिया । आज उनके बनाये हुए जाल में फंस करके लोग बड़ी-बड़ी राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में पड़ जाते हैं।

इस देश में बैकवर्ड जातियों की तादाद ६० परसेन्ट होते हुए भी जब उनके लिये ३ साल की उम्र की रियायत की बात नौकरियों में की जाती है तो यह शर्म की बात है। उनको

ऐलानियां कहना चाहिए कि जो सरकारी पार्टी है उसको एक वोट नहीं देंगे। कभी अधिकार मांगने से प्राप्त नहीं होता है। अधिकार प्राप्त किया जाता है। यहां पर जितने बैकवर्ड क्लास के एम० एल० एज हैं जो कि सरकारी तरफ बैठे हुए हैं उनको प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि हम कतई कांग्रेस से टिकट नहीं लेंगे और उसके विरुद्ध अपने आप खुद खड़े होंगे और जो दूसरी पार्टियां हमको मदद देंगी उनको सपोर्ट करेंगे। यह कोई अहसान नहीं करेंगे आप अगर ३ साल की छूट दे देंगे। यह कोई प्रशंसा की बात भी नहीं है, बल्कि यह तो न्याय की बात है। इसलिये आपको न्याय करना चाहिये। अब सरकार की झूठी बातों में फंसने वाला कोई नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में बैकवर्ड लोगों के साथ न्याय किया जाता था। वह गजटेड आफिसर बनाये जाते थे और नौकरियां मिलने में जाति पांत नहीं बरती जाती थी। जो पढ़ा लिखा होता था उसको नौकरी दे दी जाती थी। आज यह नहीं हो रहा है। जो लोग सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू के लिये जाते हैं या अप्लीकेशन देते हैं तो चूंकि बैकवर्ड क्लास का कोई आदमी वहां नहीं है, सवर्ण जाति के लोग ही नौकरियां देने वाले हैं तो वह अपनी जाति के आदमी ले लेते हैं और बैकवर्ड जाति वालों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं।

सरकार ने बैकवर्ड कमीशन के नियत करने में और उससे रिपोर्ट तैयार कराने और दौरे के संबंध में लाखों रुपया खर्च किया। यह महज सरकार की चालाकी थी और बैकवर्ड लोगों को फंसाये रखने की तरकीब थी, उनको लोभ और धोखे में रखा गया। आज जब कि बकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट तैयार होकर आ गयी तो उसको लागू नहीं किया गया है। इसके क्या मानी हैं ? कहते यह हैं कि बापू जी ने यह बात कही थी कि बैकवर्ड जाति के लोगों का मंत्रिमंडल बनना चाहिये और हर प्रदेश में भी बैकवर्ड जाति का मंत्रिमंडल बनाया जाय और सेंट्रल गवर्नमेन्ट में भी बनाया जाय, लेकिन अमल में कुछ नहीं आया। यह क्या है? यह महज दिखावा है, महज धोखा देना है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि अब भी अगर वह नहीं चेतेगी तो मैं खुल्लम-खुल्ला कहता हूं कि जो जातिवादिता पनपा रही है वह कांग्रेस है और कांग्रेस पार्टी में सवर्णों को ही टिकट दिये जाते हैं वह उसकी सब चालाकी धूल में मिल जायगी। मैं डरता नहीं हूं। गुप्ता जी ने कहा था कि मैं जातीयता को कुचल दूंगा। वह मौजूद नहीं हैं, म कहता हूं कि पहले वह अपने को ही कुचल दें जोकि स्वयं जातीयता को पनपाते हैं। दूसरों को वह कहते है, लेकिन वह बतावें कि बैकवर्ड क्लास के कितने लोग सरकार में हैं और कितने यहां एम० एल० एज वह चुनवा कर लाये, जब कि दूसरी पार्टियों में, सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में अधिक बैकवर्ड क्लास के लोग चुनकर आये हैं। जो जाति रूढ़िवादी पार्टी है वह इन लोगों की तरफ से उदासीन ह, इससे देश का हित होने वाला नहीं है, अहित ही होगा। यह देश बैकवर्डों का था, देश के म लिक ये ही थे, लेकिन यहां सवर्ण लोग सरकार बना कर बैठे हुये हैं। किसी ने ठीक ही कहा है—

मुल्क रौंदे गये हैं पैरों से,
चैन किसको मिला है गैरों से।

हजारों वर्ष इनको यहां आये हुए हो गये, इनको अब अपनी नीयत को बदलना चाहिये और बैकवर्ड और सवर्णों के सवाल को नहीं उठाना चाहिये, लेकिन अगर यह चीज बनी रही तो ये ६० प्रतिशत लोग इनको निकाल देंगे, कहीं रहने को भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिये बैकवर्ड, आर्यन और नान-आर्यन के सवाल को खत्म कीजिये और भाई चारे की तरह से बैकवर्ड क्लास से बरताव कीजिये। उनकी मांगों को स्वीकार कर लेना चाहिये। उनकी मांगों को नहीं माना जाता है, यही कारण है कि रूस और अमेरिका के मुकाबले में हमारा मुल्क अभी तक बैकवर्ड समझा जाता है। इस चीज को देखते हुए हमें विज्ञान को समझना चाहिये और जातिवाद और ऊंच नीच के भावों को समाप्त कर देना चाहिये। समानता के सिद्धान्त को लेकर हमें देश को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करना चाहिये।

इसके अतिरिक्त जो ऐसी पुस्तकें हैं जो बैकवर्ड क्लास को नीचा बताती हैं उनमें से उन अंशों को निकाल देना चाहिये। ऐसी पुस्तकों के ऊपर पाबन्दी लगा देनी चाहिये और कोई ऐसा लेख और पुस्तक न छाप सके जिससे भाई चारे में कटुता पैदा हो।

[श्री भूपकिशोर]

मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि बैकवर्ड क्लास के लोग महान और वीर हैं। अगर उनको लड़ाई के लिये ले लिया जाय तो दूसरे मुल्क को वे फतह कर सकते हैं, अपना झंडा वहां गाड़ सकते हैं, उनको अधीन करके दिखा सकते है। जब से सवर्ण लोगों के हाथ में मुल्क आया, गुलाम ही बना रहा। हम लोगों के हाथ में था तो गुलाम नहीं था अब बाई चान्स गुलाम बन गया। अब बैकवर्ड क्लासेज के लोगों को मौका मिलना चाहिये, वे महान काम करके दिखा सकते है, लड़ कर दिखा सकते हैं कि वे कितने बहादुर हैं और दूसरे मुल्कों में इस देश की मान मर्यादा कायम करके दिखा सकते हैं। इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव श्याम लाल जी यादव ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे किसी के कहने में आकर उसको वापस न लें। अगर उनको चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा तो मैं उनको कांग्रेस के खिलाफ स्वतंत्र रूप से जितवाऊंगा और कांग्रेस की जमानत जब्त कराऊंगा।

श्री राजनारायण—माननीय भूपकिशोर जी ने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी की नीति बदल गयी। पिछड़ी हुई जातियों के प्रति हमारी जो नीति पहले थी वही अब भी है। हमारा बराबर यह कहना रहा है कि पिछड़ी हुई जातियों को हम ६० प्रतिशत देंगे।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो इस गैर-सरकारी प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। पिछड़ी जातियों को ३ साल की छूट देने के बारे में जो प्रस्ताव आया है उसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जो लोग जातिवाद का नारा लगाकर चुनाव लड़ते हैं और जातिवाद के बलबूते पर ही जीत कर आते हैं वे भी यहां आकर कभी-कभी जनतंत्र की दुहाई देकर बैकवर्ड और शिड्यूल्ड कास्ट्स की दुहाई देने लगते हैं। अभी हमारे माननीय सदस्य भूपकिशोर जी कहते-कहते यहां तक कह गये कि २६ जनवरी के प्रस्ताव में कांग्रेस यह दोहराती आयी है कि बैकवर्ड क्लास को समान अधिकार दिया जाय। उनको शायद कांग्रेस के प्रस्ताव का ठीक से पता भी नहीं है। कांग्रेस के प्रस्ताव में न बैकवर्ड क्लास की बात थी, न किसी और जाति की बात थी। प्रत्येक जाति और प्रत्येक समुदाय के व्यक्तियों को समान अधिकार दिलाने की बात कांग्रेस के प्रस्तावों में सदैव कही गयी है। अपनी बात को कहते हुए उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के वक्त में बैकवर्ड क्लास को बड़ी सुविधायें थीं, उनके साथ बड़ा अच्छा सलूक था। मेरी समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो वे अपने को पुराना कांग्रेसी कहते हैं और कांग्रेस बेंच से हट जाने के बाद वे किस पार्टी से चुनकर आये हैं, इसका ठीक से अन्दाजा मुझे नहीं लग सका है। खैर, वे अंग्रेजों के इतने भक्त बन गये, इतने सेवक बन गये कि उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने पिछड़ी जाति के लोगों को मान्यता दी। मैं पूछता हूं कि कहां पर अंग्रेजों ने पिछड़ी और शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को स्थान दिया? यह तो कांग्रेस के झंडे के नीचे महात्मा गांधी के आदेश से और महात्मा गांधी के सिद्धान्तों को लेकर ही हमारे सामने यह दिन आया है कि हम हरिजनों को समान अधिकार देने की बात करते हैं और पिछड़ी जाति के लोगों को हम बराबरी का स्थान देने की बात करते हैं और दिये भी है। मैं पूछता हूं कि क्या वह पिछड़ी जाति के हैं या हरिजन हैं, इसलिये हम उन्हें समान स्थान देने की बात करते हैं? मैं समझता हूं कि मानव समाज के साथ मानवता के नाते समान व्यवहार होना चाहिये, समान अधिकार उन्हें मिलना चाहिये। अगर कोई व्यक्ति पिछड़ी जाति का है तो उसे सब से पहले अपने दिमाग से ही निकाल देना चाहिये कि मैं पिछड़ी जाति का व्यक्ति हूं। समाज के अन्दर कोई भी पिछड़ी जाति या दूसरी अलग जाति का नहीं है। अलग यही बात हमारे दिमाग में रही कि पिछड़ी जाति के लोगों को हम दबाये रहें, तो मेरा विश्वास है कि हम कभी भी इस देश का उत्थान और उसकी उन्नति नहीं कर सकते हैं।

इसलिये मैं चाहता हूं कि जो यह गैरसरकारी संकल्प सदन के सामने लाया गया है उस पर अधिक विवाद न हो और इसमें ऐसी बातें न कही जायं जिनसे आपस में कटुता उत्पन्न हो। इस तरह की बातें करने से सही काम नहीं हो सकता और उससे हमें बल नहीं मिल सकता।

मैं चाहता हूं कि चाहे श्यामलाल जी की तरफ से या किसी सज्जन की तरफ से कोई ऐसी मांग आयी है जो आज के युग के लिये आवश्यक है तो हमें उसका हृदय से समर्थन करना चाहिये और इस बात का प्रयास करना चाहिये कि यहां से बाहर हम इस बात की कोशिश करें कि सभी लोगों को समान अधिकार मिले। इसलिये मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं जो आपके सामने तीन साल की अवधि बढ़ाने का आया है। इसके साथ ही मैं अपने उन मित्रों से निवेदन करूंगा जो अपनी बातें कहने में कटुता की भावना लाना ही अपना कर्त्तव्य समझते हैं, वे अपने हृदय में चाहे जो कुछ रखें, लेकिन कभी कभी उन्हें सही भाषा में सही बात कहने के लिये विचार करना चाहिये और सोचना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

*श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---अधिष्ठाता महोदय, यह जो तीन साल का प्रस्ताव आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं तो इससे ज्यादा अवधि बढ़ाने के पक्ष में था, लेकिन अब उसकी गुंजायश नहीं है। मुझे इस संबंध में और कुछ नहीं कहना है। मैं तो यह देख रहा हूं कि जहां कांग्रेस ने और चीजों पर पाबन्दी लगायी है वहां शिक्षा पर भी पाबन्दी लगा दी है। यह तो पहले से ही जूनियर हाई स्कूलों में पाबन्दी लगी हुई है कि इतनी उम्र के लड़के ही उनमें पढ़ सकते हैं। हाई स्कूलों में भी इसी तरह की पाबन्दी है कि इससे ज्यादा वर्ष के लड़के इसमें नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन नौकरी के लिये सर्विस कमीशन के सामने जाने पर कह दिया जाता है कि आपकी उम्र इतनी ज्यादा हो गयी, इसलिये आप इसके योग्य नहीं हैं। लिहाजा वे लड़के नहीं लिये जाते। मेरा एक नाती इंजीनियरिंग सर्विस के लिये कमीशन के सामने गया, लेकिन उसको नहीं लिया गया क्योंकि उसकी उम्र केवल ८ मास ज्यादा थी। कहा कि उम्र ज्यादा है इसलिये तुम नहीं बैठ सकते। जबकि सोशलिस्ट पार्टी बैकवर्ड क्लासेज के लिये ६० परसेंट की बात रखती है तो आप ६० परसेंट जगह उनको दें। काका कालेलकर की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने आज तक काम नहीं किया। सरकार की नीयत साफ नहीं है ....

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---अधिष्ठाता महोदय, एक बात पूछना चाहता हूं। हमारे मित्र ने बताया कि उम्र की कैद रख दी गई है तो वह कैद केवल बैकवर्ड लोगों के लिये की गयी है या सबके लिये और आया ऐसी कैद है भी इस वक्त या नहीं ?

श्री टीकाराम---सबके लिये है, लेकिन बैकवर्ड वाले क्योंकि ६ वर्ष की आयु तक दाखिल होते हैं तो छठे क्लास में पहुंचते-पहुंचते १६ वर्ष के हो जाते हैं और १४ साल की उम्र निकल जाती है। सवर्ण वाले ६ की जगह ६ वर्ष लिखाते हैं इसलिये उनको दिक्कत नहीं पड़ती। आप गांव में जाकर देखिये, शहर में बैठे हैं....

श्री अधिष्ठाता---सदस्य महोदय, यह खयाल रखें कि "आप" शब्द चेयर के लिये इस्तेमाल होता है।

श्री टीकाराम---मेरा मतलब सरकार से है। मैं कहता हूं कि शहर के हालात अलग हैं और गांव के अलग हैं....

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं तो बज्र देहात में रहता हूं।

श्री टीकाराम---तभी तो यह हाल है।

श्री अधिष्ठाता---आप चेयर को सम्बोधित कीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री टीकाराम--आबादी के हिसाब से भी देखा जाय। डाक्टर अम्बेदकर ने महात्मा गांधी के सामने कहा था कि मैं ६ करोड़ अछूतों को लिये जाता हूं, तो मजबूर होकर १८ परसेंट दिया, महात्मा गांधी को अनशन भी करना पड़ा था। बैकवर्ड क्लास अगर संगठित होती और मजबूर करती तो आपको ७० परसेंट भी देना पड़ता। यह तो बैकवर्ड क्लास की कमजोरी है कि यादव साहब बैकवर्ड हैं और श्री चरण सिंह से उद्घाटन करा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि यह बैकवर्ड की गंगा किस समुद्र को लिये जा रहे हो ....

श्री भूपकिशोर--कांग्रेस के समुद्र को।

श्री अधिष्ठाता--माननीय भूपकिशोर जी, आप बिना चेयर की आज्ञा के न बोलें।

श्री टीकाराम--सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि बैकवर्ड क्लास के लिये नौकरियों को ज्यादा बढ़ा दें। अगर सरकार यह नहीं करती तो आइंदा एलेक्शन में सरकार के खिलाफ ऐसा बवंडर खड़ा होगा कि इन कुर्सियों का मिलना कठिन हो जायेगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय श्यामलाल जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह संकल्प बहुत ही सुन्दर और मासूम सा है। मेरा खयाल है कि इसमें कोई इतनी बड़ी जहमत नहीं है कि इस सरकार को इस संकल्प को मानने में दिक्कत हो। इससे न तो सरकार की मालियत पर कोई बोझ पड़ता है और न कोई परेशानी है। जब एक सरकारी विभाग में यह छूट मिली है तो कोई वजह नहीं है कि और विभागों में भी यह छूट न दी जाय। मेरा खयाल है कि श्यामलाल जी ने इस संकल्प को प्रस्तुत करके सरकार की पोजीशन को साफ कर दिया है, क्योंकि सरकार कहती है कि हम चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग को उठाया जाय, समाजवाद कायम किया जाय, दलित वर्ग को ऊंचा उठाया जाय। तो वह उसका केवल सिद्धांत ही है या वाकई दिल से चाहते हैं? मेरे खयाल में यह संकल्प सरकार की मदद में है और सरकार की भावनाओं का आदर करते हुये लाया गया है। सरकार को इसे फौरन मंजूर कर लेना चाहिये। अगर नहीं स्वीकार करना है तो उसका प्रयास दिखावटी है और यह संकल्प उसके लिये एक पहाड़ के रूप में सामने खड़ा हो गया है।

मैं पिछड़े वर्ग के साथियों से, जो सामने की बेंचेज पर बैठे हैं, कहना चाहता हूं कि जब वे संकल्प के सपोर्ट में बोले हैं और इसको वाकई में दिल से चाहते हैं कि पास हो तो हमको किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, बल्कि इसको मनवाकर छोड़ेंगे। हमारे में अब भी वह ताकत है जिससे हम सरकर को मजबूर कर दें कि वह इस संकल्प को माने, लेकिन अगर वोटिंग के समय और मंत्रियों के दबाव से इस संकल्प को वापस लेते हैं या हाथ उठाने में कोताही करते हैं तो स्पष्ट है कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अगर हम इस बात पर डटे रहते हैं तो हर सूरत से कर्त्तव्य परायण हो सकते हैं और जिन्होंने हमें चुन कर भेजा है, उनसे कह सकते हैं कि हमने तुम्हारी भलाई के लिये ही यह किया। फिर उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। आज टिकट के लालच से या अनुशासन के डर से अपने कर्त्तव्य से अलग नहीं होना चाहिये। जो सच्ची बात है उसको रखना चाहिये और अगर कोई पार्टी हम पर अनुशासन लगाती है सही बातों को मनवाने से तो हम उनको न मानें। ऐसा करने से पार्टी का अनुशासन नहीं टूटता है। इसलिये मैं कहूंगा कि इस पर दृढ़ हो कर इस संकल्प को मनवा लें।

मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार की तरफ से इसको अभी तक क्यों नहीं स्वीकार किया गया? उपनेता सदन मौजूद हैं उनको चाहिये था कि उठ कर घोषित करते कि हम इसको माने लेते हैं। इतने वाद विवाद की आवश्यकता ही न रहती। समझ में नहीं आता कि आखिर इसमें दिक्कत क्या है? ....

श्री हुकुमसिंह विसेन--लोग बोलना चाहते हैं, हम बन्द कैसे कर दें।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—अब तक किसी माननीय सदस्य ने इसकी मुखालिफ़त नहीं की। सदन की परम्परा यह रही है कि यहां कोई चीज पेश होती है तो वोटिंग इसलिये होती है ताकि जाना जा सके कि पक्ष में कितने लोग हैं और विपक्ष में कितने, लेकिन जब इस संकल्प पर सभी माननीय सदस्य सहमत हैं तो फिर इसको स्वीकार करने में देर किस बात की है। सरकार को इसको अविलम्ब स्वीकार करना चाहिये।

तीन साल की छूट जायज क्यों है इस पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये तीन साल की छूट मांगी गई है। यह जाहिर है कि इस वर्ग के लोग सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये हैं। उनके बच्चे जिस समय से स्कूल में जाने चाहिये नहीं जा पाते हैं। जब तक कि बड़े न हो जावें या उनको कोई आर्थिक सहायता न मिल जाये। बावजूद इसके कि वह प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास हों या किसी विषय में विशेष योग्यता पाये हुये हों, लेकिन उम्र की मजबूरी ऐसी आ जाती है, एक साल या छः महीने उनकी उम्र ज्यादा हो गई, जिससे वह कम्पीटीशन में शरीक नहीं हो सकते हैं। जिसकी मिसाल अभी माननीय रामवचन यादव जी ने दी। शुरू में जो आंकड़े लिये गये थे गजेटेड अफसरों के उस वक्त उनकी तादाद ३६ थी वह आज घट कर २५ हो गई। इतने दिनों की स्वतंत्रता के बाद गजेटेड अफसर की तादाद घटती गई।

बैकवर्ड कमीशन पर सरकार ने काफी रुपया खर्च किया और उसने जगह जगह घूम कर मीटिंग बुला कर यह प्रदर्शित किया कि बैकवर्ड क्लास के लोगों की मदद की जाय, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस सरकार ने लाखों रुपया उस कमीशन पर बरबाद करने के बाद भी उसकी रिपोर्ट को नहीं माना। इस से साफ जाहिर है कि सरकार का वह काम दिखावटी था और लोगों को भुलावे में डालकर वोट हासिल करने के लिये किया गया था। जिससे लोगों में यह भावना फैले कि यह मदद करना चाहती है दलित वर्ग की, लेकिन यह साफ हो गया कि यह सरकार नहीं चाहती कि वह बैकवर्ड या दलित वर्ग के लोगों की मदद करे और उनको बढ़ावा दे।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वे खुद बोलें इस विषय पर और अपने मत को प्रकट करें और बतावें कि इस संकल्प को मान लेने में उन्हें कौन सी दिक्कत है जिससे हम लोग भी उन्हें समझा सकें और दलित वर्ग के लोगों का भला हो सके।

(श्री अब्दुल लतीफ नोमानी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—नोमानी जी, आप इस विषय पर पहले बोल चुके हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय श्यामलाल जी ने जो संकल्प उपस्थित किया है मैं उसके समर्थन में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माननीय श्यामलाल जी का यह प्रस्ताव मुझे कुछ अधूरा लगता है क्योंकि उन्होंने रखा है कि ३ साल की छूट होनी चाहिये। श्रीमन्, जब पिछड़े वर्ग के लोग सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक सभी दृष्टियों से पिछड़े हुये हैं और वे सरकार से चाहते हैं कि उनके पिछड़ेपन को वह दूर करें तो फिर तीन वर्ष की छूट से ही उनकी वह कमी कैसे पूरी हो जायगी। मैं सोशलिस्ट होने के नाते यह चाहता हूं कि इसमें उम्र की कोई कैद नहीं होनी चाहिये। जितने द्विज हैं, ठाकुर, बनिया, कायस्थ, उनके ऊपर उम्र की कैद लगा देनी चाहिये। कम से कम वे लड़के जो लारेटो कन्वेन्ट में या सेंट जोसेफ में पढ़ने जाते हैं उनके ऊपर कैद लगा देनी चाहिये। हमारे बच्चे जो देहातों में जाते हैं चन्द्रभानु गुप्त जी के स्कूल में, उनपर कोई छत नहीं है। वहां पर टाट नहीं हैं और अपने साथ बोरा लेकर स्कूल जाते हैं . . . .

श्री हुकुमसिंह दिसेन—मैं अपनी जानकारी के लिये श्रीमन्, एक बात पूछना चाहता हूं अपने मित्र से कि आपका लड़का या भतीजा जो कोई हो कितने वर्ष बाद पढ़ने गया ?

श्री उग्रसेन---मैं कछारवासी हूं और माननीय मंत्री जी ने मेरा घर देखा है । मेरे कोई लड़का नहीं है, लेकिन मैं खुद जब पढ़ने गया था तो ८ या १० वर्ष का था, खैर, मैं यह कह रहा था कि यह नहीं कहा जा सकता कि ३ साल की कैद लगा देने से ही पिछड़ी जाति के लोगों की समस्या हल नहीं हो जायगी । उसमें उम्र की पूरी छूट होनी चाहिये । विदेशों की बात तो अधिक मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जिन्हें नौकरी की जरूरत है उनको नौकरी दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिये । सोशलिस्ट पार्टी ने भी अपने ६० के सत्याग्रह में यह मांग रखी है कि जो बेकार हैं उनको काम दिया जाय और यदि काम नहीं दिया जाता है तो उनको बेकारी का भत्ता दिया जाय और किसी भी सभ्य सरकार के लिये यह निन्दा की बात है कि उसके यहां बेकार लोगों को काम न मिले । कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिज्म से तमाम विरोधों के बावजूद भी रूस के लिये मैं कहता हूं कि वहां जो बेकार हैं, पागल और कोढ़ी नहीं हैं यानी जो सक्षम हैं उनको काम मिलेगा, यह उनके संविधान में है और यह अच्छी बात है । किसी भी सभ्य सरकार में ऐसा होता ही है । यहां क्या है ?

माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने कहा था कि ८६ लाख व्यक्ति यहां पर बेकार हैं । यह बेकारों की समस्या कैसे हल होगी । अभी हमारे किसी साथी ने कहा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जाते हैं तो लिखित में तो पास हो जाते हैं लेकिन इन्टरव्यू में जाते हैं तो वहां पास नहीं होते हैं । जनाब, क्यों पास नहीं होते हैं । वहां पर देखा जाता है कि उनके बातचीत करने का तरीका कैसा है । यह लखनऊ वाले हैं या इलाहाबाद वाले हैं । उन्होंने शहर भी देखा है या नहीं । मैंने देखा है कि जो लड़के प्रथम श्रेणी में पास होते हैं वह वहां पर जाकर रह जाते हैं । यह बात मैं आपको रोडवेज की बतला रहा हूं, क्योंकि मेरा भी परिवहन विभाग से कुछ सम्बन्ध है । वहां पर सभी नहीं तो कम से कम ९० प्रतिशत जो जनरल मैनेजर हैं वे द्विज हैं । वहां पर भी उनके नाना के नाना और मामा के मामा का ज्यादा जोर रहता है । अगर वहां पर किसी बुकिंग क्लर्क की जगह है और उस पद पर उनका कोई रिश्तेदार जूनियर पड़ता है तो उसको किसी न किसी तरीके से सीनियर किया जाता है । जब इस बात का पता लगाया जाता है कि कौन लिया गया तो पता चलता है कि वह तो किसी जनरल मैनेजर का रिश्तेदार था इसलिये लिया गया है । हम जानना चाहते हैं कि आज कितने पिछड़े वर्ग के कलेक्टर हैं । जब माननीय पंत जी यहां के मुख्य मंत्री थे तो ब्राह्मण कलेक्टरों की संख्या बढ़ गई । जब सम्पूर्णानन्द जी मुख्य मंत्री थे तो कायस्थ कलेक्टरों की संख्या बढ़ गई और अब जब श्री चन्द्रभानु गुप्त मुख्य मंत्री हुये हैं तो बनिया कलेक्टरों की संख्या भी बढ़ रही है । लेकिन इन पिछड़े हुये वर्गों में से एक भी यहां पर कलेक्टर नहीं है । यह द्विज लोग उनके बारे में क्या जान सकते हैं । "जाके पैर न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई ।" अगर यहां पर लुलुम्बा जैसे लोग होते तो आज वैसा नहीं होता जैसा कि नेहरू जी की सरकार में हो रहा है । मैं जानता हूं कि फिर वे आज यहां पर नहीं होते । मैं तो उनके समाज में रहता हूं । अगर वे तीन साल की कैद की छूट नहीं पाते हैं तो इसका मतलब यह है कि इस सदन में द्विजों का प्रभाव है ।

मुझे डर है कि माननीय श्यामलाल जी अपने प्रस्ताव को लेकर भाग जायेंगे, लेकिन यह इतिहास में लिखा जायगा कि पिछड़े वर्ग के ही नेता भागे हैं । होता यह है कि जब नेता सदन यहां पर गर्म-गर्म भाषण देते हैं और उनसे वादा किया जाता है कि अगले चुनाव में हम आप को मंत्री बना देंगे तो प्रस्ताव भी वापस ले लेते हैं । तो यादव जी भी जब अपनी बात सोचेंगे तो इस प्रस्ताव को वापस ले लेंगे । उनका प्रस्ताव अधूरा है । वे अधूरा ही प्रस्ताव क्यों रखते हैं । जो लोग पिछड़े वर्ग का नेतृत्व करते हैं उनके अन्दर क्रान्तिकारी नेतृत्व कतई नहीं है । अगर यादव जी अहीर हैं और जाट नेता हैं तो चरणसिंह जी चाहते हैं कि जितने भी जाट हैं वे पिछड़े वर्ग के नेता हों और फिर जब हम सरकार का समर्थन करें तो वे भी सरकार का समर्थन करें और जब हम सरकार का विरोध करें तो वे भी करें । यह रेलवे का प्वाइंटमैन नहीं है क्योंकि वह जिस लाइन पर चाहे गाड़ी को डाल दे । चरणसिंह जी रेलवे के प्वाइन्ट्समैन नहीं हैं । इसमें तो जाति-पांति की भावना

है। जो भूमिहीन ज्यादा हैं, सब से ज्यादा बेकार हैं और सब से कम पढ़े लिखे हैं उन सब को क्रान्तिकारी बनायें। अगर हमने उनको क्रान्तिकारी बना दिया तो जो पिछड़े वर्ग के सम्बन्ध में काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट है उसको मनवा सकते हैं। मगर नहीं, यह तो एक मामूली सा प्रस्ताव रख दिया और पीछे इसको लेकर भाग जायंगे। तो इनके नेतृत्व में भी कमी है। हमारी सोशलिस्ट पार्टी ने तो इनके लिये दरवाजा खोल दिया ह और दावे के साथ यह कह दिया है कि ६० फीसदी हम उनको बड़े बड़े पदों पर रखेंगे और हमारी पार्टी में तो आल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी का प्रधान हरिजन रहा है। तो अगर आप आदर्श रखना चाहते हैं तो उसे रखिये और उसके तदनुरूप काम होना चाहिये। मैं यही कहना चाहता हूं कि इनके लिये उम्र की कैद बिल्कुल न रहे, इन्हें प्रोत्साहन दिया जाय ताकि ये आगे बढ़ें और देखें कि उनके भाई बन्धु जो कि पांच हजार वर्ष से कुचले जा रहे हैं उनकी आज क्या हालत है क्योंकि मैं तो रामायण की उस चौपाई को जानता हूं कि—

"पूजिय विप्र शील, गुण हीना,
शुद्र न पूजिय परम प्रवीना।"

आखिर यह होता क्यों है? इसलिये कि उसका विरोध करने वाले कौन हैं? माननीय भूपकिशोर जी ने रामायण का पन्ना जरूर फाड़ दिया, लेकिन उससे तो कुछ होता नहीं है। आज जो भावना फैली हुई है उसके लिये क्या करते हैं। द्रविड़ खड़गम के नेता श्री नैयर यहां आये थे। उनसे कहा गया कि क्या आप राम और सीता की मूर्ति जला कर पिछड़े लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं? यह तो जलन है। इससे काम नहीं चलेगा। यह तभी हो सकता है जब रचनात्मक रूप में पिछड़े वर्ग के लिये लेख लिखे जायं, उनके आन्दोलन में सक्रियता लायी जाय। तभी हम उनको ऊपर उठा सकते हैं और सरकार मजबूर हो सकती है। नहीं तो यादव जी जिस गरमी से बोल रहे थे वह तो केवल एक स्टन्ट था, चुनावबाजी थी? वरना जब कभी पिछड़े वर्ग का मामला आया, मैंने देखा कि रामवचन यादव जी पहले कट जायंगे। एक और बात है, जो पहले मंत्री थे, अब बेचारे मंत्री नहीं हैं, शायद फिर मंत्री हो जायं, वे लोग भी तभी बोलते थे जब कुर्सी पर नहीं थे और जब कुर्सी पर चले जायंगे तो फिर बोलना खत्म हो जायगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इनके नेतृत्व में कमी है।

इन शब्दों के साथ मैं यह मांग करता हूं कि उनकी उम्र में पूरी छूट होनी चाहिए और कोई बन्दिश नहीं होनी चाहिये।

*श्री धनुषधारी पाण्डेय (जिला बस्ती)—अधिष्ठाता महोदय, श्री श्यामलाल जी द्वारा प्रस्तुत पिछड़े वर्ग की आयु के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करते हुये माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे प्रान्त में जो पिछड़ा वर्ग है वह काफ़ी तौर से अपना स्थान रखता है, ५० या ६० फ़ीसदी, सही संख्या के बारे में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन मैं अपने आप गांवों में देखता हूं कि देश के हर वर्ग का भार पिछड़े वर्ग पर है और देश की सारी समस्याओं को हल करने में इस वर्ग का एक प्रबल हाथ है। जहां तक खेती की बात है, जिससे हमको रोटी और रोजी मिलती है वह पिछड़े वर्ग पर निर्भर करती है। यह बड़ी मोटी-सी बात है कि हमारे प्रदेश में यह वर्ग सब से गरीब और पिछड़ा हुआ है और यह एक खास बात है कि जो गरीब होगा उसके बच्चे जब स्कूल जायंगे तो काफ़ी उम्र में जायंगे और शिक्षा पाते पाते उनकी काफ़ी उम्र हो जाती है और जब काफ़ी उम्र बढ़ जाती है तो नौकरियों में जो प्रतिबन्ध लगा हुआ है उसके कारण वे उनमें लिये नहीं जाते हैं। यह मानी हुई बात है कि हमारे प्रान्त में प्रति व्यक्ति जमीन की औसत बहुत ही कम पड़ती है। ऐसी हालत में रोटी और रोजी का सवाल देखते हुए खेती के अलावा कोई दूसरा हल निकलना चाहिये। अगर उसके सामने केवल खेती की ही बात रहेगी तो उसके लिये जीवन निर्वाह भी दुर्लभ हो जायगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धनुषधारी पाण्डेय]

इसलिये वह नौकरी में जाना चाहता है और अपने जीवन-निर्वाह को एक सुखी परिवार के रूप में देखना चाहता है। ऐसी दशा में जो श्री श्यामलालजी का प्रस्ताव सदन के सामने है वह एक बहुत ही निर्दोष सा प्रस्ताव ह, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसके ऊपर सदन विचार करने में असमर्थ हो या सरकार अपनी असमर्थता दिखाये।

अभी श्रीमन्, इस प्रस्ताव के साथ एक बात जोड़ी गई ह कि पुलिस विभाग ने इन लोगों के लिये तीन साल की उम्र में छूट दे रखी है। अगर इस विभाग ने छूट दे रखी है तो मैं समझता हूं कि अन्य विभाग वालों को भी इनको छूट देने में क्या कठिनाई हो सकती ह। मैं इन बातों को देखते हुये अन्य विभागों से आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इसको मान लिया जाय और सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करे और पिछड़े वर्ग के सामने नौकरियों के पाने में जो कठिनाइयां और समस्यायें हैं वे दूर हों। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस प्रस्ताव के पक्ष में जितने माननीय सदस्यों ने अब तक अपने विचार व्यक्त किये हैं उनमें से शायद ही किसी ने इसका विरोध किया हो। फिर इतनी देर विवाद होने के बाद मैं जरूर यह विश्वास करता हूं कि सरकार ने अपनी राय कायम कर ली होगी। यह प्रस्ताव आज ही नहीं आया, बल्कि पिछली मर्तबा भी इस पर काफी बहस हुई थी और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सरकार को जो भी राय कायम करनी होगी वह कर ली होगी। मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें कोई बहुत बड़ी नीति की या किसी ऐसी बात का जिक्र नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत हो। इसमें उम्र में केवल तीन वर्षों की छूट मांगी जा रही है। इससे ज्यादा उदारता लोग सरकार के साथ नहीं कर सकते हैं। मैं तो यह समझता हूं कि इसके साथ-साथ कुछ नौकरियों के लिये कह दिया जाय कि इसी वर्ग के लोग लिये जायंगे। जैसे एनीमल हस्बैंडरी है, एग्रीकल्चर तथा कोआपरेटिव विभाग हैं, इनमें जब तक इन लोगों की संख्या पूरी न हो जाय तब तक इनको ही लिया जाय। इससे विभागों की कोई एफीशियेन्सी घटेगी नहीं। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि पिछड़े वर्ग के लोग कलक्टर न हों या सेक्रेटेरियट में न आयें। जिनकी इच्छा हो और आ सकते हों तो जरूर आयें, लेकिन मैं समझता हूं कि जिन बातों की इनको जन्मजात शिक्षा मिली हुई है उनके लिये कुछ पोस्ट्स ईयरमार्क कर दी जायं, जैसे लाइवस्टोक सुपरवाइजर्स तथा वैटरनरी डाक्टरों की जगहें हैं। अगर ऐसा कर दिया जाय तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—आर्टिकिल १६ (१) का क्या होगा?

श्री गेंदासिंह—अगर सरकार चाहे तो कर सकती है। कांस्टीट्यूशन मे कई बार अमेंडमेंट हो चुका है। इसके लिये भी अमेंडमेंट हो सकता है और वहां कांग्रेस की मेजारिटी है सरकार को अपनी सम्मति देकर श्यामलाल जी को धन्यवाद देना चाहिये। उन्होंने बहुत सोच-समझ कर सरकार की नब्ज टटोलने की कोशिश की ह कि देखें सरकार के दिल में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कितनी हमदर्दी है। इसलिये सिर्फ उन्होंने यह प्रस्ताव रखा है कि पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों में तीन वर्ष की उम्र में छूट दी जाय, । मेरा ऐसा विश्वास है कि सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो फिर सरकार क्यों इस सदन का समय कुछ और जरूरी कामों के लिए न खाली कर दे? आज गैर सरकारी दिन है। जहां तक मुझे याद है १८ तकरीरें पहले दिन हो चुकी और आधा दिन से ज्यादा आज लग चुका। उसके साथ-साथ जो मदन पांडेय का प्रस्ताव है वह कितनी अहमियत रखता है। वह भी बहुत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पिछड़े लोगों से सम्बन्ध रखता है। मजदूर जो समाज में सब से नीचे स्तर पर रहने वाले लोग हैं, उनसे सम्बन्धित प्रस्ताव पर अगर सरकार विचार न करवाना चाहती हो, तो इस पर बहस चलने दे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम कब कहते हैं?

श्री गेंदासिंह—तो आप अपनी सम्मति दीजिये। आप जो इतना साफगो हैं, उपनेता सदन के रूप में बैठे हुए हैं। आप कुछ कहिए। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगर चौधरी साहब, या गुप्ता जी इस सभा में होते तो कोई दूसरा फैसला होता, लेकिन मैं समझता हूं कि कोशिश यह है कि आज दिन भर इस प्रस्ताव पर काटा जाय, और जो पिछड़े हुए लोगों का प्रस्ताव है वह न आने पाये। अब माननीय ठाकुर साहब इस पर अपनी स्वीकारात्मक सम्मति दें और माननीय श्यामलाल जी को धन्यवाद दें कि उन्होंने सरकारी पक्ष की डयूटी अदा की, इस प्रस्ताव को स्वीकार करें और दूसरे प्रस्तावों के लिये अपना आशीर्वाद दें कि वह भी आ सकें। (व्यवधान) सिर्फ बीड़ी ही नहीं, उससे कितने ही आदमी सम्बन्धित हैं। बीड़ी बनाने वाले लाखों मजदूर आज चिल्ला रहे हैं और मुट्ठी भर लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। उनके उपकार के लिए वह प्रस्ताव है।

श्री गौरीशंकर राय—मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री रामवचन यादव—अभी इस पर बहस चलनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—आपके कहने से पहले प्रश्न उपस्थित कर दिया गया।

श्री राजनारायण—एक वैधानिक प्रश्न यह है कि यदि आप प्रश्न उपस्थित करने की आज्ञा न प्रदान करें तो वोटिंग नहीं हो सकती, लेकिन अगर प्रश्न उपस्थित करने की आज्ञा प्रदान करते हैं, तो प्रश्न उपस्थित करने का विषय लिया जायगा और वोटिंग करवा ही लेंगे। तो क्या आपने मान लिया, उनके विरोध के बावजूद भी?

श्री अधिष्ठाता—जब मैंने प्रश्न रख दिया तब उन्होंने कहा।

प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री राजनारायण—श्रीमन्, बार बार एक ही चीज की पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिये अब इस पर आप वोटिंग कराइये। सरकार यह चाहती है कि इस पर वोटिंग न हो और इसके बाद यह सदन उठ जायगा, लम्बे चौड़े समय के लिये, यह बाहर जाकर इस चीज को बाटेंगे।

श्री अधिष्ठाता—तो अब तो प्रश्न उपस्थित हो गया।

(घंटी बन्द होने पर प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव हमारे सामने उपस्थित है वह पिछले वर्ग के लोगों को सुविधा देने के सम्बन्ध में है। आजकल हम लोग ऐसे जमाने में रह रहे हैं जिसमें कि हम लोग पंच वर्षीय योजना बनाकर और एक नीति निर्धारित करके सारे कामों को चला रहे हैं और जनता की सेवा करना चाहते हैं। पिछड़े वर्ग के सम्बन्ध में पंचवर्षीय योजना या सरकार की अब तक क्या नीति रही है यह एक मौलिक प्रश्न है और इसका सरकार की नीति से कहां तक सम्बन्ध है इस पर हमें विचार करना है। इसमें

[श्री मदन गोपाल वैद्य]

मूल प्रश्न यही है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी सुविधाओं को बढ़ाने की बात कब तक चलनी चाहिये या उनकी सुविधाओं को अब उत्तरोत्तर घटाना चाहिये, यह मूल प्रश्न अब इस प्रस्ताव से उपस्थित होता है। जो प्रस्ताव सामने है उसको जब मैंने पढ़ा तो मेरे ऊपर यह असर पड़ा कि इस प्रस्ताव से पिछड़े वर्ग के लिये जो सुविधा मांगी जा रही है वह सुविधा अनन्त काल के लिये मांगी जा रही है, हमेशा के लिये वह यह सुविधा चाहते हैं कि उनको तीन वर्ष की छूट नौकरियों में मिलती रहे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह हमेशा पिछड़े बने रहेंगे, जबकि आज हमारा यह पूरा प्रयास है कि पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वह धीरे धीरे उन्नति करें और उन्नति करके वह समाज के दूसरे नागरिकों के समान बन जायं। लेकिन इस प्रश्न से ऐसा प्रतीत होता है कि यह सुविधा वह अनन्त काल के लिये, हमेशा के लिये चाहते हैं। हरिजनों को हमने दस वर्ष के लिये सुविधा प्रदान की। आज हम यह समझ रहे हैं कि उनको थोड़े समय के लिये और भी सुविधा देनी चाहिये पहले जो हरिजन भाई थे उनके विधान सभा के क्षेत्र दूसरे सवर्ण भाइयों के साथ थे। लेकिन हम उत्तरोत्तर यह अनुभव कर रहे हैं कि अब उन्हें स्वतंत्र रूप में खड़े होने का अधिकार मिले। इस तरीके से हम उत्तरोत्तर उनको ऐसी सुविधा देने जा रहे हैं कि जिससे वह स्वावलम्बी बनें और निकट भविष्य में या यथासम्भव जितना शीघ्र हो सके वह दूसरे नागरिकों के समान हो सकें। यह जब हमारा अभीष्ट है तो यह कल्पना कर लेना कि पिछड़े वर्ग के लोग हमेशा पिछड़े रहेंगे और उनको अनन्त काल के लिये सुविधा मिल जायगी, तो यह अनिवार्य बात नहीं है। अगर इस प्रस्ताव को हम पास भी कर लें तो इसका परिणाम क्या होगा? हम समझते हैं कि मोटे तौरके से जो पिछड़े वर्ग की आबादी है उसमें २० फीसदी हरिजन माने जायं और २० फीसदी पिछड़े वर्ग के मान लिये जायं तो यह ४० या ५० फीसदी (व्यवधान).....में प्रस्ताव का विरोध करता हूं। जो लोग सरकारी नौकरियों में आयें उनके लिये छूट मिल जाय। इसका अर्थ यह हुआ कि आये लोगों को यानी ५० फीसदी लोगों को उम्र की छूट मिल जाय।

(इस समय ३ बजे अधिष्ठाता, कुंवर श्रीपालसिंह, पीठासीन हुये।)

आज इस बेकारी के ज़माने में जब कि हमारे सामने बेकारी की विषम समस्या है, हम अपनी आबादी के ५० फीसदी लोगों को उम्र की छूट दे दें कि उनके लिये ३ वर्ष की छूट हो तो यह देश के लिये लाभदायक नहीं होगा।

पुलिस विभाग के लिये उम्र की छूट का चर्चा किया गया है। पुलिस विभाग में जो लोग भर्ती होते हैं, यह मानी हुई बात है कि उसमें कम पढ़े लिखे लोग भर्ती होते हैं। बाकी जितनी सरकारी सेवायें हैं उनमें पढ़े लिखे लोग भर्ती होते हैं। जो पिछड़ा वर्ग आज १० वर्ष से उन्नति कर रहा है, हरिजन भाई उन्नति कर रहे हैं और समाज में प्रगतिशील हुये हैं वे सभी लोग जनता की आधी आबादी के लगभग आते हैं। कुछ और लोग भी अपने को पिछड़ा वर्ग कहते हैं, बल्कि वे ही नहीं, कुछ लोगों की यह धारणा है कि स्त्रियों का भी एक पिछड़ा वर्ग है। वह स्त्रीवर्ग भी यदि उसमें मिला दिया जाय और पुरुष वर्ग भी मिल जाय तो यह पिछड़े वर्ग का ऐसा समाज बन जाता है जिसमें ८० फीसदी के करीब लोग पिछड़े वर्ग के अन्दर आ जाते हैं। इस प्रकार से इन ८० फीसदी लोगों को यदि उम्र की छूट दी जाय तो आज कल के जमाने में यह संगत बात नहीं होगी। जब काफी लोग पढ़े लिखे मिलते हैं तो छट देना उचित बात नहीं है। इतने बड़े समुदाय को छट देना कोई मुनासिब बात नहीं होगी और वह भी हमेशा के लिये देना, यह और भी असंगत बात होगी। अगर आज यह छट ३ वर्ष के लिये दी जाय तो इसका परिणाम दूसरे लोगों पर क्या पड़ेगा? इसका मतलब यह होगा कि ३ वर्ष अधिक उम्र वाले लोगों को अधिक संख्या में फायदा होगा जो दूसरे लोगों को न्याय प्रतीत नहीं होगा। इस तरह से समाज के अन्दर एक असन्तोष उत्पन्न होगा जो वांछनीय नहीं होगा।

इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के पहले इन सब बातों पर विचार कर लेना चाहिये। यों तो हम लोग सभी जनसेवक हैं और जनसेवा करते हैं। सब लोग चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग की उन्नति हो, हरिजन भाइयों की उन्नति हो, उनकी माली हालत ठीक हो और पिछड़ापन दूर हो। इसके लिये हम प्रयत्न करते हैं, इस पर व्यवहार

भी करते हैं और नाना प्रकार की योजनायें बनाते हैं कि हरिजन भाइयों की उन्नति हो और समाज में वे प्रगतिशील रहें। समाज के अन्दर वे बराबरी के दर्जे पर रहें। यह हम लोगों को अभीष्ट है और यह हमारा उद्देश्य है लेकिन इस उद्देश्य के बावजूद भी जो प्रस्ताव पेश किया गया है वह स्वीकार करने के योग्य नहीं है। इस जमाने में जबकि हम देखते हैं कि पिछड़ा वर्ग और हरिजन भाई जितनी तरक्की कर रहे हैं वह काफी तरक्की कर चुके हैं और हम निकट भविष्य में उनसे वही व्यवहार करने वाले हैं जिसमें कि देश के विभिन्न नागरिकों की तरह से वे खड़े हो सकें और इस विधान सभा के अन्दर वे अन्य नागरिकों की तरह से आ सकें तो फिर इस प्रकार के प्रस्ताव की क्या आवश्यकता है ? जब हमारा यह स्वप्न है और उद्देश्य है और यह योजना है और समस्त समाज के अन्दर उनको बराबर बनाने वाले हैं तो फिर इस प्रगति के जमाने में इस बात को सोचना कि उनको अब ३ वर्ष के लिये सर्विस में छूट दी जाय, मैं समझता हूं, मुनासिब बात नहीं होगी।

हमारे भाई गेंदा सिंह जी ने कहा कि अगर पिछड़े वर्ग के लिये कुछ विशेष व्यवसायों में नौकरियां रिजर्व करा दी जायं तो शायद उनका कल्याण होगा। मैं समझता हूं यह बहुत नामुनासिब बात होगी। लोग आज जो पेशा करना चाहते हैं उनके लिये कोई रुकावट नहीं है और न होनी चाहिये। हर आदमी को इजाजत होनी चाहिये कि जिस पेशे को वह अख्तियार करना चाहे, करें। इस प्रकार से भेदभाव करना हमारे संविधान के विरुद्ध होगा। पिछड़े वर्ग के लिये चाहे वह हरिजन हों या दूसरे वर्ग के लोग हों, उनके लिये खास पेशे को रिजर्व करना न्यायसंगत नहीं होगा और हमारे संविधान के विरुद्ध भी होगा। जो सर्वमान्य सिद्धान्त समाज के अन्दर माना जा चुका है और इस जमाने में जिस पर अमल चल रहा है उसी की योजना हम बनाते हैं। उसके लिये हम ऐसी नीति अख्तियार करेंगे कि निकट भविष्य में जितना पिछड़ा वर्ग है उसके साथ हर प्रकार से बराबरी का व्यवहार किया जाय। उसी का हम समर्थन करने वाले हैं और आज उसी लाइन पर हम चल रहे हैं। हम निकट भविष्य में ही बराबरी पर उनको देखना चाहते हैं। हम सब स्थानों में उनको देखना चाहते हैं जो आज छोटे या बड़े स्थान कहे जाते हैं। उनको भविष्य में हम कोई रिजर्वेशन नहीं देना चाहते, यह हमारी नीति है। जमाना तरक्की कर रहा है और उनको भी तरक्की के लिये सुविधायें दी जा रही हैं। तो मानी हुई बात है कि वे भी तरक्की कर जायेंगे और उनको रिजर्वेशन की आवश्यकता न होगी। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और जो हमारी योजना है, जो हमारी नीति है, जो हमारा कार्यक्रम है, वह यदि हम प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं तो उसके विपरीत होगा।

श्री गौरीशंकर राय—मैं श्रीमन्, प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—अभी सदन ने अपना मत व्यक्त कर दिया है इसलिये इस प्रस्ताव को मैं अभी नहीं ले सकता।

श्री गौरी शंकर राय—श्रीमन्, यह गैरसरकारी दिन है, सरकारी नहीं। इस प्रस्ताव पर ही सरकार चाहती है कि सारा दिन समाप्त हो जाय और दूसरा जो महत्व का प्रस्ताव है उस पर बहस न हो सके। इसलिये मैं उचित समझता हूं कि इस समय प्रश्न उपस्थित किया जाय। इस पर पर्याप्त विचार हो चुका है।

श्री अधिष्ठाता—यह कहना सही है, लेकिन जब सदन ने अपना मत व्यक्त कर दिया है तो मैं उसके बाद इसको आज्ञा नहीं दे सकता।

श्री यशपालसिंह (जिला सहारनपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, काफी बहस इस पर हो चुकी है और मुझे भी आज्ञा हुई है इसलिये मैं भी अपने विचार रखता हूं।

यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आजादी प्राप्त होने के १४ साल बाद भी हमारे देश में लोग बैकवर्ड कहे जाते हैं। यह बात सरकार के लिये लज्जा की बात है और समाज के लिये भी शर्म की बात है। यह दुख की बात है कि इन १४ संपन्न सालों में भी हम अपने सब भाइयों को

[श्री यशपालसिंह—]

फार्वर्ड, खुशहाल नहीं कर सके हैं। जब हम बैकवर्ड की एक जाति बना देते हैं तो हमारी जाति में एक डिवीजन हो जाता है। मैं तो साफ लफ्जों में यह अर्ज करना चाहता हूं कि जैसा हमारी पार्लियामेंट करने जा रही है और पंडित नेहरू ने जैसे विचार व्यक्त किये हैं, अब इंडिविजुअल पावर्टी को देख कर यह कानून बनाया जायगा कि किस को सुविधा दी जाय और किस को सुविधा न दी जाय। मुझे बड़ा आश्चर्य मालूम होता है जब यादव भाइयों की तरफ से यह बात कही जाती है कि वह बैकवर्ड हैं। वे भगवान कृष्ण के वंशज हैं और उनका क्षत्रियों में सब से ऊंचा स्थान है। उनको चाहिये तो यह था कि इन १४ सालों में उन्नति करके दिल से, दिमाग से, सब से आगे आते और आज भी क्षत्रियत्व के दृष्टिकोण से सब से आगे हैं, लेकिन किसी जाति या वर्ग विशेष को बैकवर्ड कहना, यह तो मैं समझता हूं कि हम सभी पर एक लांछन है। आज भीहम यह मानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य गुण, कर्म और स्वभाव से आगे बढ़ सकता है और इसलिये कोई वजह नहीं है कि हम आज किसी जाति विशेष को बैकवर्ड बनाये रखें। अगर हम आज भी एक जाति को बैकवर्ड रखते हैं, मानते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि हमारी आजादी बेकार रही है। श्रीमन्, शोर बहुत हो रहा है।....

श्री अधिष्ठाता—आप लोग शांत रहें।

श्री यशपाल सिंह—उसका मतलब यह होगा कि हम आगे नहीं बढ़ सके हैं। जहां तक हरिजन या बैकवर्ड कहे जाने वाले लोगों का सवाल है, जरूरत इस बात की है कि वे आज समाज में मिल जायं। सारा समाज एक हो जाय। समाज में कानून बनाया जाय कि हम किसी को बैकवर्ड नहीं मानते। हम व्यक्ति को उसके गुण, कर्म और स्वभाव से मानते हैं और साथ ही साथ यह भी मानते हैं कि—

"शूद्रो ब्राह्मण तामेति, ब्राह्मणो याति शूद्रताम्।"

अगर ब्राह्मण के घर में पैदा हो कर लड़का वेद नहीं पढ़ता, बुद्धि नहीं ग्रहण करता तो वह शूद्र हो जायगा और अगर क्षत्रिय के घर में पैदा हो कर लड़का अपनी कोशिश से राष्ट्र की सेवा के लिये चेष्टा नहीं करत तो वह शूद्र हो जायगा। सेकुलरिज्म के माने यह नहीं हैं कि हम अपने विश्वास को छोड़ दें, उसके माने यह हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को बराबर उन्नति करने का अधिकार है। उसके माने हैं 'फेयर फील्ड ऐंड नो फेवर'। हम अपने विश्वासों पर इतने न जम जायं कि दूसरे के विश्वासों को बेकार समझने लगेंगे यह मतलब है सेकुलरइज्म का। मैं साफ कहता हूं कि आप पीछे नहीं गये हैं। "हरि को भजै सो हरि का होई" इस बात को हम आज भी मानते हैं। हर एक को बराबर मौका दीजिये ताकि लोग बराबर से आगे बढ़ सकें। अगर एक विशेष वर्ग पर मुहर लग जायगी तो यह उचित न होगा। आज हर एक को आवश्यकता है कि वह उन्नति करे, आगे आये और समाज में मेहनत जो कर रहे हैं वे आगे बढ़ सकें, इस के लिये हमें एक वातावरण उत्पन्न करना है। मैं हजारों ब्राह्मणों को जानता हूं, हजारों क्षत्रियों को जानता हूं, हजारों वैश्यों को भी जानता हूं, वे निर्धन हैं। मुझे फख्र है इस बात का कि मेरे जिले में जो यादव लोग हैं वे हमसे ज्यादा खुशहाल हैं, हमसे ज्यादा उन्नति पर हैं। सब सवर्ण लोगों से वे कहीं ज्यादा आज उन्नति पर हैं। आज अगर हम उन लोगों को बैकवर्ड कहते हैं तो यह उन पर लांछन होगा, हम पर लांछन होगा, और हमारे रक्त पर लांछन होगा, क्षत्रिय जाति पर लांछन होगा। गीता की आज्ञा है, "स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः" अपने धर्म में रहते हुये ही हमको अपनी तरक्की करनी है। हम अगर अपने धर्म को छोड़ कर तरक्की करनी चाहें तो कभी नहीं कर सकते। हमारे डाक्टर सम्पूर्णानन्द बड़े सुन्दर वक्ता और विद्वान् व्यक्तियों में से हैं। उन्होंने कायस्थ धर्म को छोड़ कर ब्राह्मण धर्म ग्रहण किया। अपनी विद्वता के कारण वे कितने सुन्दर वक्ता हैं, बोलते हैं तो मानो मुख से फूल झड़ते हैं। उच्चकोटि के पालिटिशियन हैं। जब लिखते हैं तो सरस्वती उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उनको प्रेरणा देती हैं। लेकिन खेद है कि आज वे गवर्नमेन्ट में नहीं हैं, केवल अपना धर्म छोड़कर ब्राह्मण—धर्म अपनाने के कारण।

आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने धर्म को मानते हुये, अपने धर्म में ही रहते हुये तरक्की करें। हमें डिवाइड ऐन्ड रूल की पालिसी को खत्म करना है। मैं कोई जागीरदार या जमींदार नहीं हूं। मेरे पास थोड़ी सी जमीन है, मैं इतना कह सकता हूं मेरे पड़ोस में जिसके पास भी रहने के लिये मकान न हो, खेती के लिये जमीन न हो वह आये और मैं अपनी टूटी फूटी औकात के मुताबिक दो चार बीघे जमीन, बिना कोई मुआवजा लिये, उसकी सेवा के लिये प्रस्तुत कर सकता हूं। मैं उनकी सेवा करने के लिये हमेशा तैयार हूं। हमारा धर्म कहता है—

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्,
तेनत्यक्तेन भंजीथा मागृधः कस्य स्विद्धनम्।

किसी एक की आज प्रापर्टी नहीं है। सब की है। जो लोग मकान का दरवाजा बन्द करके खाना खाते हैं, मकान का दरवाजा बन्द करके रहते हैं, वे समाज की सच्ची सेवा नहीं कर सकते। जिनका दरवाजा हर वक्त हर एक के लिये खुला रहता है, वही समाज की सच्ची सेवा कर सकते हैं। हमारे यहां अगर हरिजनों को हरिजन कहा गया, चमारों को चमार कहा गया, तो कभी हम उनको ऊंचा नहीं उठा सकते। यदि हमने उनको चमार कह कर अलग कर दिया तो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आज हमें जरूरत है कि हम मौलिक सिद्धांतों को समझें और जो इस तरह की खाई हमारे भारतवर्ष में है उसको पाट दें।

मैं निहायत अदब के साथ आप लोगों से समाज के ठेकेदारों से, पूछना चाहता हूं, आपने जनसंघ को, जो हिन्दुस्तान के ३० करोड़ हिंदुओं को एक सूत्र में बांधना चाहता है, कैसे साम्प्रदायिक संस्था घोषित कर दिया? कैसे यह लांछन उस पर लगा दिया? मेरा जनसंघ से कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन मैं निष्पक्ष होकर कहता हूं कि आप जो दो-दो लाख मनुष्यों को बैकवर्ड कह कर अलग अलग कम्युनिटी बनाते हैं, आपके मुकाबिले में जनसंघ अधिक राष्ट्रवादी है। आपकी ग़लत पालिसी से जैसे पाकिस्तान बना, जिस तरह से आपने नागालैंड बनाया, उसी तरह से आज भिन्न भिन्न जातियों के हिसाब से आपको देश का बटवारा करना पड़ जायेगा। सेकुलरिज्म के मानी यह हैं कि हर एक को बराबरी का हक आगे बढ़ने का मिले। किसी के साथ भी किसी तरह की रियायत न की जाय। आखिर यह लोग कब तक बैकवर्ड रहेंगे। जब तक आप उनको बैकवर्ड कहेंगे, वह बैकवर्ड ही रहेंगे।

इसलिये, अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा अपने माननीय भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि आज समाज के अन्दर, हम लोगों के बीच, जो यह दीवार है इसको तोड़ दीजिये। उसका एक ही इलाज है कि आज देश के ४४ करोड़ लोगों की एक ही जाति हो, एक तरह ही की भावनाओं हों और एक सी सब के लिये सुविधायें हों। अगर हम किसी को चमार कहेंगे तो वह कभी तरक्की नहीं कर सकता। होशियारपुर में डी०ए०वी० कालिज के जो प्रिंसिपल हैं श्री रामदास, जिनको १५०० रुपये वेतन मिलता है, वे जाति के चमार हैं, लेकिन मैं उनको अपना गुरु मानता हूं। मैं तो किसी चमार को चमार या हरिजन नहीं मानता हूं। कितने हरिजन उन्नत हुये, कितने चमार और पासी उन्नत हुये, कितनी सीट्स थीं, लेकिन उनको हमारे जाटव भाई ले गये। हमारे यहां डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स से लेकर एम०एल०ए० और एम०पी० तक सब जाटव हैं और कोई नहीं आ सका बैकवर्ड वाला और न उन तक एजूकेशन और टिकट पहुंच सका। थोड़े से लोग हैं जो फायदा उठा ले जाते हैं। मेरी दरख्वास्त है कि इस चीज को बन्द करके समाज में सबको बराबरी का मौका दिया जाय। जो किसी को अछूत समझता है, नींच समझता है उसको उपदेश करने से काम नहीं चलेगा, उसके हाथ कटवाने पड़ेंगे। जिसने देव दयानन्द जी की बात को नहीं माना, प्रातः स्मरणीय रामतीर्थ की बात को नहीं माना, विश्वबन्धु बापू की बात नहीं मानी उसके हाथ कटवाने पड़ेंगे। जो अस्पृश्यता में विश्वास रखते हैं उनको सजा दी जायगी। जो लोगों को अछूत समझते हैं, जो अनटचेबिलिटी का प्रचार करते हैं उनके लिये समाज के दरवाजे नहीं खुलेंगे।

[श्री यशपालसिंह—]

आप जानते हैं, अधिष्ठाता महोदय, कि हमारा देश सिर्फ छुआ-छूत की वजह से गुलाम हुआ। जिस वक्त अबदानी ने बंगाल पर हमला किया तो वहां हिंदुओं की फौजें खेमा-जन थीं। रात को अबदानी ने देखा कि हिन्दुओं की फौजों में कोई १०,००० जगह आग जल रही हैं। उसने पूछा कि यह १०,००० जगह आग क्यों चल रही है? उसके जनरल ने जवाब दिया कि यह हिंदुओं के खेमों के बाहर जल रही है। जब अबदानी ने पूछा कि क्या यह लोग आग की परिस्तिश करते हैं? जनरल ने कहा कि नहीं, यह बात नहीं है, ये लोग खाना बना रहे हैं। क्योंकि इनमें कोई किसी दूसरे के हाथ का खाना नहीं खाता है, भाई भाई के हाथ का नहीं खाता है। तब अबदानी ने हुक्म दिया कि यहां सिर्फ एक चौथाई फौज रहे और ७५ फीसदी फौजें वापस कर दी जायं। जो लोग एक दूसरे के हाथ का खाना नहीं खा सकते, एक जगह बैठ कर भोजन नहीं कर सकते वह अपने देश और जाति के लिये नहीं लड़ सकते। इस तरह से अस्पृश्यता के कारण हमारा देश गुलाम हो गया और हमारे तीर्थों और मंदिरों पर दूसरों के झंडे गड़ गये।

यह समस्या तभी हल हो सकती है जब किसी को समाज में नींच न समझा जाय, नींच न कहा जाय, वरना जो लोग अपने आपको "दयानन्द व्यास" कहते थे, "उदयवीर सिंह शास्त्री" कहते थे, उन्होंने अपने को चमार लिखवाना शुरू कर दिया केवल एक एम०एल०ए० की कुर्सी के लिये। जाटव, चमार और भंगी जो कि क्षत्री और ब्राह्मण बनने जा रहे थे वह केवल टिकट के लिये चमार और भंगी अपने आप को कहते हैं—

"तैयार थे नमाज को सुन सुन के जिक्रे हूर,
जल्वा बुतों का देख के नीयत बदल गयी।"

इन्होंने भी कुर्सियों को देख कर अपने को भंगी और चमार कहना शुरू कर दिया। उधर जो मंत्रिमंडल के कर्णधार बैठे हुये हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि इस भारत देश के "डिवाइड ऐंड रूल" की पालिसी से इस देश के टुकड़े मत कीजियेगा, अलग अलग जातियां न कीजियेगा। आज से यह ऐलान कीजियेगा कि ४४ करोड़ की एक जाति है और सब एक रास्ते से बढ़ेंगे और एक रास्ते से उन्नति करेंगे। व्यक्ति विशेष जो गरीब है, जो अनपढ़ है वह कहीं भी है, उसको उन्नति दी जायगी। उ को रियायत दी जायगी, लेकिन जो लखपति हैं, जिनके दरवाजे पर हाथी बंधे हुये हैं, जो एम०एल०ए०, एम०पी० बने हुये हैं और जाति के नाम से फायदा उठा रहे हैं ह गलत है। और समाज के नाम पर इस विषमता को मिटाइये और ऊंच-नींच की भावना को खत्म कीजिये। यही गांधी जी चाहते थे और इसी उसूल पर भारत का निर्माण हो सकता है और कोई रास्ता नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—(श्री तिरमलसिंह से) एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग जो बोलें तो इस प्रस्ताव की परिधि में बोलें। इसमें ३ साल के बढ़ाने का जो प्रश्न है उस पर अधिक प्रकाश डालें। मैं देखता हूं कि एक जनरल स्पीच हो रही है, जोकि उचित नहीं है।

*श्री तिरमलसिंह (जिला एटा)—आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव श्यामलाल यादव जी ने सदन के सामने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

यह प्रस्ताव पहले भी इस सदन में आ चुका है और इस पर वादविवाद भी हो चुका है। आज भी पूरे हाउस की यह राय हुई है और इस पर किसी का विरोध नहीं है। एक साहब ने तो यह कहा कि डिवाइड ऐन्ड रूल की पालिसी इस तरह से की जाती है। लेकिन उनकी यह धारणा गलत है। यह पिछड़े वर्ग की जो समस्या है इसके लिये केन्द्रीय सरकार ने एक कमीशन बैठाया था और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रिपोर्ट मांगी कि इस जाति में कितने पढ़े-लिखे आदमी हैं और किस प्रकार से उनकी समस्या हल हो सकती है। मेरी राय में यह समस्या अर्थ व्यवस्था से ताल्लुक रखती है। सामाजिक क्रान्ति से भी इसका ताल्लुक है। इससे न तो सेक्यूलर स्टेट में किसी प्रकार की बाधा आती है और न किसी और चीज में ही। यह एक बहुत छोटी सी मांग है और सरकार के एक विभाग में यह मांग उनको मिली भी हुई है। मैं समझता हूं कि इसको शीघ्र ही मान लिया जायगा, क्योंकि इसमें कोई नीति का प्रश्न भी नहीं है।

आप यह तो जानते ही हैं ये पिछड़े वर्ग के लोग ज्यादातर देहातों में रहते हैं। देहातों में एक तो स्कूल भी बहुत कम हैं और दूसरे उनके बच्चे देर से पढ़ने के लिए जाते हैं। बहुत से प्राइमरी एजूकेशन को भी पूरी नहीं कर पाते हैं।

हमारी तरफ के माननीय सज्जन श्री वैद्य की "विकास" की परिभाषा को मैं नहीं समझ पाया। विकास के युग में सभी का विकास होना चाहिये। लेकिन उन्होंने बताया कि अगर ५० प्रतिशत लोगों को छूट दी गई तो तूफान बरपा हो जायगा। सरकार भी इस छूट को देना चाहती है, लेकिन वैद्य जी कहते हैं कि तूफान बरपा हो जायगा। लेकिन ५० प्रतिशत की उम्र का सवाल नहीं है, सवाल तो उन लोगों का है जो पढ़े-लिखे हैं, बिना पढ़े लिखे की उम्र का सवाल नहीं है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—श्रीमन्, कोरम नहीं है। कल स्पष्ट व्यवस्था हो चुकी है कि सरकारी बेंचों को कोरम पूरा रखना चाहिये।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री तिरमर्नसिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कह रहा था कि जिन लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है, वे या तो उस प्रस्ताव को समझे ही नहीं या उनकी कोई ऐसी भावना है, जिसके तहत में उन्होंने उसका विरोध किया। क्योंकि इस प्रस्ताव के तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा ५० प्रतिशत के लिये उम्र में छूट देने का सवाल पैदा नहीं होता है, कांग्रेस सरकार ने भी समान अवसर दिये जाने का वायदा किया था और विधान ने भी समान अवसर दिये जाने का वायदा किया है अगर उसी समान अवसर के सवाल को लेकर बैकवर्ड क्लासेज के लिये एक कमीशन की नियुक्ति काका कालेलकर की अध्यक्षता में की गई। उन्होंने बताया कि इन जातियों में २ प्रतिशत लोग पढ़े-लिखे हैं और ९८ प्रतिशत बिना पढ़े-लिखे हैं। जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है, अंग्रेजों के जमानों में भी सन् ३४ में कांफ्रेंस हुई थी। उसमें भी अंग्रेजों ने वादा किया था कि हम १० प्रतिशत को पढ़ाना-लिखाना चाहते हैं। उसके बाद जहां २ प्रतिशत पढ़े-लिखे हों वहां उनको तो बैकवर्ड कहा ही जायगा और सरकार को उनके पढ़ने-लिखने के लिये सहायता देनी चाहिये। बैकवर्ड क्लास को जो पैसे मिलते हैं वे भी शायद कम ही मिलते हैं। जहां तक नौकरियों का ताल्लुक है, वह भी कम है, जहां तक गजटेड आफिसरों का ताल्लुक है, उनकी तादाद भी कम ही है। जब ३५ की जगह ३४ ही रह गये तो उसमें भी कोई विकास नहीं हुआ है। फिर विकास का सब को अवसर मिलना चाहिये और उसके लिये जो संकल्प द्वारा मांगी गयी है उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिये। क्योंकि संकल्प बहुत मामूली है, सिर्फ तीन साल की मियाद बढ़ाने की मांग है। यह सब हिन्दुस्तान में जो विकास के मामले चल रहे हैं वे सब अर्थ व्यवस्था से ताल्लुक रखते हैं। ५० प्रतिशत आबादी जो गांवों में रहती है वह खेतिहरों और मजदूरों की है और उनकी अर्थ व्यवस्था के लिये सही इन्तजाम होना चाहिये। उस अर्थ व्यवस्था को सही करने के लिये सरकार भी प्रयास करती है, सरकार खेती को बढ़ावा देना चाहती है और सही माने में बढ़ावा देना चाहती है। इस सम्बन्ध में और ज्यादा न कह कर मैं सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत मामूली सवाल है, इसको वह मान ले। यह कह कर मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

*श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमान अधिष्ठाता महोदय, मैं पिछड़ी जाति के ऊपर भाषण सुन रहा था। सन् १९४७ के १५ अगस्त को हमारे देश को आजादी मिली। हमारे दिल में बड़ी उमंग थी कि यह जातिवाद, धर्मवाद जो देश के अन्दर है, यह मामला बहुत जल्दी खत्म हो जायगा, लेकिन मेरी समझ में तो अब तक नहीं आ रहा है कि पिछड़ी जाति, अछूत जाति और छोटी छोटी अनेक जातियां इस देश के अन्दर क्यों हैं ? मेरे विचार में तो इस देश में दो ही जातियां हैं, एक तो बड़ी जाति और दूसरी छोटी जाति। यानी एक कार में बैठने वालों की जाति, एक मिलों में काम करने वालों की जाति, एक हवाई जहाज पर उड़ने वालों की जाति और एक भैंसा पीटने वालों की जाति, एक महलों में रहने वालों की जाति और एक झोपड़ी में रहने वालों की जाति, एक टोस्ट, मक्खन व बिस्कुट , रबड़ी तथा फल खाने वालों की जाति और एक महुए की घुघुरी और तीन दिन पर सतुआ भोजन मिलने वालों की जाति--- एक अमीरों की जाति और एक गरीबों की जाति।

मेरी समझ में अभी तक नहीं आया कि हमारे यहां कौन-सी छोटी छोटी जातियां हैं जो कहती हैं कि हम पिछड़ी हुई हैं। यह चीज हम नयी चला रहे हैं, पहले हमारे यहां कोई जाति नहीं थी। हमारे यहां तो बस एक मनुष्य जाति है, एक पशु जाति है, और एक पक्षी जाति है, जो सदा से चली आ रही है। लेकिन जब से हमारी सरकार के चरण आये हैं और आजादी मिली है, तब से जाति से जातियां निकली हैं, सम्प्रदाय से सम्प्रदाय निकले हैं, छुयाछूत से छुआछूत बढ़ा है। आखिर यह किसकी करतूत है ? यह हमारी सरकार की करतूत है, यह कुर्सियों की करतूत है। कुर्सी ऐसी चीज होती है, अधिष्ठाता महोदय, इतिहास बताता है कि रात को ऐलान हो गया कि राम को सबेरे गद्दी होगी, लेकिन गद्दी के वक्त पर दशरथ का देवलोक होता है और रामचन्द्र जी को बनोवास होता है। माता गद्दी के लिये राम को बनोवास देती है। अगर ये सत्ताधारी लोग करते हैं तो कोई खास बात नहीं है ? उग्रसेन को उसके पुत्र कंस ने गद्दी के लिये जेलखाने में बन्द कर दिया.....

श्री अधिष्ठाता---पुजारी जी, तीन साल वाली बात भी जरा बताइये कि क्यों चाहते हैं और उसे बढ़ा दिया जाय या नहीं।

श्री टीकाराम पुजारी---उम्र मेरे कहने से नहीं बढ़ेगी। बढ़ाने वाले तो सामने बैठे हैं। एक तरफ तो वर्गहीन समाज की बात कही जाती है, समाजवाद का ढोल पीटा जाता है और दूसरी तरफ पिछड़ी जाति और अछूत जाति की बात कही जाती है। यह मेरी समझ में नहीं आता कि जहां समाजवाद होने जा रहा है उस देश में क्या जरूरत है पिछड़ी जाति और अछूत जाति कहने की। हम सब एक जाति के हैं, एक धर्म हैं, एक शक्ति हैं। पिछड़ेंगे तो सब और आगे बढ़ेंगे तो सब।

श्रीमन्, जाति गुण, कर्म और स्वभाव से बना करती है। मनु जी ने देह में ही जाति को बता दिया है। मुंह का नाम ब्राह्मण, सत्य बोलो। भुजा का नाम क्षत्रिय, दया करो, शांति और अहिंसा वादी बनो, पक्षपात न करो, सब के साथ न्याय करो। पेट का नाम वैश्य। मामूली चीज खाओ, बेईमानी करोगे तो पेट में दर्द होगा, पेट फूल जायगा और मर जाओगे। जब ज्यादा खा लेते हैं तो कहते हैं कि डाक्टर को बुलाओ। क्यों बेईमानी करते हो ? ठीक काम करते तो दर्द न होता। वह बेईमानी का दर्द है। दर्द तो होगा, श्रीमन्, जरा देर में दर्द होने में। जो ज्यादा खाते हैं उनके दर्द जरूर होता है। पैरों को हमारे यहां शूद्र कहा करते थे। ब्राह्मण कहता है कि आम खाऊंगा और क्षत्रिय कहता है कि तोड़ लाऊंगा, बनिया कहता है कि अच्छी तरह से हिफाजत से रखूंगा। अब यह तीनों संगठन कर लें तो आम के वृक्ष तक तो पैर ही ले जायंगे, तब क्षत्रिय तोड़ेगा, ब्राह्मण खाएगा और वैश्य रखेगा। तो पैरों की आवश्यकता पड़ेगी। जब पैरों को पूजा जायगा तो बड़ी खुशी की बात होगी। पिछड़ी जाति की कितनी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्नति रही है, कितना मान रहा है देश के अन्दर ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र---चार वर्ण बने, लेकिन जब खुशी हुई तो पैरों को ही पूजा गया। पैर क्या होता है ? शूद्र। कितनी मान्यता शुद्र को दी गई है ? जब कोई खुशी होती है तो पैर ही पूजा जाता है, माथा नहीं। हमारे यहां संगठन से सब चीज चला करती है। आज तो सब के लिये उन्नति है, क्योंकि ५ महीने रह गये, सब ढोल पीटो, छूट है, क्योंकि वोट मिलेंगे। और एक तरफ़ जातिवाद हो रहा है, देखा जा रहा है किस क्षेत्र में कितने ब्राह्मण हैं, कितने ठाकुर हैं, कितने वैश्य हैं, और कितने शूद्र हैं ? उसी जाति का उम्मीदवार हर पार्टी खड़ा करती है, उसी जाति के लोगों को टिकट दिया जा रहा है। जातिवाद, साम्प्रदायिकता लाने वाली सारी पार्टीज हैं। तो ऐसे वर्गविहीन समाज बनेगा ? मैं कहता हूं कि हमारे लिए २५ साल उम्र है तो उनके लिये २९ साल रखी जाय, २८ साल नहीं। हर विभाग में उन्हें छूट होनी चाहिये, शिक्षा मिलनी चाहिये, इनको इन्सान बनाना चाहिये।

खादर के गांवों में आज भी लोग अंगूठा लगाते हैं, जमुना के किनारे बहुत गांव ऐसे हैं जहां कोई शिक्षा नहीं है और पिछड़ी जाति के लोग ही खादरों में ज्यादा रहते हैं उनके लिये आप इतना काम करें। वोट की लालच से न करें कि भाई हमने प्रस्ताव कर दिया, सब ने उसका समर्थन किया है कि पिछड़ी जाति के लोगों को २८ साल तक हर विभाग में छूट दे दी जाय। ऐसा ढोंग न रचा जाय। यदि काम किया जाय तो ईमानदारी और सच्चाई से किया जाय।

होता क्या है ? आज जिस जाति का नेता होगा उसी जाति का उप-नेता होगा, जिस जाति का मिनिस्टर होगा उसी जाति के अधिकारी होंगे विभागों में। तो जातिवाद चलाने वाले यही हैं। अगर आप वर्गविहीन समाज बनाना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि नाम के ऊपर की एक कड़ी को निकाल दें जो जहर फैलाती है, साम्प्रदायिकतावाद फैलाती है---टीकाराम पुजारी इसमें से "पुजारी" निकाल दिया जाय, ठाकुर हुकुम सिंह, इसमें "ठाकुर" निकाल दिया जाय, रामनारायण त्रिपाठी, इसमें से "त्रिपाठी" निकाल दिया जाय। सीधा नाम रखा जाय। अगर ऐसा किया जायगा तभी वर्गविहीन समाज बन सकता है।

श्रीमन्, मेरा साथ कोई नहीं देता। किसी ने ठीक कहा है---

"दुनिया कहा करती है क्या कर सकता है अकेला,
लाखों में वार करता वह सूरमा अकेला।
कितने तारे होते हैं आसमान के अन्दर,
लेकिन रोशनी करता है चन्द्रमा अकेला।
कितने चक्के होते हैं रेलगाड़ी के अन्दर,
लेकिन पटरी पर खींचता है इंजन बन अकेला।"

इसलिये पिछड़ी जाति के लिये जल्दी से जल्दी हर महकमे में तीन साल की छूट देनी चाहिये और उनके साथ ईमानदारी से काम हो तो आपका भी भला होगा और देश का भी। बस मुझे इतना ही इस संकल्प के समर्थन में कहना है।

श्री प्रतापसिंह---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता---अभी-अभी तो सदन की राय जानी जा चुकी थी। इतनी जल्दी क्या है ?

श्री प्रतापसिंह---मैं एक निवेदन करना चाहता हूं. . .

श्री अधिष्ठाता---अभी मैं आप को आज्ञा नहीं देता।

श्री प्रतापसिंह---मैं निवेदन कर रहा हूं, उस पर निर्णय दे दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूं।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सदन में जो प्रस्ताव पिछड़ी हुई जातियों के शिक्षितों को तीन साल की अवधि बढ़ाने का हुआ है मैं उसकी भावना से सहमत हूं। कारण इसका यह है कि हमारा देश दुर्भाग्य से बहुत गरीब रहा है और गरीबों में भी यहां के रहने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके मुकाबलतन गरीब हैं और उनकी हालत सब के समान लाने के लिये ऐसी बातें हमारे पूर्वजों ने और नेताओं ने की हैं जिससे उनकी सहायता हो सके ताकि उनको भी समान लाया जा सके। आज अगर देखा जाय तो यह पता चलेगा कि यह पिछड़ा वर्ग आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक दशा में और वर्गों से काफी पीछे है इसीलिये उनको सहायता दी गयी है। यह कोई अनुचित बात नहीं है। जब हमारे शरीर का कोई अंग कमजोर होता है तो पूरे शरीर को चलाने के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि हम उस अंग की सहायता करें ताकि वह अंग कमजोर न रह कर हमारे पूरे शरीर को बल पहुंचे और सब के साथ कोआपरेशन कर के देश तरक्की पर पहुंचे। इन सब बातों को देखते हुये इसकी अत्यन्त आवश्यकता है।

जो बैकवर्ड क्लास कमीशन बैठा था उस ने जिन-जिन वर्गों को बैकवर्ड में शामिल किया है उनको सरकार ने एप्रूव कर लिया है। हालांकि इन वर्गों में से किसी वर्ग की आर्थिक दशा कुछ ऊंची है, लेकिन जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, सब की हालत एक जैसी है। आप जरा देहातों में जा कर देखिये कि जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनमें से कितने पढ़े-लिखे लोग हैं। आप को अन्दाजा होगा कि उन से बहुत कम लोग पढ़े-लिखे आप को मिलेंगे। इस का मुख्य कारण यह है कि उनके पास कोई विशेष साधन और धन नहीं है ताकि वे अपने बच्चों को पढ़ा सकें। जब उनका लड़का १०, १२ साल का हो जाता है तब वे कहीं उसको स्कूल में भेजते हैं। जब १२ साल का लड़का स्कूल में पढ़ने के लिये जाता है तो वह बी० ए०, एम० ए० कितने साल में करेगा? इसलिये आयु की अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो वे समानता पाने में पीछे रह जायेंगे और अगर यह वर्ग पीछे रह जायेगा तो हमारा समाज ही पीछे रह जायेगा। इसमें जातिवाद का सवाल नहीं है, बल्कि समानता पर लाने का प्रश्न है।

जैसा अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि इससे असमानता होगी और इस प्रकार की मांग और भी जातियां करेंगी क्योंकि और भी गरीब हैं। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि हमारे संविधान में पिछड़े हुये वर्गों को सहायता क्यों दी गयी है और क्यों कहा गया है कि उनको सहायता दी जाय। इसका उत्तर यही मिलेगा कि वे आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक दशा में पिछड़े हुये हैं, इसलिये उनको सहायता दी जाय। यह कोई अनुचित मांग नहीं है, बल्कि बहुत ही उचित मांग है। पुलिस विभाग में उनको क्यों छूट दी गयी है। मैं समझता हूं कि पुलिस विभाग सारे देश की रक्षा करता है और देश की रक्षा की क्षमता इनमें समझी गयी है, इसलिये वहां पर आयु तीन साल तक बढ़ा दी गयी है। चूंकि इनमें शक्ति है, ताकत है, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से कमजोर हैं इसलिये यही समझ कर उनको पुलिस में यह छूट दी गयी है। अगर उनको दूसरे विभागों में भी छूट दी गयी तो वे सारे कम्पिटीशन्स पास कर सकेंगे और दूसरों के समान आ सकेंगे और अपने देश को उन्नत कर सकेंगे। इन आवश्यकताओं को देखते हुये हमारे नेताओं ने ऐसी बात संविधान में रखी है। कोई जातीयता पैदा करने के लिये यह नहीं रख दिया गया है।

महर्षि दयानन्द के सामने सब से पहले सवाल यह था कि हरिजनों और स्त्रियों के लिये पढ़ना मना था, उनको पढ़ने की सुविधा मिलनी चाहिये। इसलिये उन्होंने यह दरवाजा खोला था, क्योंकि इस वर्ग को समाज में समानता देने की जरूरत है। और आज यह हालत है कि बराबर आने के कारण समाज में हमारा सहयोग हो रहा है। इससे जैसा कि कुछ लोगों के ध्यान में है, कोई जातीयता नहीं पैदा होती है बल्कि वह एक कमजोर वर्ग है और उस कमजोरी को दूर करने के लिये इसकी आवश्यकता पड़ी और जो बैकवर्ड क्लासेज कमीशन बैठा, जिसके अध्यक्ष हमारे नेता काका कालेलकर साहब थे जो महात्मा गांधी के सम्पर्क में बहुत दिन रहे और जिन्होंने

सारे देश में भ्रमण कर के उस कमीशन की रिपोर्ट पेश की उसने भी यही सिफारिश की कि इस वर्ग को दूसरों के बराबर लाने की आवश्यकता है। तो जब इतने महानुभावों की विचारधारायें हमारे समाज को समान लाने के लिये हैं तो फिर कौन-सी चीज़ इसमें हो जायगी जिससे दूसरे लोगों के ऊपर इसका असर पड़ेगा? अगर आप देश की उन्नति चाहते हैं और सभी भाइयों को बराबर उठाना चाहते हैं तो यह वर्ग जिस तरीके से भी ऊंचे उठ सके, सब को उठाने में हमें सहयोग देना चाहिये, न कि रोड़ा बन कर उसमें रुकावट डालें।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामदास आर्य—मैं यह कह रहा था, श्रीमन्, कि आज भी अगर हम आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से विचार करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जैसे माली या कहार लोग हैं इनसे केवल बरतन साफ़ करने का कार्य लिया जाता है। इनके बच्चों को उस उम्र में पढ़ने का कहां मौका मिलता है जिस उम्र में दूसरों के बच्चों को मिलता है। उनके यहां का तो वातावरण ही उनके बच्चों को शिक्षा दे देता है लेकिन इन लोगों के बच्चे शिक्षा के वातावरण से बहुत दूर रहते हैं। दूसरे वर्ग के बच्चे ६ साल की उम्र में शिक्षा पाने लगते हैं जब कि इनके बच्चे १२ वर्ष की उम्र में शिक्षा पाने जाते हैं और यही कारण है कि इनकी आयु काफ़ी अधिक हो जाती है। अगर हम ठंढे दिल से सोचें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उम्र के मामले में इनको छूट देने से देश का और समाज का लाभ ही होगा, इसमें कोई जातीयता पैदा होने की बात नहीं है।

इन शब्दों के साथ जो माननीय श्यामलाल जी यादव ने कहा है उससे मैं सहमत हूं और जब संविधान ने गुंजाइश दे दी है तो हमें आगे बढ़ना चाहिये। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

†श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—अधिष्ठाता महोदय, श्री श्यामलाल जी ने सदन के सम्मुख सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के जाति के लोगों को जो तीन वर्ष की अवधि में छूट देने का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे आज इस प्रस्ताव का समर्थन करने में महान हर्ष हो रहा है। मैं माननीय श्याम लाल जी को बता देना चाहता हूं कि संविधान में जो पिछड़ी जाति उल्लिखित की जा रही है, बहुत संभव है आगे चलकर पिछड़ी जाति की परिभाषा ही बदल जाय और दूसरी जाति की संख्या पिछड़ी जाति में शामिल की जाय। क्योंकि अभी योजना कमीशन में इस संबंध में विचार हुआ था और समाचार-पत्रों से ऐसा आभास मिलता है कि पंडित जवाहर लाल जी यह चाहते हैं कि पिछड़ी वर्ग की जो जातियां हैं और जिनको सम्मिलित किया जा रहा है उस पर पुनर्विचार किया जाय और आर्थिक दृष्टि से जो लोग पिछड़े हुये हैं उनको ही रखा जाय। अभी तक तो पिछड़ी जाति की परिभाषा वही है जो लोगों के सामने है। लेकिन जब पंडित जी द्वारा यह बात कही गई है तो अवश्य इसमें परिवर्तन होगा और जो भारतवर्ष में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होंगे वही पिछड़े-वर्ग में माने जायेंगे और उसी को सहायता प्राप्त हो सकेगी। तो इस समय जो बहस-मुबाहिसा हो रहा है उसका प्रश्न नहीं होगा। हर व्यक्ति जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है, वह लाभ उठा सकेगा। लेकिन यह तो भविष्य में होने वाली बात है।

आज जो मांग की गई है कि पिछड़ी जाति के लोगों को आयु की अवधि में तीन साल की छट दी जाय, उसकी क्या आवश्यकता है, इस बात पर विचार करना है। इस देश में बहुसंख्यक जनता श्रमिक थी और श्रमिक लोग छोटी जाति तथा अछूत के नाम से पुकारे जाने लगे और

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ लहरी]

जिनके हाथ का लोगों ने खाना-पीना बन्द कर दिया वह परिगणित जाति में आ गये, बाकी पिछड़ी जाति में हो गये ।

जब भारतवर्ष स्वतंत्र नहीं हुआ था तो उस समय हमारे देश की जनता बहुत कम शिक्षित थी और उत्तर प्रदेश सरकार के संचालन के परिपत्र से पता चलता है कि शिक्षितों की संख्या अपने प्रदेश में १४.९ प्रतिशत है । शहरों में तो विकास हो रहा है, लेकिन गांवो में आज भी अभाव है । ग्रामीण लोग अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में भेजते हैं परन्तु पिछड़े वर्ग के लोगों तथा हरिजनों को अपने बच्चों को भेजने के लिये बहुत कम अवसर मिलता है । इसलिये बहुत कम लोग भेजते हैं और प्राइमरी शिक्षा के बाद बहुत कम लोग जूनियर हाई स्कूल में अपने बच्चों को भेज पाते हैं । लेकिन शहर के रहने वाले गार्जियन शुरू से ही प्रयास करते हैं कि उनके बच्चे जूनियर स्कूल में न भर्ती होकर सीधे हाई स्कूल में प्रवेश पायें । इस प्रकार से उनको शिक्षा की सुविधा मिल जाती है ।

दूसरा कारण जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं वह यह है कि हर जगह झूठ का सहारा लिया जाता है लेकिन सत्यता का सहारा जहां लिया जाता है वह हमारा ग्रामीण समाज ही है । हमारे शहरों के बच्चे चाहे वे ८ या १० साल के ही क्यों न हो जायं, जब वे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते रहते हैं तभी उनकी अवस्थायें कम लिखाई जाती हैं । आप इन बच्चों के प्रवेशपत्र जो हाईस्कूल में होते हैं उनको देख लीजिये और उनमें आम तौर पर इन बच्चों के कार्ड पर लिखा होता है कि किसी भी स्कूल में शिक्षा नहीं पाई है, प्राइवेट तौर से घर पर पढ़ा है और उसका कारण यह है कि वे उम्र को कम करके लिखाते हैं और वे जब उनके बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते होते हैं और ८ या १० साल के होने पर भी ७ या ८ साल के बीच में लिखाते है, लेकिन हमारे पिछड़े वर्ग के भाई हैं उनके बच्चे जब प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं तो वहां के अध्यापक यह नहीं सोचते कि उनके विद्यार्थी की वास्तविक आयु क्या है, मनचाही आयु भर देते हैं । तो यह अनुभव हमारा सब का है कि जो बच्चे गांव के स्कूलों में पढ़ते हैं वहां से टी० सी० लेकर जब दूसरे स्कूलों में प्रवेश लेते हैं तो उनकी उम्र वास्तविक उम्र से अधिक होती है, कम नहीं होती । इस प्रकार जो पिछड़े वर्ग के बालक हैं और जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उनके प्रमाण-पत्रों में आयु कम नहीं होती, बल्कि वास्तविक आयु कुछ अधिक ही होती है जब कि शहरों के बालकों की आयु कम लिखी होती है ।

तीसरा कारण जो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं वह यह है कि जब इस देश की सरकार ने श्रमिक और निर्धन समाज के एक अंग परिगणित जातियों के बालकों को नौकरियां प्राप्त करने के लिये तीन वर्ष की अवधि की छूट दे दी है तो यह समझ में नहीं आता कि बैकवर्ड जो उसी प्रकार निर्धन हैं जो उसी प्रकार समाज में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उसी तरह से पिछड़े हुये हैं उनको क्यों छूट न दी जाय । हम लोगों ने राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया, लेकिन हमारे बालकों ने तो भाग नहीं लिया । हर व्यक्ति जानता है कि १५ अगस्त, सन् १९४७ के बाद से राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस को किसी प्रकार के राजनीतिक आन्दोलन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी । आज आजादी के बाद से हम लोग देश का शासन संभाले हुये हैं । हमारे राजनीतिक पीड़ितों के बालकों के लिये ३ वर्ष की छूट अभी सरकारी नौकरियों के प्राप्त करने में मिली हुई है । मैं पूछना चाहता हूं कि इन बालकों ने तो देश की आजादी की लड़ाई में कोई भाग नहीं लिया । यह सही है कि उनके संरक्षकों ने देश की आजादी की लड़ाई में भाग लिया और इसलिये यह मान लिया गया कि उस समय उनके बालकों की शिक्षा का प्रबन्ध नहीं हो सका, इसलिये इस देश और इस प्रदेश की सरकार ने सभी विभागों को इस प्रकार के आदेश दे रखे हैं कि राजनीतिक पीड़ितों के बालकों को सरकारी नौकरियों में ३ वर्ष की आयु में छूट मिलेगी । आज देश में कोई आन्दोलन नहीं चलने वाला है लेकिन अगर साल भर या ६ महीने या साल दो साल के लिये एक व्यक्ति जेलखाने में बन्द हो गया तो उसके बालकों को शिक्षा का अभाव तो हुआ नहीं । अगर किसी तरह से उसके बालकों की शिक्षा में व्यवधान

हुआ हो तो उसके लिये मुस्तकिल आदेश जारी कर दिये गये हैं कि राजनीतिक पीड़ितों के सभी बालकों को उम्र में तीन वर्ष की छूट मिलेगी। लेकिन पिछड़े वर्ग का व्यक्ति अपनी निर्धनता और पिछड़ेपन के कारण अपने बालकों की समुचित शिक्षा का प्रबन्ध नहीं कर पाता उसे वह उच्च शिक्षा दिलाने का समुचित प्रबन्ध नहीं कर पाता, क्योंकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये जब बालक गांव से शहर में जाता है तो उसके संरक्षक को उसके लिये होस्टल का भी प्रबन्ध करना पड़ता है और भोजन का भी प्रबन्ध करना पड़ता है और शहर का स्टैंडर्ड आफ लिविंग ऊंचा होने के कारण और भी खर्चा बढ़ जाता है। तो पिछड़े वर्ग के बालक को शिक्षा देने का मतलब यह है कि उसके परिवार को एक वक्त रोटी खाने के लिये मजबूर होना पड़ता है। अपना पेट काट कर, भूखों रह कर जिन संरक्षकों ने अपने बालक की शिक्षा का प्रबन्ध किया जब वह बालक शिक्षित हो कर निकलता है, तो निर्धनता के कारण उसका संरक्षक उसको किसी व्यापार में तो लगा नहीं सकता, उसके पास इतना धन नहीं होता कि वह उसे किसी व्यवसाय में लगा दे, वह सिर्फ एक ही आशा लगाये बैठा होता है कि मेरा बालक भी पढ़ लिख कर कोई अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेगा और उसके दिन भी फिर जायेंगे तथा जो वह भूखे पेट रहा था उसका कुछ मुआवजा मिल जायगा।

लेकिन जब बच्चा सरकारी नौकरी के लिये प्रयास करता है तो उसको उन तिकड़मों का पता नहीं होता है जो सरकारी नौकरियों में होती हैं, एम० एल० ए० होने के बाद जिनका मुझे काफी अनुभव हुआ है। चाहे कोई चपरासी की जगह हो, चाहे बस कंडक्टर की जगह हो या किसी क्लर्क की जगह हो, चाहे उसका चुनाव यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से हो, या यू० पी० पब्लिक सर्विस कमीशन से हो, लेकिन आज अगर कोई बालक किसी कम्पेटीशन में बैठता है या नौकरी करने के लिये अप्लाई करता है तो सबसे पहले सिफारिश के लिये दौड़ता है। लोग मेरे पास भी आते हैं, आपके पास भी आते होंगे और मिनिस्टरों के पास तो कितने आदमी सिफारिश करवाने के लिये आते होंगे, इसका तो कोई अन्दाज नहीं लगा सकता। तो आज नौकरी योग्यता के आधार पर नहीं, तिकड़म के आधार पर, अपनी पहुंच के आधार पर, प्राप्त होती है। लेकिन पिछड़े वर्ग का व्यक्ति इन तिकड़मों को नहीं जानता। जब कई बार असफल होने पर, धीरे-धीरे उसको पता चलता है कि अमुक व्यक्ति की सिफारिश से नौकरी मिल सकती है, तो वह उसकी सिफारिश प्राप्त करने के लिये प्रयास करता है। इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि पिछड़े वर्ग के पास सिफारिशों की कितनी कमी है, इसलिये नितांत आवश्यक है कि जो लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये हैं, जिन्होंने सत्य का मार्ग अपनाया है, उनके बालकों को सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिये उम्र की अवधि में अवश्य छूट दी जाय। जो यह प्रस्ताव किया गया है कि पुलिस विभाग की तरह से उनके बालकों को तीन वर्ष की छूट अन्य विभागों में भी दी जाय यह नितांत उचित है।

मैं यह पूछना चाहता हूं, सरकार की यह दोहरी नीति मेरी समझ में नहीं आती कि जब सरकार का एक विभाग पिछड़े वर्ग के बालकों को तीन वर्ष की छूट दे रहा है तो अन्य विभागों में वह छूट क्यों नहीं मिलती ? पुलिस विभाग में तीन वर्ष की छूट देने से सरकार को कोई कठिनाई नहीं हुई और अगर सरकार को कोई विशेष असुविधा हुई भी हो तो मैं पूछना चाहता हूं कि फिर अन्य विभागों में इस तरह की छूट देने में सरकार को क्या परेशानी है ? रिटायरमेंट की उम्र में बढ़ाने की तो उन्होंने कोई मांग नहीं की, अगर उनको तीन वर्ष की छूट मिलती है तो उनकी सेवा का कार्यकाल तीन वर्ष कम हो जायगा। इसलिये, मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सचमुच आप इस देश के कृषक, निर्धन और उन व्यक्तियों की जो आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुये हैं उनकी दशा को, उनके जीवन स्तर को उठाना चाहते हैं तो आज उसके लिये एक ही मार्ग है कि उनके बच्चों को भी उच्च शिक्षा मिले और उनके बच्चों को भी सरकारी नौकरियां मिलें क्योंकि सरकारी नौकरियां ही आज समाज में एक ऐसा मापदंड बन गई हैं जिससे लोग एक दूसरे की प्रतिष्ठा मापते हैं और आज लोगों की निगाह में सरकारी नौकरियां प्रतिष्ठा का मापदंड होने के कारण ही पिछड़े वर्ग

[श्री जगन्नाथ लहरी]

के लोगों ने यह मांग रखी है कि उन्हें सरकारी नौकरी प्राप्त करने में आयु की अवधि में तीन वर्ष की छूट दी जाय। इसलिये मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि पिछड़ी जाति, निर्धन लोगों और किसान जातियों का उद्धार करने के लिये हम उन सीमाओं का थोड़ा-सा उल्लंघन करें और तीन वर्ष की आयु में छट उन्हें दें। इन शब्दों के साथ मैं श्री श्यामलाल जी यादव के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मदन पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---अधिष्ठाता महोदय, जब माननीय गेंदासिंह जी अपना भाषण इस प्रस्ताव पर कर रहे थे और सरकार से अपील कर रहे थे कि बैकवर्ड लोगों का जब तक कि उनके अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व न हो जाय नौकरियों मे तब तक के लिये कुछ विशेष ऐसे पेशे, कुछ विशेष ऐसी सेवायें जिनमें वह आम तौर से माहिर होते हैं उनके लिये सुरक्षित कर दी जायं, यद्यपि इस प्रकार का कोई अमेंडमेंट इसमें आया नहीं है, लेकिन जिस संदर्भ में यह कहा गया है उस संदर्भ में यह बिलकुल वाजिब बात थी, तो उस पर ठाकुर साहब ने कुछ फिकरेबाजी करते हुये संविधान की धारा १६ की तरफ इशारा किया।

(इस समय ४ बजकर ८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

उन्होंने कहा कि धारा १६(१) में जो डिस्क्रिमिनेशन के लिये मना किया गया है उसका क्या होगा। मैं ठाकुर साहब की इस वकालत के लिये दाद देता हूं कि उन्होंने अपने मतलब की धारा तो पढ़ ली, लेकिन कांस्टीट्यूशन की धारा १६ की जो उपधारा (४) थी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जहां धारा १६(१) में यह कहा गया है कि :--

"There shall be equality of opporunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State".

यानी राज्य में जो भी नौकरियां दी जायेंगी उनमें किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं बरता जायगा। लेकिन आगे चलकर के इसी धारा की उपधारा (४) में यह दिया गया है :--

"Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State".

यह बहुत अच्छी तरह से इसमें बता दिया गया है और यदि ठाकुर साहब थोड़ी तकलीफ करें, कांस्टीट्यूशन की कापी अगर उनके पास न हो तो मैं भेज दूंगा, तो उसको वह देख लें। उसमें कहा गया है कि यदि आवश्यकता पड़े और सरकार चाहे तो इस प्रकार का विधान बनाने में, इस प्रकार का रिजर्वेशन करने में, उसके रास्ते में संविधान के इस आर्टिकिल के मुताबिक कोई रुकावट नहीं पड़ेगी। यह बात बिलकुल स्पष्ट कर दी गई है। इसलिये माननीय गेंदासिंह जी के इस कथन का संविधान की दुहाई देकर जो उन्होंने विरोध किया था, अब वह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है और मैं ऐसा समझता हूं कि संविधान की दुहाई अब सरकार की तरफ से इसके लिये देना बेकार है। तब फिर क्या दिक्कत पड़ती है जिसकी वजह से इस सीधे सादे प्रस्ताव को नहीं माना जा रहा है? अब वह वापस हो या जो भी हो, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जब एक बार प्रस्ताव सदन में आ चुका तो वह सदन की प्रापर्टी हो चुका और अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार चाहे डेमोक्रेटिक चालाकी के तरीकों को इस्तेमाल करके इसे इवेड करने की कोशिश करे कि इस पर वोटिंग न होने पाये, लेकिन मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव सदन में आ जाने के बाद सदन ने इस पर पूरे तरीके से गौर किया और एक मत से उधर के और इधर के लोगों ने यह राय दी है। शायद एक भी वायस ऐसी नहीं है कि जिसने इसकी मंशा का विरोध किया हो और एकाध ने जिनने कुछ विरोध किया है उन्होंने भी कुछ और सहूलियतें देने की बात, कुछ और मार्जिफिकेशंस के साथ कही हैं, इसलिये सदन की आत्मा बोल रही है कि यह प्रस्ताव अपनी जगह पर बहुत

उचित है और सरकार को इसे मान लेना चाहिये। तब फिर सरकार को क्या हिचक हो रही है यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है।

मैं यह सबेरे से सोच रहा हूं कि यह एक निर्दोष सीधा-सादा प्रस्ताव ह इसको सरकार क्यों नहीं स्वीकार कर रही है, बल्कि हमारी तरफ से कुछ सदस्यों ने कड़वी बात कही तो मुझे ताज्जुब हो रहा था कि यहां पर ठाकुर साहब ऐसे बुजुर्ग आदमी बैठे हुये हैं वह इसके लिये उठकर हां कह देंगे तो इतनी सख्त बात क्यों कही जा रही है, लेकिन जो कुछ मैंने देखा, अर्थात् यहां पर दो बार प्रश्न उपस्थित किया गया जिस प्रकार वोटिंग से बचने का प्रयत्न किया गया इससे यही मालूम पड़ा कि सरकार की यही नीति है कि 'मुंह में राम बगल में छरी।' इससे न तो बैकवर्ड क्लास का भला होने वाला है और न सरकार का ही भला होने वाला है। यों तो आज बैकवर्ड क्लास समझ चुका है कि सरकार उसके लिये क्या करने वाली है। जिस प्रकार से सरकार सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का नारा लगाती है और उसमें सोशलिज्म की तरफ कोई कदम न उठाकर उसके विरुद्ध सब कदम उठाती है, आज इसी प्रकार की सरकार की पालिसी एक्सपोज हो चुकी है और सरकार की पालिसी का भंडाफोड़ हो चुका है। यह जनता को धोखे में रखने की बात है और यह अधिक दिन तक चलने वाली नहीं है। अब मजदूर और गरीबों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाली सरकार से मेरा निवेदन है कि यह सरकार या तो इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की घोषणा करे और यदि स्वीकार करने की घोषणा नहीं करती है तो जो लोग बड़ी गर्म-गर्म बातें कहा करते हैं और हम लोगों को रिएक्शनरी कहा करते हैं उन लोगों से मेरा यह निवेदन है कि बैकवर्ड क्लास के जो लोग सरकार में बैठे हुये हैं उनको इस्तीफा देना चाहिये या सरकार की तरफ की अपनी सीटों से इस्तीफा देकर लड़ना चाहिये। आज जिस वक्त कांग्रेस बैंचेज की तरफ से इस प्रस्ताव की मुखालफत करने के लिये इवोंडिंग पालिसी अख्तियार की जा रही है तो उस समय उन बैंचेज पर बैठना मुनासिब नहीं है। मैं श्यामलाल जी और रामबचन जी से कहना चाहता हूं कि उन्हें अब कृपाकर अपनी नीति घोषित करनी चाहिये। अगर इस वक्त फिर प्रश्न उपस्थित हो तो उसमें हमारा साथ देना चाहिये नहीं तो कम से कम अपनी सरकार की इस खोखली नीति के समझने के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे देना चाहिये। उनको समझ लेना चाहिये कि अब इस प्रस्ताव को संविधान के विरुद्ध ठहराने की चाल बेकार है। संविधान की धारा १६ (४) इस बात के लिये स्पष्ट इजाजत देती है। इसलिये आपके द्वारा मैं ठाकुर साहब से अपील करता हूं कि इस रिजर्वेशन की बात को और इसमें जो छूट देने की बात है इन दोनों बातों को उन्हें कबूल करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—मैं अब इस संकल्प के लिये क्लोजर मूव करता हूं, क्योंकि इससे आगे का प्रस्ताव भी मजदूर और बैकवर्ड से अधिक संबंध रखने वाला है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि हमारे समक्ष जो प्रस्ताव है उस पर एक दिन बहस हो चुकी है और उस दिन १८,२० आदमी बोल चुके हैं, आज भी २५ आदमी बोल चुके हैं यह गैर-सरकारी दिन ही हम को मिलता है जिस दिन हम अपने-अपने संकल्पों पर सरकार की राय जान सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं

श्री अध्यक्ष—आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री गौरीशंकर राय---क्या आप के पास कोई ऐसा तरीका है कि जिस तरीके से आप इस जबरदस्ती को रोक सकें।

श्री अध्यक्ष---नहीं। जब इस सवाल पर बहुमत की राय हो चुकी तो मैं कुछ नहीं कह सकता।

*श्री रूर्मसिंह (जिला शाहजहांपुर)---अध्यक्ष महोदय, श्यामलाल जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है वह बहुत ही अच्छा है, इसमें हमारा सुधार ह, लेकिन यह सरकार ऐसी है कि इस से गरीबों की भलाई की आशा करना विडंबना मात्र है। यह सरकार इसीलिये रोना रोती है। कभी देश पर चीन का हमला होता है, कभी कश्मीर पर हमला होता है। यह इसीलिये है कि इस देश में करोड़ों लोग पिछड़े हुये हैं। उनके न पढ़ने-लिखने की व्यवस्था है, न खाने-पीने की, न रहने की और न दवादारू की। कोई व्यवस्था उनके लिये नहीं है। यह सरकार चन्द आदमियों की व्यवस्था करती है और इसीलिये इस प्रस्ताव को वह पास नहीं होने देना चाहती और जो सदस्य हैं वे भी टिकटों के लालच में पड़ कर इस प्रस्ताव के साथ वोट नहीं करना चाहते।

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्यों पर इस प्रकार हमला नहीं किया जाता। आप अपनी बात कहें।

श्री रूर्मसिंह---मैं वही कह रहा हूं। सही बात कह रहा हूं। भाषण तो दे देते हैं कि प्रस्ताव बहुत अच्छा है, लेकिन प्रस्ताव के साथ वोट नहीं देते।

श्री अध्यक्ष---टिकट आदि की बात आप न कहें।

श्री रूर्मसिंह---यह साफ बात है कि सरकार नहीं चाहती है कि यह प्रस्ताव पास हो। सभी माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है और उसके समर्थन में भाषण दिये हैं और सरकार को यह ज्ञात हो चुका है कि अगर यह प्रस्ताव यहां आयेगा तो पास हो जायेगा। इसलिये सरकार चाहती है कि इसको टाल दिया जाय और बहस बराबर चलती रहे। आज ५ बजे तक यह बहस चलती रहेगी और अगला मौका पता नहीं कब आये। इसलिये इसको टाल देने की उसकी नीति है। सरकारी पक्ष में भी पिछड़े वर्ग के सदस्य हैं, मंत्रि-परिषद् में पिछड़े वर्ग के मंत्री भी हैं और वह पब्लिक में जाकर बड़ी-बड़ी स्पीचेज दिया करते हैं कि सरकार ने उनके लिये, गरीबों के लिये क्या-क्या काम किये हैं, लेकिन सदन में जब उनकी भलाई के लिये प्रस्ताव आता है और उसके लिये जब सरकार चुप्पी साध लेती है तो पता नहीं वे सब कहां चले जाते हैं। यह केवल तीन साल की छूट का मसला है और इसमें सरकार को कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिये। लेकिन उसको परेशानी इसलिये है कि इसके पास हो जाने के बाद द्विज वर्ग के लोगों को नौकरियों में कम जगहें मिल सकेंगी। यह सरकार नहीं चाहती कि देश में समाजवाद आये, लोग बराबर हों। सरकार चाहती है कि चन्द आदमियों को ही सहूलियतें रहें, चन्द आदमी ही मालामाल हों, और उनके लिये सरकार की सारी व्यवस्था है, उनके लिये सारे कानून हैं और ऐसा ढांचा सरकार ने बना रखा है कि जिससे थोड़े से लोग ही फायदा उठा सकें। पिछड़े वर्ग को यह सरकार घाटे में रखना चाहती है। अक्ल, धन आदि की सुविधायें यह सरकार उनको नहीं देना चाहती और इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह इस नीति को बदले और इस वर्ग के लोग टिकट के लालच में न आयें। वे सरकार की नीति को समझने की कोशिश करें। यह एक सीधा-सादा प्रस्ताव है और उन्हें इसको पास कराने की कोशिश करनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि सन् ६२ का चुनाव नजदीक है, उसी को ध्यान में रख कर वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री श्रीनाथ का नाम पुकारे जाने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गौरीशंकर राय--अध्यक्ष महोदय, चूंकि इस प्रस्ताव के संबंध में इस सदन में जितने भी भाषण हुये हैं वे सब इसके पक्ष में हुये हैं और सभी का एक मत है, किन्तु सरकार इसको टालना चाहती है, अपने बहुमत के आधार पर, ताकि दूसरा मजदूरों वाला प्रस्ताव सदन में न आ सके, और आपने भी अपनी मजबूरी बता दी है, इसलिये विरोध स्वरूप हम अब सदन में नहीं बैठ सकते और सदन का त्याग करते हैं।

(श्री गौरीशंकर राय तथा उनकी पार्टी ने सदन को त्याग दिया।)

श्री राजनारायण--अध्यक्ष महोदय, आप देख रहे हैं कि यहां रिपीटीशन हो रहा है और सरकार की ओर से यह प्रयास हो रहा है कि दूसरा मजदूरों वाला प्रस्ताव न आ सके...

श्री अध्यक्ष--आप नियम को जानते हैं। जब क्लोजर मूव हुआ और उस पर सदन ने राय दे दी, तो मेरी मजबूरी है। आप नियम के बाहर तो नहीं जा सकते। अब जब आप भाषण दें तब बोलें।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, हमारा यह निश्चित मत है कि यह सरकार सन् ६२ के चुनाव के कारण इस प्रस्ताव को लाई है। मैं भाषण तो नहीं देना चाहता, लेकिन मैं, चूंकि सरकार श्यामलाल जी के प्रस्ताव को पास कराकर इसको कार्यान्वित नहीं करना चाहती और दूसरा प्रस्ताव न आ सके इसलिये इसको टालना चाहती है, इसलिये विरोध स्वरूप में अपनी पार्टी सहित सदन त्याग करता हूं।

(श्री राजनारायण तथा उनकी पार्टी के सदस्यों ने सदन को त्याग दिया।)

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--मैं तथा मेरी पार्टी के सदस्य भी इसके विरोध में सदन त्याग करते हैं।

(कुंवर श्रीपालसिंह तथा जनसंघ पार्टी के सदस्य भी सदन से उठ कर चले गये।)

*श्री श्रीनाथ (जिला आजमगढ़)--अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस प्रस्ताव के पक्ष में जो बातें हैं उनको मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा और सरकार से निवेदन करूंगा कि वह उस पर ध्यान दे और अमल करे। हमारे प्रदेश की जो आज स्थिति है उसमें पिछड़ा वर्ग सामाजिक, आर्थिक तथा हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। हमारी सरकार और हमारा संविधान भी इस बात का प्रयास कर रहा है कि इस दबे हुये तबके को ऊपर उठाया जाय और ऐसा करने से ही हमारी आर्थिक और सामाजिक समस्यायें हल हो सकती हैं। ऐसी हालत में हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम हर तरह से इस दबे हुये तबके को ऊपर उठायें और उस को हर प्रकार से सहायता दें। हम चाहते हैं कि हमारे देश की जो स्थिति है उसमें जल्द से जल्द सुधार हो।

श्रीमन्, हम जानते हैं कि शिक्षा के मामले में छोटी जाति वाले काफी पिछड़े हुये हैं। उनकी आर्थिक स्थिति जिस प्रकार की है उसके कारण उनके लिये यह सम्भव नहीं है कि वे शिक्षा में आगे बढ़ सकें। ऐसी सूरत में हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम कोई ऐसा तरीका अख्तियार करें जिससे उनकी शिक्षा की स्थिति में जल्द से जल्द सुधार हो सके और हम अपने देश की समस्याओं को हल कर सकें। मुश्किल यह होती है कि जब हम शिक्षा की ओर कदम उठाते हैं तो उस वक्त हमारे सामने बड़ी-बड़ी कठिनाइयां आ जाती हैं। हमारा समाज जो ज्यादातर पिछड़ा हुआ है, वह गांव में रहता है और वहां की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि आर्थिक दृष्टिकोण की बिना पर हम ऊंची से ऊंची शिक्षा ले सकें और देश का ढांचा बदलने में अपना सहयोग दे सकें। हमारे देश में शिक्षा की प्रगति हो रही है और शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग नौकरियों में जा रहे हैं और नौकरियां भी ज्यादा से ज्यादा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्रीनाथ]

बढ़ायी जा रही हैं जिससे बेकारी की समस्या हल हो, लेकिन नौकरियों में जाने वाले कौन हैं ? वह लोग वही हैं जो साधन-सम्पन्न हैं। गांव में रहने वालों को साधन प्राप्त नहीं हैं इसलिये वे शिक्षा प्राप्त कर के नौकरियों में नहीं जा सकते। हम यह नहीं चाहते कि शिक्षा की योग्यता में कमी हो और योग्यता का विचार न करते हुए हमें जगह दे दी जाय। यह मांग किसी कीमत पर उचित नहीं हो सकती है कि शैक्षिक योग्यता भी न हो और ऊंची से ऊंची जगह पर रखा जाय। शैक्षिक योग्यता तो बराबर हो, लेकिन थोड़ी-सी सुविधा चाहते हैं कि वह दबा हुआ तबका और पिछड़े लोग जो शिक्षा की योग्यता, साधन के अभाव में कम समय में प्राप्त नहीं कर सकते हैं उनको ऐसी छूट मिलनी चाहिये जिससे जो उनकी आयु अधिक हो जाती है उससे उनकी उन्नति में बाधा न पड़े।

कठिनाई यह होती है कि एक सीमा निर्धारित है जिससे ज्यादा उम्र के लोग बड़ी-बड़ी जगहों पर, गजटेड पोस्ट्स पर आज के समय में नहीं जा सकते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए तो तीन साल की छूट दे रखी है और संविधान के अनुसार वह उनको प्राप्त है, लेकिन पिछड़ा वर्ग जो उसी प्रकार से शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, भले ही सामाजिक दृष्टिकोण से उनकी स्थिति अच्छी हो, वह इस उम्र के प्रतिबन्ध के कारण अच्छी नौकरियां नहीं पा सकता। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम उनको एज की लिमिट में छूट दें।

श्यामलाल जी का प्रस्ताव समय के अनुकूल है और सरकार को उसे मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। ऐसा मालूम हुआ है कि पुलिस विभाग ने इस तीन साल की छूट को मान लिया है। मैं समझता हूं, पुलिस विभाग ऐसा विभाग है जिसमें शिक्षा के साथ शरीर और एज की बहुत परवाह की जाती है और उसमें जरा सी भी अयोग्यता होने पर किसी को पुलिस विभाग की नौकरियों में स्थान प्राप्त नहीं हो सकता है। अन्य विभागों में इतनी कड़ाई नहीं है जितनी पुलिस विभाग में है। ऐसी अवस्था में यदि और विभागों में भी छूट दे दी जाती है तो वह अनुचित न होगा। मैं अनुरोध करूंगा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय। बल्कि मैं तो यह चाहता था कि यह रिजोल्यूशन किसी बिल या प्रस्ताव के रूप में, घोषणा के रूप में सरकार की ओर से आता। नान-आफिशियल रेजोल्यूशन होने से अगर मानने में सरकार को आपत्ति हो तो यह सोचना चाहिए कि सरकार की जो मंशा है कि हम पिछड़े तबके को ऊंचा उठाना चाहते हैं, उनको अच्छी नौकरियां देना चाहते हैं, शिक्षा के लिए स्कालरशिप देना चाहते हैं ताकि वह अच्छी-अच्छी जगह जा कर काम कर सकें, तो जब काम करने की सुविधा देना चाहते हैं तो यह तीन साल की छूट भी बहुत आवश्यक है जिससे वह शैक्षिक योग्यता में अन्य साधन-संपन्न लोगों की बराबरी कर सकें।

मैं प्रार्थना करूंगा कि इस मांग को सरकार स्वीकार कर ले, यह समय के अनुसार है, एक विभाग ने इसे मान लिया है, यदि दूसरे विभागों में भी इसे मान लिया जाय तो अनुचित नहीं होगा।

*श्री जोखई (जिला इलाहाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह प्रस्ताव पिछड़ी जाति के हित के लिये आया है। मेरे जिले इलाहाबाद में बहुत सी पिछड़ी जाति के लोग हैं और उन लोगों को ऐसी सुविधायें भी नहीं दी जा रही हैं जो हरिजनों को दी जा रही हैं। उस समाज में ऐसे लोग हैं जो हरिजनों से भी गये गुजरे हैं। हरिजनों के बच्चे पढ़ लिख सकते हैं, लेकिन बैकवर्ड क्लासेज में ऐसे लोग हैं जिनको अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की सुविधा नहीं है और न वे अपनी आर्थिक हालत को ही ठीक कर पाते हैं। इसलिये हमारी तो यह राय है कि इस प्रस्ताव को मान लिया जाय। हरिजनों के ऊपर तो यह एक कलंक है कि सारी सुविधायें उनको ही मिलती हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर ऐसे लोग हाई क्लास में भी हों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि जिनके बच्चे पढ़ लिख न सकते हों तो उनको भी सरकार सहायता दे। इनको भी वही सुविधायें दी जायं जो हरिजनों को दी जाती हैं। बैकवर्ड क्लासेज के लिये इन मांगों को स्वीकार करने में तो सरकार को कोई एतराज होना ही नहीं चाहिये। मैं और ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा और इतना ही कहते हुये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नारायणदास पासी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव श्याम लाल जी ने पेश किया है वह बिल्कुल समयानुकूल है। यही नहीं श्री राम वचन जी यादव ने कई बार इस प्रकार का प्रयास किया और एक मर्तबा सदन में ऐसा प्रस्ताव भी लाये, लेकिन सरकार ने उसमें कुछ दिक्कतें महसूस कीं इसलिये वह वापस ले लिया गया। एक तो सारे देश में वैसे ही हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है दूसरे हमारे प्रदेश में यह पिछड़ा वर्ग तो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। जो प्रयास हमारी केन्द्रीय या प्रदेशीय सरकार ऊंचे वर्ग के लोगों को उठाने का कर रही है उसमें पिछड़ी जाति के लोगों को उठाने का ऐसा प्रयास नहीं किया। उनको ऐसा अवश्य कर देना चाहिये कि बराबर की योग्यता होते हुए उनको तीन वर्ष की उम्र की छूट दे दी जाय। यह तो आप जानते ही हैं कि हरिजनों को ये तमाम संरक्षण होते हुए भी और योग्यता होते हुए भी कितने ऐसे आदमी हैं जो सरकारी नौकरियों में आ पाते हैं?

जहां पर सरकारी नौकरी में हजारों लाखों आदमी तथा और जातियों के लोग हैं वहां हरिजनों को अगर गिना जाय तो उसमें कोई प्रतिशत नहीं बनता है। इसलिए आज मजबर हो कर हमारी मांग सरकार से होती है और इसके कारण भी हैं। इस पिछड़े वर्ग से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, जो कोई मामूली आदमी नहीं थे जिनके ऊपर इस देश को ही नहीं पूज्य गांधी जी को भी गर्व था। हमारे ए० आई० सी० सी० के सभापति रेड्डी भाई भी इसी वर्ग से आते ह, मद्रास के चीफ मिनिस्टर भी इसी तरमाली वर्ग में आते हैं जिनके ऊपर हम गर्व कर सकते हैं। इसके अलावा श्री जगजीवन राम, श्री गिरधारी लाल, श्री चरण सिंह, तथा डाक्टर सीताराम आदि के ऊपर भी हम गर्व कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने नाना प्रकार के दुःख उठा कर और तमाम कठिनाइयां झेल कर आज इस योग्यता को अपने बल पर प्राप्त किया है। आज के समाज की हालत को देखें तो हमारे संविधान में भी उनके लिये संरक्षण दिया गया है।

श्रीमन्, आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश के अन्दर ८० फीसदी पिछड़े वर्ग के लोग हैं। इस प्रदेश में केवल एक बड़ा कदम उठाया गया है जो बैकवर्ड कमीशन रिपोर्ट का एक अंग है। इसमें तो नौकरियों के बारे में केवल तीन वर्ष की छूट दी गयी है। मैं तो कहता हूं कि पिछड़े वर्ग को ही नहीं बल्कि सारे उत्तर प्रदेश के पूरे समाज को तीन वर्ष की छूट दी जाय नौकरियों के सम्बन्ध में। इसका कारण यह है कि आप देहातों में जाकर देखें कि वहां शिक्षा की हालत क्या है, वहां शिक्षा प्राप्त करने का तरीका क्या है तथा उनका उसमें कितना खर्चा बैठता है। कुर्मी, यादव, मुराई को तो छोड़ दीजिये जो सम्पन्न खेतिहर लोग हैं ये योग्य होते हुये भी दर-दर भटकते ह, लेकिन अहेरिया, बहेलिया, अरख, गूजर, भर, नाई, कुम्हार, तेली, मोमिन, अंसार आदि जो कि वास्तव में बहुत ही पिछड़े वर्ग के हैं, उनकी हालत यह है कि वे अपने लड़कों के लिये ७वें ८ वें क्लास की फीस तक नहीं दे पाते हैं। फिर उनके लड़के कैसे पढ़ें और कैसे नौकरी में आवें जिससे विषमता दूर हो कर समानता आवे? हमारे संविधान में इसको दूर करने का प्रयास है। सरकार जो कुछ कर रही है वह इतना कर रही है कि वह चाहती है कि हमारे समाज में कोई हरिजन पिछड़ा वर्ग ही न रहे। आप देखते हैं कि हमारे देश की सभ्यता में चाहे अर्ली वेजीटेरियन स्टेज या हंटिंग स्टेज रहा हो, चाहे शेफर्ड स्टेज रहा, चाहे कल्टीवेटिंग (एग्रीकल्चरल स्टेज) रहा, चाहे इंडस्ट्रियल स्टेज रहा और उस समय भी हमारे यहां एक वर्गविहीन समाज ही रहा। चूंकि हमारे देश में जो श्रमिक थे, जो खेतिहर थे, कारीगर व उद्योगी थे उन्हीं पर हमला हुआ, उन्हीं को लूटा गया, फूंका गया, उनके खेत जलाये गये उन्हीं को दास बनाया गया और हमारे यहां की यह स्थिति रही कि वे पनपने नहीं पाये। हमारी सामाजिक व्यवस्था बहुत खराब थी तथा हमारे ऊपर बड़े-बड़े जुल्म होते थे। अगर हम उसको गौर से देखें और अपने समाज की

[श्री नारायणदास पासी]

व्यवस्था को देखें तो ऋग्वेद में इस तरह का एक मन्त्र आया है—"यथेमा वांचं कल्याणी, मा वदानि जनेभ्यः ब्रम्ह-रा न्याभ्यादं, शूद्राय चार्याय, चारणायच स्वाय। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्वपच, जो भी नीच से नीच जाति हो, सब को वेद पढ़ने का अधिकार है।" पहले यहां पर यह नहीं था कि केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही वेद पढ़ सकता है। चाहे पिछड़े वर्ग का हो; चाहे हरिजन हो, सब को वेद पढ़ने का अधिकार था, सब समान थे और हर काम करते थे। यह हमारे यहां की सभ्यता और संस्कृति थी जो सारे विश्व में सब से पूजनीय मानी जाती थी। यह नैतिक बल आज भी हमारे पास है। यह कि हम जो विश्व को रोशनी दे सकते हैं वह यही है कि हमारे यहां समाज में कोई किसी किस्म की रुकावट उन्नति के लिये नहीं है।

विरोधी पार्टी वाले कहते हैं कि कुछ भी काम पिछड़े वर्ग का नहीं हुआ है। आप बतलायें कि कांग्रेस सरकार के आने के पहले क्या काम हो रहा था? कोई सुविधा या संरक्षण था? मैं कहता हूं कि चाहे स्वतंत्रता संग्राम रहा हो या कुछ और रहा हो, जितनी कुरबानी हम लोगों ने की है उतनी हाई कास्ट हिन्दूज ने नहीं की, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि हमारे समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कुछ भी हों वह पूज्य हैं और हम सब कन्धे से कन्धा मिलाकर उनके साथ काम करते हैं और बराबर हम नंगे, भूखे, दरिद्र, अशिक्षित रह कर उनके खाने, कपड़े, और घर के लिये सुविधाएं देते हैं और आज भी दे रहे हैं जिससे द्विज वर्ग फल फूल कर सुखी हो रहा है और सारी नौकरी को लिये हैं। इसलिये यह हमारी मांग नहीं है, बल्कि हक है। यह हक हमें मिलना चाहिये और उसकी पहली सीढ़ी है कि तीन साल की उम्र में छूट दी जाय। हमारी सरकार को ठंडे दिल से सोचना चाहिए। मैं ठाकुर हुकुम सिंह विसेन साहब से कहूंगा कि वह हमारी यह बात जरूर मान लें कि इसमें पहला कदम यह है कि जो बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट है, उसको ध्यान में रखें। हमारा प्रदेश सारे देश में एक हृदय प्रदेश कहलाता है। इस प्रदेश में उस रिपोर्ट पर अवश्य कार्य किया जाना चाहिये। पुलिस विभाग में तो यह हो ही चुका है, और विभागों में कहीं १८ साल है, कहीं २१ है, कहीं २४ और कहीं २८ है, उसमें समानता लाएं। मैं तो कहता हूं कि पिछड़े वर्ग को ही नहीं बल्कि सब को यह छूट मिले क्योंकि हमारी शिक्षा की हालत यह है कि जब तक ट्यूशन न पढ़ावें तब तक बच्चा पढ़ नहीं सकता।

जहां तक सरकारी नौकरियों का प्रश्न है, जिस परिवार में बड़े-बड़े अफसर होंगे उस परिवार के बच्चे स्वभावतः अपने परिवार में रह कर शिक्षित हो जाएंगे। परिवार का असर उन पर पड़ता है। जो पढ़ाई उनको घर में मिल जाती है वह हमारे बैकवर्ड क्लासेज के बच्चों को स्कूल में नहीं मिल पाती। इसलिए हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। यदि उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, नौकरियां देना चाहते हैं तो एक ही उपाय है कि संरक्षण दीजिये और सारी सुविधायें दीजिये, तभी वह बराबर आ सकते हैं। क्या हरिजन और बैकवर्ड क्लासेज में से आपको चपरासी भी नहीं मिल सकते हैं? हम स्वर्गीय पंत जी की हृदय से स्तुति करते हैं, वह हरिजनों और बैकवर्ड क्लासेज के लोगों के लिये मसीहा थे। जब उन्होंने देखा कि रिजर्वेशन होते हुये भी कुछ नहीं हो पाया तो संविधान में उन्होंने यह व्यवस्था कराई कि बैकवर्ड क्लासेज के लिये और हरिजनों के लिये जो सुविधायें थीं वह १० वर्ष के लिये और रहें। आज हमारे मुख्य मंत्री गुप्ता जी हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह अपने प्रदेश की परिपाटी को देखते हुए यह जो छोटी सी हमारी मांग है उसको मानने की कृपा करें और हमें आगे बढ़ने का मौका दें। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शीतलाप्रसाद (जिला गोंडा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था और देशों से बहुत पिछड़ी हुई है और जो सामाजिक व्यवस्था पुराने जमाने से चली आ रही है, जमाना तो बदला लेकिन यह व्यवस्था उसी तरह से रह गई। पहले जमाने में, जो आज बैकवर्ड कहा जा रहा है वही बैकवर्ड क्लास कृषि का काम करता था। लेकिन आज कृषि का काम ब्राह्मण, राजपूत, आदि सभी कौमें करने लगी हैं।

उसी बैकवर्ड क्लास के लोग व्यवसाय में भी ज्यादातर हिस्सा लेते थे। लेकिन आज व्यवसाय सभी लोग करने लगे हैं। उनके पास जो मुख्य व्यवसाय थे वे कम हो गये लेकिन समाज में जो उनका स्थान था वह बना रहा, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इसलिये मेरा सुझाव है कि बैकवर्ड क्लास के लोगों को, जिस तरह से हरिजन भाइयों को काफी सहूलियत सरकार के द्वारा दी जाती है, शिक्षा में, नौकरियों में, उसी तरह से उनको भी दी जानी चाहिये।

असल में हमारे मुल्क में जो गरीबी और अमीरी की खाई है उसको बराबर करने के लिये सरकार को सर्वे कराना चाहिये कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास साधन नहीं हैं, कृषि नहीं है, अशिक्षित हैं, उनको हर तरह से सहूलियत दी जानी चाहिये। आज देश के लोगों की आर्थिक दशा गिरी हुई है उनका सर्वे कराकर सरकार को हर तरह की सहूलियत देनी चाहिये, भूमिहीनों को जमीन दी जानी चाहिये, जो अशिक्षित हैं उनको शिक्षा की सुविधा दी जानी चाहिये, जिनके पास जीवन के अन्य साधन नहीं हैं उनको वह साधन दिये जायं। हर जनप्रिय सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है। जनतंत्रीय शासन में ऐसा ही होना चाहिये। देश में सामाजिक स्तर समान लाने का भरसक प्रयास होना चाहिये। और यह तभी हो सकता है जब सरकार बैकवर्ड और शिड्यूल्ड कास्ट न देख कर गरीब और अमीर का सर्वे कराये और जो लोग साधन विहीन हैं, जो गरीब हैं, शिक्षा नहीं दे सकते हैं उन्हीं को सरकार हर तरह की सहूलियत देकर आगे बढ़ाने की कोशिश करे। यही समाजवादी सरकार का मुख्य कर्त्तव्य है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि सरकार इस संकल्प को अवश्य मान ले।

*श्री ज्वालाप्रसाद कुरील (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, माननीय श्यामलाल जी का जो संकल्प उपस्थित है उस सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इस प्रकार के संकल्पों का आना यह सिद्ध करता है कि आजादी के इतने दिनों के बाद अब भी हमारे साथियों की मनोवृत्ति इतनी शुद्ध नहीं हो पायी है जिससे उन पर विश्वास किया जा सके कि वह इस समाज को, जो पिछड़ा हुआ है, कुछ राहत देने को तैयार हैं। इसी मंशा को लेकर यह प्रस्ताव पेश हुआ है।

वैसे तो इस तरह के प्रस्ताव से स्पष्ट है कि समाज में उत्पन्न विषमता का अनेक प्रकार से ह्रास करने के लिये प्रचार हुआ, सरकार की तरफ से, संस्थाओं की तरफ से, परन्तु फिर भी आज तक हम उस पर अच्छी तरह से सफल नहीं हो पाये हैं। यों तो कार्य बहुत कुछ हो रहे हैं, सरकार की तरफ से काफी प्रयास हुये हैं। मेरी प्रार्थना है कि जहां हम जातिगत भावनाओं के विचार से संरक्षण देने की बात सोचते हैं, हरिजन और पिछड़े वर्ग के नाम से, जैसा कि शीतला प्रसाद जी ने कहा है, मेरा यह भी विचार रहा है कि सरकार को एक निश्चित नीति इस सम्बन्ध में बनानी चाहिये कि किन लोगों को हमें काम देना है।

बेकारी जातिगत विचारों पर ही नहीं सीमित है, बल्कि जो ऊंची कौमें कही जाती हैं उनमें भी बेकारी है। अतः सरकार की तरफ से जो काम देने की योजनायें हैं, खादी ग्रामोद्योग की तरफ से हों, रचनात्मक कार्यक्रम की तरफ से हों, ग्रामोद्योग के सम्बन्ध में अब तक मेरा ऐसा विचार है कि और अब तक जो भी काम सरकार की तरफ से हुये हैं, उन कामों को ऐसे लोग अपने हाथों में ले रहे हैं जो पैसे वाले हैं, जो बुद्धिजीवी हैं और जो सरकार की स्कीमों को भली प्रकार से जानते हैं और ऐसे ही लोग सरकार की कार्यवाहियों से असीमित फायदा उठा रहे हैं। गरीब अब भी सरकार की स्कीमों से फायदा नहीं उठा पाता। मैंने तो एक दो दफा अपने यहां भी प्रार्थना की थी कि इसमें गरीबों को अधिक से अधिक खपाया जाय, लेकिन अब तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई।

इस प्रस्ताव से यह साफ जाहिर है कि पिछड़े वर्ग के साथ-साथ ऐसे लोग भी हैं जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुये हैं और आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़े हुये हैं। तो जो भी सर्विसेज हमारी हैं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ज्वालाप्रसाद कुरील]

या जो भी बेकारी को दूर करने के साधन हैं या जो भी हमारी स्कीमें गरीबी को मिटाने वाली हैं उनमें हम ऐसे लोगों को स्थान दें और जब तक ऐसा नियम नहीं होगा तब तक यह देश समृद्धि-शाली नहीं हो सकता ।

श्रीमन्, जहां यह भाव अभी तक कुछ लोगों में है कि हम ईश्वर के यहां से ही बड़े बने हैं और अछूतों से हम बड़े बनाये गये हैं, जहां उनके विचारों में महत्वाकांक्षा है, वहां कुछ ऐसा भी समाज है जो अभी तक अपने को गिरा हुआ मानता है और इन विचारों के संघर्ष में आज जो संस्थायें आगे बढ़ रही हैं उसके अन्दर मेरा यह निश्चित मत है कि इस प्रगति के युग में जो संस्थायें हरिजन समाज और पिछड़े वर्ग को साथ ले कर आगे बढ़ रही हैं, वह कुछ समय मे आगे बढ़ेंगी और उनको प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त करेंगी । सरकार इस दिशा में जो प्रयास कर रही है मैं स्पष्ट रूप से अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक गरीबों को साथ लेकर गरीबी मिटाने के लिये जो समाज कल्याण का भार उठाये हुये हैं नहीं चलेगी और उनकी भावनायें जब तक शुद्ध नहीं होंगी तब तक यह समाज तरक्की नहीं कर सकता । क्योंकि यह कहा गया है :—

"खाय प्रजा के बाग से, एक सेब जो राय ।
तो फिर वाके लश्करी, बागै देयं ढहाय ।।"

यानी अगर राजा या राज्य के संचालक अगर प्रजा के हित का थोड़ा-सा खयाल नहीं करेंगे तो उसके फौजी तो प्रजा का सत्यानाश ही कर देंगे । मैं इस मिसाल के साथ यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे जिले में जो हरिजन विभाग काम कर रहा है उसमें कुछ ऐसे प्रचारक भी रखे गये हैं जिनमें एक ऐसे हैं जो उस क्षेत्र में सामाजिक विषमता का विस्फोट करने जा रहे हैं और उन्होंने एक बीड़ा-सा उठा लिया है और हरिजनों और सवर्णों के बीच एक तहलका सा मच गया है । मैं उनकी बहुत सी बातें आपके सामने रख सकता हूं । हाल यह है कि उनके कारण वहां पर इतना कोहराम मचा हुआ है कि लोग समझ रहे हैं कि जाने क्या-क्या कब वहां संघर्ष हो जाय, खूंरेजी तक की नौबत वहां पर आ गयी है । हमने एक नेता जी से कहा कि आपके हरिजन प्रचारक जो हैं वह तो वहां विषमता की बात कर रहे हैं, वहां ऐसे हरिजन प्रचारक रखे जायं जो हरिजनों और सवर्णों के बीच जो खाई है उसको कम करें तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हम तो वहां की जनता की जैसी मंशा है वैसा ही करेंगे ।

एक साहब का तो यह हाल है और दूसरे साहब के बारे में कहने में संकोच लगता है कि हमारे इस विभाग के जो मिनिस्टर हैं वह उनके घर में सेवा सुश्रूषा करते थे और चूंकि उनके घर में टहलुई करते थे इसलिये उनको उन्होंने हरिजन प्रचारक बना दिया । यह तो हमारे हरिजन प्रचारकों की हालत है । एक साहब ने तो यह कर रखा है कि जिसके कारण वहां हरिजनों और सवर्णों का झगड़ा मचा हुआ है और दूसरे साहब ऐसे हैं जो यह जानते भी नहीं हैं कि हरिजन प्रचार करें कैसे, तो मैं पूछता हूं कि कैसे प्रचार होगा ? जब हमारे कर्णधार ही अपनी मिसाल इस क्षेत्र में न रख सके तो फिर कैसे इसकी बहबूदी हो सकती है । इस तरह से नौकरियों में अपने लोगों को तरजीह दे दी जाय तो इस भावना से तो यह साफ जाहिर है कि हमारे नेताओं में भावनाएं स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं और जो सही माने में हरिजनों का प्रचार होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है । इसलिये मैं विनम्रता के साथ कहूंगा कि हरिजनों में काम करने के लिये ऐसे लोगों को न रखा जाय जो कि किसी मिनिस्टर के यहां सेवक रहा हो या किसी बड़े आदमी का नौकर रहा हो । इससे समाज का सुधार नहीं हो सकता है । मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि मेरी बात को किसी दूसरे रूप में न ले लिया जाय बल्कि यही होना चाहिये कि सुधारक का काम सुधार का हो । इस प्रकार का जो प्रस्ताव आया है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं । अगर समाज में ऊंच नीच की भावना रहेगी तो हमारे दिल कभी भी साफ नहीं होंगे । लोगों के दिलों में परिवर्तन लाने की कोशिश सरकार को करनी चाहिये । जैसा राजनारायण जी ने कहा कि महात्मा गांधी ने बहुत कुछ किया है तो यह सही बात है, हम उन्हीं की दुहाई देकर समाज में समानता लाने की बात करते हैं । जब तक इस देश में हरिजनों के प्रति हीनता की भावना रहेगी तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है ।

आज जो प्रस्ताव हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है और जो जोरदार उसका समर्थन हुआ है उसका कारण यह है कि जो हमारे पिछड़े वर्ग के साथ हैं उनको अभी तक विश्वास नहीं हो पाया है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके दिल हरिजनों के प्रति साफ़ हो गये हैं और वे हर प्रकार का काम उनको देने के लिये तैयार हैं। यदि यह विश्वास हो जाय कि उनके दिल साफ हैं तो इस प्रकार का प्रस्ताव लाने की आवश्यकता ही न पड़े। म अपने नेताओं से निवेदन के रूप में कहूंगा कि हमें अधिक से अधिक इस बात का प्रचार करना चाहिये कि जो लोगों के दिलों में जमा हुआ मैल है वह दूर हो और जो गलत धारणा है वह मिट जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

हरिजन कल्याण राज्य मंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। अभी-अभी यहां पर कहा गया कि हरिजन मंत्री ने कानपुर में जो हरिजन कार्यकर्ता मुकर्रर किया है वह उन का नौकर था। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि यह गलत है। वह एक कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। वह छूत और अछूत को नहीं मानता है और वह कभी मेरा प्राइवेट नौकर नहीं रहा है। वह एलेक्शन में ज़रूर मेरे साथ काम करता रहा है, लेकिन जो बात कही गयी है वह गलत है। आप भी एम०एल०ए० हैं, लेकिन आपने आज तक कोई शिकायत नहीं की है। शायद वे एलेक्शन में मुझसे नाराज हो गये हैं इसलिये उस रूप में इस बात को कह रहे हैं। आप ने एक बार भी इस की शिकायत नहीं की है।

श्री अध्यक्ष—क्या आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—जो बात कही गयी है वह गलत है। अगर कोई शिकायत होगी तो मैं उसको देखूंगा।

श्री अध्यक्ष—माननीय रामलाल जी आप दूसरे दिन भाषण देंगे। मैंने आप का नाम पुकार लिया है। अब समय हो गया है।

सदन का आगामी कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना दे देना चाहता हूं। २१ तारीख को जब हम बैठेंगे तो वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के प्रथम अनुपूरक अनुदान पेश होंगे, वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के अतिरिक्त व्यय अनुदान पेश होंगे और उत्तर प्रदेश निर्माण-कार्य विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर विचार एवं उसका पारण होगा। इसके लिये केवल एक रोज का समय दिया गया है। यह उसी दिन पारित हो जायेगा। २२ और २३ तारीख को अविश्वास का प्रस्ताव जो प्रस्तुत हुआ था और जिसकी सदन ने अनुमति दे दी थी, उस पर वाद-विवाद होगा। २४ तारीख को बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर वाद-विवाद होगा और इसके लिये २१ तारीख को माननीय राजस्व मंत्री नियम ५२ के अनुसार वक्तव्य देंगे। फिर उसके ऊपर २४ तारीख को वाद-विवाद होगा और उसकी समाप्ति पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार होगा और तीसरे, विधान सभा की नियम समिति के प्रतिवेदन पर विचार होगा। यह २४ तारीख का प्रोग्राम है। बस इतना ही प्रोग्राम मैं सामने रखता हूं। उसके बाद २८, २९ के लिये तो यह हो ही चुका है कि वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के प्रथम पूरक अनुदानों पर राय ली जायगी और फिर विधेयक भी पारित होगा और अतिरिक्त व्यय के अनुदानों के ऊपर २९ तारीख को विचार होगा।

अब हम उठते हैं और २१ अगस्त, सोमवार, को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे, २१ अगस्त, १९६१ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
११ अगस्त, १९६१।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९६ पर]

तालिका 'क'

जिसका उल्लेख विधान सभा के वर्तमान सत्र के पहले शुक्रवार के लिए श्री लक्ष्मण राव कदम द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ४२–४३ के उत्तर में दिया गया है ।

क्रम सं०	झांसी जिले के सहायता प्राप्त स्कूलों का नाम	वार्षिक अनुदान (१९६०–६१) में स्वीकृत
	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—बालकों के	
१	क्रिश्चियन	८,१८४
२	गांधी विद्यालय, मऊ, रानीपुर	१५,६८४
३	पी० एन० ललितपुर	१२,१४४
४	विपिन बिहारी	२४,६२४
५	सरस्वती पाठशाला इंडस्ट्रियल	१७,०४०
६	लक्ष्मणदास डमला ए०एच०, मऊरानीपुर ..	१७,७७२
७	राजर्षि पी०डी० टंडन	५,६२८
८	सरस्वती हिन्दू पाठशाला, सिपरी बाजार	१८,०७२
९	डी०बी० मोठ	१४,०७६
१०	डी०ए०बी०	६,५४०
११	सेन्ट जूड्स, गउहिया फाटक .. .	१२,३२४
१२	हाफिज सिद्दीकी	४,५९६
१३	श्री मर्दन सिंह तालबहट .. .	११,४९६
१४	त्याग मूर्ति ए०जी० खेर, गुरुसहाय ..	१३,५४८
१५	वर्नी जैन, ललितपुर	१९,९८०
१६	सरदार पटेल, चिरगांव	६,८६४
	बालिकाओं के	
१७	आर्य कन्या पाठशाला, सिप्री बाजार	१८,१४४
१८	लोकमान्य तिलक कन्या हा०से० स्कूल, झांसी ..	८,४३६
१९	राष्ट्रीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, झांसी ..	२,७७२

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १८७ एल० ए०—१९६१–८४५ ।